समक्ष न्यायालय .... विशेष न्यायधीश (भ्र.नि.अ.) एवं प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश रायपुर (छ.ग.)

शासन अभियोजन

विरुध्द

शिवशंकर भट्ट व अन्य अभियुक्तगण

वि. प्रकरण क्रमांक 794/15

<u>अभियुक्त डॉ. आलोक शुक्ला की ओर से उसके पूरी तरह निर्दोष होने के संबंध में धारा 314 दं.प्र.सं. के अंतर्गत लिखित तर्क</u>

ए.सी.बी. और ई.ओ.डब्ल्यू के तत्कालीन अधिकारियो बनाए गए **झूठे, फर्जी और दुर्भावनापूर्ण प्रकरण** में **अभियुक्त डॉ0 आलोक शुक्ला के निर्दोष होने** के संबंध में निम्नानुसार लिखित तर्क प्रस्तुत हैं -

1. **<u>अभियुक्त डॉ0 आलोक शुक्ला पर न्यायालय व्दारा विरचित आरोप</u>** - इस प्रकरण में माननीय न्यायालय व्दारा अभियुक्त डॉ0 आलोक शुक्ला पर धारा 11, 13(1)(ए) एवं 13(1)(डी) सहपठित धारा 12 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम तथा धारा 120 बी भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत आरोप विरचित किए गये है. आरोपों का विस्त्रत विवरण माननीय न्यायालय व्दारा निम्नानुसार दिया गया है -

    <u>प्रथम</u> - आपने दिनांक 30/5/2014 के दिनांक 16/2/2015 तक नागरिक आपूर्ति निगम (नान) रायपुर में चेयरमैन के पद पर पदस्थ लोक सेवक होते हुए तत्कालीन एम0डी0 डॉ0 अनिल कुमार टुटेजा द्वारा सह अभियुक्त जिला प्रबंधक शिवशंकर भट्ट के साथ मिलकर किये गये, जिला कार्यालयों में पदस्थ जिला प्रबंधक रायपुर टीकम चंद्र हरचंदानी, कनिष्ठ तकनीकी सहायक रायगढ़ क्षीरसागर पटेल, कनिष्ठ तकनीकी सहायक जगदलपुर सतीश कुमार कैवर्त्य, जिला प्रबंधक बिलासपुर कौशल कुमार यदु, कंपनी मुख्यालय रायपुर संदीप अग्रवाल, शाखा प्रबंधक स्टेट वेयर हाउस बालोद दिलीप कुमार शर्मा, प्रभारी जिला प्रबंधक सुरजपुर रविन्द्र नाथ सिंह, सहायक प्रबंधक तकनीकी रायपुर देवेंद्र सिंह कुशवाहा, सहायक प्रबंधक क्वालिटी कंट्रोल रायपुर रामफूल पाठक, जिला प्रबंधक रायपुर सुधीर कुमार भोले, जिला प्रबंधक गरियाबंद मोतीलाल साहू, जिला प्रबंधक बलोदाबाजार जे0पी0 व्दिवेदी, जिला प्रबंधक कवर्धा धानेश्वर राम के साथ मिलकर के चावल उपार्जन की प्रक्रिया में अनेक नियमों एवं व्यवस्थागत कारणों से, चावल रिजेक्शन की आशंकाओं की आड़ में मैदानी अधिकारियों के निर्णय करने की अपार संभावनाओं को उत्पन्न परेशानियों से बचाने एवं राइस मिलर्स के हित में चावल की ग्राह्यता को सुगम बनाये जाने की आवश्यकता की आड़ बनाकर, राइस मिलर्स से अवैध धन राशि की वसूली हेतु, संगठित

भ्रष्टाचार तंत्र में सहमत होकर आपराधिक षडयंत्र किया. इस प्रकार आपने वह अपराध किया जो कि **धारा 120 बी भा0दं0वि0** के तहत दंडनीय अपराध है जिसके संज्ञान की अधिकारिता इस न्यायालय को है.

<u>व्दितीय</u> - आपने दिनांक 30/5/2014 से दिनांक 16/2/2015 तक नागरिक आपूर्ति निगम (नान) रायपुर के चेयरमैन के पद पर पदस्थ होकर वरिष्ठ लोक सेवक होते हुये, अपने पदीय दायित्वों के विपरीत जाकर पीडीएस चावल उपार्जन के कारोबार में संपृक्त, राइस मिलर्स से अपने पदीय हैसियत का दुरुपयोग कर, करोड़ों रुपये का असम्यक लाभ अभिप्राप्त किया. इस प्रकार आपने वह अपराध किया जो **भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 11** के तहत दंडनीय अपराध है जिसके संज्ञान की अधिकारिता इस न्यायालय को है.

<u>तृतीय</u> - आपने उक्त अवधि में नागरिक आपूर्ति निगम (नान) रायपुर के चेयरमैन के पद पर पदस्थ होकर वरिष्ठ लोक सेवक होते हुए, अपने पदीय दायित्व के विपरीत जाकर, अपने पदीय हैसियत में अवैध रूप से करोड़ों रुपये का अवैध लाभ अभ्यस्तत: अभिप्राप्त कर अपराधिक अवचार किया. इस प्रकार आपने वह अपराध किया जो **भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 13 (1)(ए) का उल्लंघन होकर धारा 13(2)** के तहत दंडनीय अपराध है जिसके संज्ञान की अधिकारिता इस न्यायालय को है.

<u>चतुर्थ</u> - आपने उक्त अवधि में नागरिक आपूर्ति निगम (नान) रायपुर के चेयरमैन पद पर पदस्थ होकर वरिष्ठ लोक सेवक होते हुये, अपने पदीय दायित्व के विपरीत जाकर अपने पदीय हैसियत का दुरुपयोग कर, करोड़ों रुपये का अवैध लाभ अभिप्राप्त कर अपराधिक अवचार किया. इस प्रकार आपने वह अपराध किया जो **भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 13 (1)(डी) का उल्लंघन होकर धारा 13 (2)** के तहत दंडनीय अपराध है जिसके संज्ञान की अधिकारिता इस न्यायालय को है.

2. यह कि, माननीय न्यायालय व्दारा विरचित आरोपों में अभियुक्त डॉ0 आलोक शुक्ला की नागरिक आपूर्ति निगम (नान) में पदस्थापना अवधि गलत दी गई है. आरोप क्रमांक 1 एवं आरोप क्रमांक 2 में अभियुक्त डॉ0 आलोक शुक्ला की नागरिक आपूर्ति निगम (नान) में पदस्थापना अवधि दिनांक 30/5/2014 से दिनांक 16/2/2015 तक कही गई है, परन्तु अभियुक्त डॉ0 आलोक शुक्ला ने भारत निर्वाचन से प्रतिनियुक्ति से वापस आकर छत्तीसगढ़ में दिनांक 01/07/2014 को ही कार्यभार ग्रहण किया था, अत: अभियुक्त डॉ0 आलोक शुक्ला की नागरिक आपूर्ति निगम (नान) में पदस्थापना अवधि दिनांक 01/07/2014 से दिनांक 16/2/2015 तक ही थी.

3. यह कि इस प्रकरण में अन्य सह-अभियुक्तों पर अनेक अन्य आरोप विरचित किए गए हैं जो अभियुक्त डॉ0 आलोक शुक्ला पर विरचित नहीं किए गए हैं-

3.1. अन्य सह-अभियुक्तों पर धारा 420/34, 409/34, 466, 467 एवं 468 भा.दं.वि., के अंतर्गत आरोप लगाए गए हैं, जो अभियुक्त डॉ0 आलोक शुक्ला पर नहीं लगाए गए है.

3.2. अन्य सह-अभियुक्तों पर विरचित किए गए इन अतिरिक्त आरापों के विवरण में नमक, शक्कर, गेहूं, दाल आदि के प्रोक्योरमेंट गड़बड़ी, चावल का अनावश्यक अंतर्जिला मूवमेंट, 73547 मी0 टन चावल का अनावश्यक परिवहन कराने से परिवहनकर्ताओं को कुल 2,18,21,155/- का भुगतान कराना और आपराधिक न्यासभंग करना, नमक के अनावश्यक अंतर्जिला मूवमेंट ऑडर जारी करके, कम गेज के पालीथीन एवं कम मानक के आयोडीन युक्त नमक का भंडारण करके एवं कम वजन के नमक पैकेटों के सैग्रीगेशन आदेश को क्रियान्वित न करके पीडीएस के गरीब हितग्राहियों एवं शासन के साथ छल करना एवं शासन को करोड़ों रुपए की आर्थिक क्षति कारित करना, अमानक नमक का 92,46,865.31/- भुगतान करा के, आपराधिक न्यासभंग करना, लोक दस्तावेजों की कूटरचना करना, रसीदों की कूटरचना करना आदि आरोपों का विवरण दिया गया है, जो अभियुक्त डॉ0 आलोक शुक्ला पर लगाए गए किसी भी आरोप में नहीं दिया गया है. अभियुक्त डॉ0 आलोक शुक्ला पर विरचित धारा 120बी भा.दं.वि. के आरोप विवरण में भी केवल राइस मिलर्स से अवैध धन राशि की वसूली हेतु, संगठित भ्रष्टाचार तंत्र में सहमत होकर आपराधिक षडयंत्र करने की बात कही गई है, अन्य अभियुक्तों पर अन्य धाराओं के अंतर्गत लगाए गए आरोपों के आपराधिक षडयंत्र करने की बात नहीं कही गई है.

3.3. यहां उन्हीं आरोपों के संबंध में तर्क दिये जा रहे हैं जो अभियुक्त डॉ0 आलोक शुक्ला पर विरचित गए हैं.

4. अभियुक्त डॉ0 आलोक शुक्ला पर चावल का अनावश्यक परिवहन कराने, कम गुणवत्ता के चावल का उपार्जन करने, कम गुणवत्ता के नमक का उपार्जन करने, नमक का सेग्रिगेशन न करने, राज्य शासन या नागरिक आपूर्ति निगम को आर्थिक क्षति पहुंचाने, आपराधिक न्याय भंग करने, दस्तावेजों की कूटरचना करने आदि के आरोप तथा इनके आपराधिक षडयंत्र में शामिल होने के आरोप नहीं हैं. केवल राइस मिलर्स से अवैध वसूली के आपराधिक षडयंत्र में शामिल होने एवं इस अवैध वसूली से हिस्सा प्राप्त करने के आरोप हैं जो प्रकरण में अभियोजन व्दारा प्रस्तुत किए गए साक्ष्यों से प्रमाणित नहीं हुए हैं.

5. यह कि, माननीय न्यायालय व्दारा अभियुक्त डॉ0 आलोक शुक्ला पर विरचित इन आरोपों का सार संक्षेप है -

5.1. कि, नागरिक आपूर्ति निगम के क्षेत्रीय कार्यालयों के अधिकारियों व्दारा राइस मिलर्स पर विभिन्न प्रकार के दबाव डालकर अवैध धन की मांग और वसूली की जाती थी.

5.2. कि, नागरिक आपूर्ति निगम के क्षेत्रीय अधिकारी राइस मिलर्स से वसूल किए गए कथित अवैध धन में से अपना हिस्सा स्वयं अपने पास रखकर, शेष राशि को नागरिक आपूर्ति निगम के मुख्यालय पहुंचाया करते थे.

5.3. कि, नागरिक आपूर्ति निगम में कथित रूप से राइस मिलर्स से वसूल किये गए अवैध धन को प्रबंधक पी.डी.एस. शिवशंकर भट्ट व्दारा एकत्रित किया जाता था, और कुछ धन वह अपने पास रखता था, तथा कुछ धन वह नागरिक आपूर्ति निगम मुख्यालय के अन्य कर्मचारियों के पास रखवाया करता था.

5.4. कि, इस राइस मिलर्स से कथित अवैध धन में से अभियुक्त डॉ0 आलोक शुक्ला को भी अपना हिस्सा मिलता था, और इसी कथित अवैध धन में से अभियुक्त डॉ0 आलोक शुक्ला के अनेक व्यक्तिगत व्यय भी किए गए.

5.5. कि, अभियुक्त डॉ0 आलोक शुक्ला राइस मिलर्स से अवैध धन वसूली के इस कथित आपराधिक षडयंत्र में शामिल था.

6. स्पष्ट ही है कि अभियुक्त डॉ0 आलोक शुक्ला पर लगाए गए आरोपों को प्रमाणित करने के लिये अभियोजन व्दारा को साक्ष्यों व्दारा यह प्रमाणित करना आवश्यक था कि नागरिक आपूर्ति निगम के अधिकारियो/कर्मचारियों व्दारा राइस मिलर्स से अवैध धन की मांग और वसूली की गई. अभियोजन इस आरोप को प्रमाणित करने में पूरी तरह असफल रहा है, बल्कि प्रकरण में प्रमाणित है कि न तो किसी से कोई अवैध मांग की गई और न कोई अवैध वसूली की गई. इस कारण अभियोजन का पूरा प्रकरण ही पूरी तरह ढ़ह चुका है-

6.1. यह कि, अभियोजन ने राइस मिलर्स से अवैध धन राशि की वसूली हेतु, संगठित भ्रष्टाचार तंत्र को प्रमाणित करने के लिये प्रकरण में 26 राइस मिलर्स के कथन कराये हैं. **सभी राइस मिलर्स ने अपने कथनों में कहा है कि उनसे न तो कभी नागरिक आपूर्ति निगम के किसी भी अधिकारी/कर्मचारी ने किसी अवैध राशि की मांग की और न ही उन्होने किसी को कोई अवैध राशि दी.** उन्होने अपने न्यायालयीन कथनों में यह भी कहा है कि अभियोजन ने उनके जो बयान धारा 161 दं.प्र.सं. के अतर्गत दिये गए बताये हैं, वे उन्होने दिये ही नहीं थे. राइस मिलर्स के इन बयानो से अवैध धन राशि की वसूली हेतु, संगठित भ्रष्टाचार तंत्र का आरोप पूरी तरह से ढ़ह गया है. इस संबंध में (1.) अभियोजन साक्षी क्रमांक - 20 विकास साहू, (2.) अभियोजन साक्षी क्रमांक - 21 सुबोध कुमार टावरी, (3.) अभियोजन साक्षी क्रमांक - 26 मदन कुमार मित्तल, (4.) अभियोजन साक्षी क्रमांक - 27 मोहन कुमार साहू, (5.) अभियोजन

साक्षी क्रमांक - 29 बृजेश शर्मा, (6.) अभियोजन साक्षी क्रमांक - 55 दीनदयाल अग्रवाल, (7.) अभियोजन साक्षी क्रमांक - 69 भंवरलाल खत्री, (8.) अभियोजन साक्षी क्रमांक - 71 शब्बीर बारबाटिया, (9.) अभियोजन साक्षी क्रमांक - 75 विकास कुमार जैन, (10.) अभियोजन साक्षी क्रमांक - 76 मो. रफीक, (11.) अभियोजन साक्षी क्रमांक - 77 विजय कुमार साधवानी, (12.) अभियोजन साक्षी क्रमांक - 79 एम. राजू राव, (13.) अभियोजन साक्षी क्रमांक - 80 हरीश गोलछा, (14.) अभियोजन साक्षी क्रमांक - 83 गुलाब चौहान, (15.) अभियोजन साक्षी क्रमांक - 85 संदीप धामेजानी, (16.) अभियोजन साक्षी क्रमांक - 86 मो. हुसैन मेमन, (17.) अभियोजन साक्षी क्रमांक - 87 राजेश बिंदल, (18.) अभियोजन साक्षी क्रमांक - 88 अंकित अग्रवाल, (19.) अभियोजन साक्षी क्रमांक - 89 मनीष अग्रवाल, (20.) अभियोजन साक्षी क्रमांक - 90 विजय कुमार अग्रवाल, (21.) अभियोजन साक्षी क्रमांक - 92 मो. इश्तेयाक, (22.) अभियोजन साक्षी क्रमांक - 93 मनोज कुमार अग्रवाल, (23.) अभियोजन साक्षी क्रमांक - 94 मोहम्मद अमीन मेमन, (24.) अभियोजन साक्षी क्रमांक - 96 मोहम्म्द अमीन, (25.) अभियोजन साक्षी क्रमांक - 104 बाबूलाल अग्रवाल एवं (26.) अभियोजन साक्षी क्रमांक - 145 महावीर अग्रवाल के कथन अवलोकनीय हैं.

6.2. यह कि, अवैध वसूली के संबंध में अभियोजन ने प्रकरण में 5 परिवहनकर्ताओं के बयान माननीय न्यायालय में कराये हैं. इस **सभी परिवहनकर्ताओं ने भी नागरिक आपूर्ति निगम के किसी भी अधिकारी/कर्मचारी व्दारा अवैध राशि की मांग किये जाने और किसी को भी कोई अवैध राशि दिये जाने से साफ इंकार किया है**. इन बयानो से भी अवैध धन राशि की वसूली हेतु, संगठित भ्रष्टाचार तंत्र का आरोप पूरी तरह से ढ़ह गया है. इस संबंध में - (1) अभियोजन साक्षी क्रमांक - 19 लक्ष्मीनारायण अग्रवाल, (2) अभियोजन साक्षी क्रमांक - 24 सुरेश कुकरेजा, (3) अभियोजन साक्षी क्रमांक - 25 दलबीर सिंह उर्फ होरा सिंह, (4) अभियोजन साक्षी क्रमांक - 81 हरेन्द्र यादव और (5) अभियोजन साक्षी क्रमांक - 82 अशोक दुबे के कथन अवलोकनीय हैं.

6.3. प्रकरण में नागरिक आपूर्ति निगम के 13 क्षेत्रीय अधिकारी/कर्मचारियो के कथन कराये हैं और **सभी ने किसी भी प्रकार की अवैध धनराशि वसूल करने, अवैध धनराशि मुख्यालय पहुंचाने, अवैध राशि अपने पास रखने और अवैध राशि का वितरण करने से साफ इंकार किया है**. इन कथनों से भी अवैध धन राशि की वसूली हेतु, संगठित भ्रष्टाचार तंत्र का आरोप पूरी तरह से ढ़ह गया है. इस संबंध में 13 क्षेत्रीय कर्मचारियो - (1.) अभियोजन साक्षी क्रमांक - 18 दिनेश ओझा, (2.) अभियोजन साक्षी क्रमांक - 22 हरदीप सिंह भाटिया, (3.) अभियोजन साक्षी क्रमांक - 28 आज़ाद टोप्पो, (4.) अभियोजन साक्षी क्रमांक - 30 विकास सिन्हा, (5.) अभियोजन साक्षी क्रमांक - 58 विक्रांत सिंह माखीजा, (6.) अभियोजन साक्षी क्रमांक - 59 रविन्द्र मिंज, (7.) अभियोजन साक्षी क्रमांक - 60 मनमोहन प्रसाद शुक्ला, (8.) अभियोजन साक्षी क्रमांक - 63 सरजू राम पिपला, (9.) अभियोजन साक्षी क्रमांक - 65 देवी प्रसाद

चंद्राकर, (10.) अभियोजन साक्षी क्रमांक - 74 सुजीत कुमार श्रीवास, (11.) अभियोजन साक्षी क्रमांक - 91 सुरेश चन्द्र व्दिवेदी, (12.) अभियोजन साक्षी क्रमांक - 102 विशाल कुमार सिन्हा एवं (13.) अभियोजन साक्षी क्रमांक - 62 जितेन्द्र निगम के कथन अवनोकनीय हैं.

6.4. इसी प्रकार अभियोजन ने मुख्यालय में पदस्थ 5 कर्मचारियो के कथन भी कराए हैं और इन्होने भी भ्रष्टाचार तथा अवैध वसूली की राशि एकत्रित करने, अपने पास रखने एवं अवैध राशि का वितरण करने से इंकार किया है. इनके बयान भी अवलोकनीय हैं - (1.) अभियोजन साक्षी क्रमांक - 23 थानूराम अनंत, (2.) अभियोजन साक्षी क्रमांक - 95 जी.एच. त्रिनाथ रेड्डी, (3.) अभियोजन साक्षी क्रमांक - 118 जीतराम यादव, (4.) अभियोजन साक्षी क्रमांक - 129 अरविंद ध्रुव एवं (5.) अभियोजन साक्षी क्रमांक - 147 कृतिकांत बारीक. इन सभी के न्यायालयीन कथनों से अवैध धन राशि की वसूली हेतु, संगठित भ्रष्टाचार तंत्र का आरोप पूरी तरह से ढ़ह गया है.

7. यह कि उपरोक्त से यह स्पष्ट है कि नागरिक आपूर्ति निगम में कोई अवैध मांग या वसूली नहीं की गई और नागरिक आपूर्ति निगम में अवैध वसूली का भ्रष्टाचार नहीं था, इसलिये अभियुक्त डॉ0 आलोक शुक्ला का किसी संगठित भ्रष्टाचार के षडयंत्र में शामिल होने का आरोप झूठा प्रमाणित है और अभियुक्त डॉ0 आलोक शुक्ला व्दारा अवैध राशि अभिप्राप्त करने एवं अवैध राशि से अपने व्यक्तिगत व्यय कराने का आरोप भी झूठा प्रमाणित है. अभियोजन का प्रकरण पूरी तरह फेल हो चुका है.

8. यह कि, उपरोक्त तर्कों के अतिरिक्त निम्नलिखित से भी अभियुक्त डॉ0 आलोक शुक्ला व्दारा अवैध राशि अभिप्राप्त करना एवं अवैध राशि से अपने व्यक्तिगत व्यय कराना झूठा प्रमाणित है-

8.1. अभियुक्त डॉ0 आलोक शुक्ला से कोई नकद राशि बरामद नहीं हुई है.

8.2. कथित रूप से अभियुक्त आलोक शुक्ला के लिये धनराशि गिरीश शर्मा व्दारा डॉ0 आनंद दुबे को दी गई थी, परन्तु डॉ0 आनंद दुबे से भी कोई धनराशि बरामद नहीं हुई है.

8.3. अभियुक्त डॉ0 आलोक शुक्ला के लिये जिन वस्तुओं को क्रय करने के लिये कथित अवैध राशि का उपयोग किया जाने का आरोप लगाया गया है, वे वस्तुएं भी बरामद नहीं हुई हैं.

8.4. अभियुक्त डॉ0 आलोक शुक्ला के लिये जिन बैंक ड्राफ्टों को अवैध राशि से बनाया जाने का आरोप लगाया गया है, न तो वे बैंक ड्राफ्ट बरामद हुए हैं और न ही उनका उपयोग अभियुक्त डॉ0 आलोक शुक्ला व्दारा किया जाने का कोई प्रमाण दिया गया है.

8.5. अभियुक्त डॉ0 आलोक शुक्ला पर अनुपातहीन संपत्ति का कोई प्रकरण नहीं लगाया गया है.

8.6. अभियुक्त डॉ0 आलोक शुक्ला के विरुध्द शासन ने कोई विभागीय जांच नहीं की है और किसी प्रकार की वसूली की कार्यवाही भी नहीं की है.

9. क्योंकि राइस मिलर्स से अवैध मांग एवं अवैध वसूली का आरोप झूठा प्रमाणित हो चुका है इसलिये यह बात भी प्रमाणित है कि न तो अभियुक्त डॉ0 आलोक शुक्ला ने कोई अवैध राशि अभिप्राप्त की और न ही अवैध राशि से अभियुक्त डॉ0 आलोक शुक्ला के लिये कोई व्यक्तिगत व्यय किए गए. उल्लेखनीय है कि अभियोजन के अनुसार अभियुक्त डॉ0 आलोक शुक्ला को धनराशि केवल अ.सा.क्र.-142 गिरीश शर्मा व्दारा ही दी गई और उसके व्यक्तिगत व्यय भी गिरीश शर्मा व्दारा ही किए गए. इसके साक्ष्य के रूप में (1) स्वयं अ.सा.क्र.-142 गिरीश शर्मा का न्यायालयीन कथन, (2) उसी से जप्त पेन ड्राइव तथा कम्प्यूटर प्रिंटआउट के चार पेज में कथित रूप से उसी के व्दारा की गई प्रविष्टियां और (3) कथित रूप से उसी के साथ मोबाइल फोन बातचीत के लिप्यांतरण ही न्यायालय में प्रस्तुत हैं. तात्पर्य यह है कि अभियुक्त डॉ0 आलोक शुक्ला व्दारा किसी भी प्रकार की धनराशि अभिप्राप्त करने और अपने व्यक्तिगत व्यय किसी अन्य से कराने का साक्ष्य केवल अ.सा.क्र.-142 गिरीश शर्मा ही है, अन्य कोई भी नहीं. गिरीश शर्मा के कथन का कॉरोबोरेशन उसी के व्दारा उसी से जप्तप्त पेन ड्राइव में उसी के व्दारा की गई कथित प्रविष्टियों से एवं उसी के साथ कथित रूप से हुई मोबाइल टेलीफोन बातचीत के उसी के व्दारा दिये गए स्पष्टीकरणों से कराया जा रहा है जबकि उन कथित फोन काल्स को सीडीआर या मोबाइल सर्विस प्रोवइडर कंपनी ने भी प्रमाणित नहीं किया है. अभियोजन व्दारा प्रस्तुत यह साक्ष्य बिन्दुवार निम्नलिखित हैं एवं तर्को व्दारा यह स्पष्ट किया गया है कि इनमें से किसी से भी अभियुक्त डॉ0 आलोक शुक्ला पर विरचित कोई भी आरोप प्रमाणित नहीं होते हैं: -

9.1. दिनांक 12.02.2015 को नागरिक आपूर्ति कार्यलय में एसीबी/ईओडबल्यू व्दारा डाली गई रेड में नागरिक आपूर्ति निगम के प्रबंध संचालक अभियुक्त अनिल टुटेजा के निज सहायक अ.सा.क्र.-142, गिरीश शर्मा से 20 लाख रुपये के नकद राशि बरामद होना बताया गया है, और यह कहा गया है कि गिरीश शर्मा को यह राशि कुछ ही समय

पूर्व अ.सा.क्र.-129 अरविंद ध्रुव ने उसके पास एकत्रित करके रखी गई अवैध कलेक्शन की राशि में से लाकर दी थी, तथा गिरीश शर्मा इस राशि में से 10 लाख रुपये की राशि अभियुक्त डॉ0 आलोक शुक्ला को तथा 10 लाख रुपये की राशि अभियुक्त अनिल टुटेजा को देने वाला था परन्तु उसके पूर्व ही छापा पड़ जाने से यह राशि बरामद हो गई. इन तर्कों में आगे स्पष्ट किया गया है कि गिरीश शर्मा जप्त बताई गई यह राशि एसीबी/ई.ओ.डब्ल्यू. के अधिकारियों ने ही आपराधिक रूप से प्लांट की थी. ऐसी कोई राशि अरविंद ध्रुव ने गिरीश शर्मा को लाकर नही दी थी.

9.2. अभियोजन ने कहा है कि उसने दिनांक 12.02.2015 को रेड के दौरान अ.सा.क्र.-142, गिरीश शर्मा से एक पेन ड्राइव तथा 4 पन्ने कम्प्यूटर प्रिंट आउट के बरामद किए हैं, जिनमें उसके व्दारा अभियुक्त डॉ0 आलोक शुक्ला तथा अन्य लोगों को धन दिये जाने की प्रविष्टियां हैं एवं अभियुक्त डॉ0 आलोक शुक्ला के व्यक्तिगत व्ययों पर धन व्यय किए जाने की प्रविष्टियां हैं. इन तर्कों में आगे स्पष्ट किया गया है कि ये पेन ड्राइव और कम्प्यूटर प्रिंट आउट चेन ऑफ कस्टडी न होने, इनकी पहचान स्थापित न होने, पासवर्ड प्रोटेक्टेड न होने तथा धारा 65बी भा.सा.अ. का प्रमाण पत्र नहीं होने के कारण साक्ष्य में ग्राह्य ही नहीं हैं. इसी प्रकार इनकी प्रविष्टियों के संबंध में एसीबी/ई.ओ.डब्ल्यू. व्दारा कोई स्वतंत्र जांच नही किए जाने एवं इनकी प्रविष्टियों का जांच व्दारा सत्यापन नहीं किया जाने के कारण यह प्रविष्टियां न तो साक्ष्य में ग्राह्य हैं और न ही विश्वसनीय हैं.

9.3. अभियोजन ने कहा है कि उसने अ.सा.क्र.-142, गिरीश शर्मा से अभियुक्त डॉ0 आलोक शुक्ला एवं अभियुक्त अनिल टुटेजा के व्यक्गित व्यय के संबंध में अनेक बिल बरामद किए हैं. इन तर्कों में आगे स्पष्ट किया गया है कि इन कथित रूप से बिलों के व्दारा क्रय की गई कोई भी वस्तु अभियुक्त डॉ0 आलोक शुक्ला से बरामद नहीं हुई है और गिरीश शर्मा ने अपने न्यायालयीन कथन में स्वयं ही यह माना है कि उसने यह भुगतान स्वयं नहीं किए बल्कि यह प्रविष्टियां उसने प्रबंध संचालक व्दारा निर्देशित किए जाने के कारण नोट मात्र की हैं. इसलिये इन वस्तुओं पर कोई व्यय किया जाना प्रमाणित नहीं है. इसके अतिरिक्त इन बिलों के संबंध में जिन दुकारदारों आदि के बयान अभियोजन ने न्यायालय में कराए हैं उन सभी ने अपने न्यायलयीन कथनों में कहा है कि उनसे क्रय की गई सभी वस्तुओं को भुगतान अभियुक्त डॉ0 आलोक शुक्ला ने स्वयं ही किया था, अन्य किसी से नहीं कराया था.

9.4. अभियोजन ने कहा है कि उसने अभियुक्त डॉ0 आलोक शुक्ला के लिये नकद राशि से कथित रूप से बनवाए गए बैंक ड्राफ्टों की 4 रसीदें भी प्रस्तुत की हैं. इन तर्कों में आगे स्पष्ट किया गया है कि बैंक ड्राफ्ट बनाने के आवेदन पर अभियुक्त डॉ0 आलोक शुक्ला के फर्जी हस्ताक्षर अ.सा.क्र.-78 परमेश्वर नायक ने बनाए थे बैंक ड्राफ्ट भी अभियुक्त डॉ0 आलोक शुक्ला को नहीं दिये. इन कथित बैंक ड्राफ्टों के संबंध में एसीबी/ई.ओ.डब्ल्यू. ने कोई जांच नही की और इनका अभियुक्त डॉ0 आलोक शुक्ला व्दारा उपयोग किए जाने का भी कोई प्रमाण नहीं दिया है.

9.5. अभियोजन ने कुछ मोबाइल टेलीफोन काल्स के अंत:रोधन कर रिकार्डिंग करने का दावा किया है और उन काल्स के लिप्यांतरण न्यायालय में प्रस्तुत किए हैं. इन तर्कों में आगे स्पष्ट किया गया है कि अभियुक्त डॉ0 आलोक शुक्ला का मोबाइल नंबर प्रमाणित नहीं करने के कारण अभियोजन इन काल्स को अभियुक्त डॉ0 आलोक शुक्ला के साथ बातचीत प्रमाणित करने में असफल रहा है. इसके अतिरिक्त इन काल्स के सीडीआर नहीं होने के कारण, कॉल रिकार्ड किया जाने का कोई प्रमाण नहीं होने के कारण, इनके संबंध में धारा 65बी भा.सा.अ. का प्रमाणपत्र नहीं होने के कारण एवं अन्य अनेक कारणों से यह काल्स साक्ष्य में ग्राह्य नहीं हैं. इसके अतिरिक्त एसीबी/ई.ओडब्ल्यू के अधकिारियों में इन काल्स में कही गई बातो का कोई सत्यापन भी अपनी जांच में नहीं किया है और सभी गवाहों ने अपने न्यायालयीन कथनों में अवैध लेन देन से इंकार किया है.

9.6. अभियोजन ने अनेक गवाहों के मौखिक साक्ष्य न्यायालय में कराए हैं एवं इन सभी मौखिक साक्ष्यों से भी यह प्रमाणित हो गया है कि अभियुक्त डॉ0 आलोक शुकला पर लगाए गए आरोप झूठे हैं.

10. यह कि अभियोजन ने प्रकरण में अनेक ऐसे साक्ष्य भी प्रस्तुत किए हैं जो अभियुक्त डॉ0 आलोक शुक्ला पर विरचित आरोपों से संबंधित नहीं हैं. इनका उल्लेख यहां पर केवल यह बताने के लिये किया जा रहा है कि इनका कोई संबंध अभियुक्त डॉ0 आलोक शुक्ला से नहीं होने के कारण इनका उपयोग अभियुक्त डॉ0 आलोक शुक्ला पर विरचित आरोपों को प्रमणित करने के लिये नहीं किया जा सकता-

10.1. अभियोजन ने कुछ ऐसे दस्तावेज़ जप्त करने का दावा किया है जिनमें कथित रूप से अवैध धन के कलेक्शन और वितरण के ब्योरे दर्ज हैं परन्तु उनमें अभियुक्त

डॉ0 आलोक शुक्ला का नाम तक नहीं है और इनमें से अधिकांश दस्तावेज अभियुक्त डॉ0 आलोक शुक्ला के नागरिक आूपर्ति निगम में पदस्थापना के पूर्व के हैं.

10.2. अभियोजन ने यह भी कहा है कि उसने नागरिक आपूर्ति निगम के कार्यालय पर रेड तथा नागरिक आपूर्ति निगम के अधिकारियों/ कर्मचारियों के घर तथा कार्यालयों पर रेड में शिवशंकर भट्ट, संदीप अग्रवाल, देवेन्द्र सिंह कुशवाहा, रामफूल पाठक, सुधीर कुमार भोले, दिलीप कुमार शर्मा, टी.डी. हरचंदानी, कौशल किशोर यदु से रुपये 3,46,96,965/- की नकद राशि एवं असमानुपातिक संपत्तियां बरामद की हैं. प्रकरण में ऐसा कोई प्रमाण नहीं दिया गया है कि यह राशि अभियुक्त डॉ0 आलोक शुक्ला की नागरिक आपूर्ति निगम में पदस्थापना अवधि के दौरान राइस मिलर्स से अवैध रूप से वसूल की गई थी, इसलिये इस राशि का संबंध अभियुक्त डॉ0 आलोक शुक्ला से नहीं जोड़ा जा सकता.

10.3. अभियोजन ने नागरिक आपूर्ति निगम में जमा किए गए चावल की क्वालिटी के संबंध में अनेक सैंपल एकत्रित किए है तथा उनकी क्वालिटी खराब होने के संबंध में साक्ष्य दिये हैं. चावल के सैंपल चावल उपार्जन के लंबे समय के बाद लिये गए जसके कारण भंडारण के दौरान भी इनकी गुणवत्ता चाराब होने की संभावना है, सैंपल निर्धारित विधि से नही लिये गए, सैंपल लेने के बाद निर्धारित विधि से सुरक्षित नहीं किए गए और इनकी जांच भी निर्धारित विधि से नहीं की गई और इसके बाद भी अधिकांश सैंपल निर्धारित गुणवत्ता के पाये गए हैं. इस कारण इन सैंपलों से कम गुणवत्ता का चावल उपार्जित किया जाना प्रमाणित नहीं होता है. इसके अतिरिक्त अभियुक्त डॉ0 आलोक शुक्ला पर कम गुणवत्ता के चावल उपार्जन का आरोप भी नहीं है, इसलिये इन सैंपलों का संबंध अभियुक्त डॉ0 आलोक शुक्ला से नहीं है.

10.4. अभियोजन ने नमक की क्वालिटी के संबंध में अनेक सेंपल लेकर उनकी जांच कराई है. बहुत से सैंपल नमक उपार्जन से 6 माह की अवधि के बाद के होने के कारण एक्सपायरी डेट के बाद के हैं, सैंपल निर्धारित विधि से नहीं लिए गए हैं, तथा सैंपलों को निर्धारित विधि से सुरक्षित भी नहीं रखा गया, और इसके बाद भी अधिकांश सैंपलों में सही गुणवत्ता का नमक पाया गया है, इसलिये कम गुणवत्ता के नमक के उपार्जन का आरोप प्रमाणित नहीं होता है. इसके अतिरिक्त अभियुक्त डॉ0 आलोक शुक्ला पर नमक के संबंध में भी कोई आरोप भी नहीं है.

10.5. अभियोजन ने नमक के कम वज़न के पैकेट स्वीकार करने तथा उनका ठीक प्रकार से सेग्रिगेशन नहीं करने के संबंध में भी साक्ष्य प्रस्तुत किए हैं, परन्तु नमक के संबंध में अभियुक्त डॅ0 आलोक शुक्ला पर कोई आरोप नहीं हैं, और यह घटना भी अभियुक्त डॉ0 आलोक शुक्ला के नागरिक आपूर्ति निगम में पदभार ग्रहण करने के पूर्व की है.

10.6. अभियोजन ने नमक और चावल के अनावश्यक परिवहन के साक्ष्य भी प्रस्तुत किए हैं, जो न्यायालय में सक्षियों के कथनो से झूठे प्रमाणित हैं. इसके अतिरिक्त अभियुक्त डॉ0 आलोक शुक्ला पर अनावश्यक परिवहन का आरोप भी नहीं है.

10.7. साक्ष्य में प्रस्तुत नागरिक आपूर्ति निगम की बैलेंस शीट से प्रमाणित है कि नागरिक आपूर्ति निगम को हानि होने का आरोप झूठा है, उल्टा उस अवधि में नागरिक आपूर्ति निगम को सबसे अधिक लाभ हुआ था. इसके अतिरिक्त अभियुक्त डॉ0 आलोक शुक्ला पर नागरिक आपूर्ति निगम को हानि पहुंचाने एवं आपराधिक न्यास भंग करने का आरोप भी नहीं है.

11. **<u>अवैध वसूली के संगठित भ्रष्टाचार तंत्र में सहमत होकर आपराधिक षडयंत्र करने का आरोप भी प्रमाणित नहीं हुआ है</u>** - आपराधिक षडयंत्र का आरोप प्रमाणित करने के लिये किसी आपराधिक कृत्य को करने या कोई कृत्य आपराधिक रूप से करने में आपसी सहमति प्रमाणित करना आवश्यक है. माननीय न्यायालय व्दारा अभियुक्त डॉ0 आलोक शुक्ला के विरुध्द विरचित प्रथम आरोप कहा गया है कि अभियुक्त डॉ0 आलोक शुक्ला ने प्रकरण के अन्य सह-अभियुक्तों के साथ मिलकर, राइस मिलर्स से अवैध धन राशि की वसूली के संगठित भ्रष्टाचार तंत्र में सहमत होकर आपराधिक षडयंत्र किया. इस आरोप में राइस मिलर्स से अवैध वसूली के अतिरिक्त अन्य किसी प्रकार के आपराधिक कृत्य में सहमति की बात नहीं कही गई है. ट्रायल में अभियोजन ने राइस मिलर्स से अवैध वसूली के संबंध में अभियुक्त डॉ0 आलोक शुक्ला की किसी भी सह-अभियुक्त के साथ बातचीत होने का या अन्य किसी प्रकार की सहमति होने का कोई साक्ष्य नहीं दिया गया है. केवल यह कहा गया है कि क्योंकि राइस मिलर्स से अवैध वसूली की राशि में से अभियुक्त डॉ0 आलोक शुक्ला ने हिस्सा प्राप्त किया इसलिये उसकी सहमति इस आपराधिक कृत्य में थी. परन्तु प्रकरण में राइस मिलर्स से कोई अवैध मांग की जाना या अवैध वसूली किया जाना ही प्रमाणित नहीं हुआ है. जब आपराधिक कृत्य हुआ ही नहीं तो उसमें सहमति का प्रश्न ही नहीं है. इसके अतिरिक्त अभियुक्त **डॉ0 आलोक शुक्ला के व्दारा किसी भी प्रकार की अवैध राशि अभिप्राप्त किया जाना प्रकरण में प्रमाणित नहीं हुआ है**, जिसके बारे में इन तर्कों के आगे के पैराग्राफ्स में विस्तार से स्पष्ट किया गया है. अत: अभियुक्त डॉ0 आलोक शुक्ला का किसी भ्रष्टाचार के षडयंत्र में शामिल होना प्रमाणित नहीं हुआ है.

12. **<u>अभियुक्त डॉ0 आलोक शुक्ला के विरुध्द कथन करने वाले एकमात्र साक्षी, अ.सा.क्र.-142 गिरीश शर्मा अविश्वसनीय तो है ही, पूरी तरह से झूठा भी प्रमाणित है, क्योंकि</u>-**

12.1. **<u>उसको ई.ओ.डब्ल्यू/एसीबी व्दारा अवैध रूप से उपकृत करके झूठा गवाह बनाया गया</u>** -

12.1.1. एफ.आईआर. 09/2015 में गिरीश शर्मा का नाम अभियुक्त क्रमांक-8 के रूप में दर्ज है. बाद में **जब दिनांक 06-06-2015 को माननीय न्यायाल में चार्ज शीट प्रस्तुत की गई तब गिरीश शर्मा का नाम अभियुक्तों की सूची से हटाकर गवाहों की सूची में डाल दिया गया.**

12.1.2. यद्यपि अभियोजन का कहना है कि दिनांक 12-02-2015 को नागरिक आपूर्ति निगम के मुख्यालय में छापे में 20 लाख रुपये की नकद राशि अ.सा.क्र.-142-गिरीश शर्मा से ही बरामद हुई थी परन्तु फिर भी उसे चार्जशीट में अभियुक्त नहीं बनाया गया है.

12.1.3. दिनांक 12-02-2015 को ही ई.ओ.डब्ल्यू./ए.सी.बी. ने गिरीश शर्मा के निवास पर भी छापा मारा था जिसमें अनुपातहीन संपत्ति बरामद हुई थी, परन्तु इस छापे का और इसमें जप्त संपत्ति का जिक्र तक ई.ओ.डबल्यू./ए.सी.बी. ने इस प्रकारण की फानल रिपोर्ट में नहीं किया और प्रारंभ में **गिरीश शर्मा के विरुध्द अनुपातहीन संपत्ति का प्रकरण भी नहीं बनाया.** बहुत बाद में मीडिया और आम जनता के दबाव के फलस्वरूप गिरीश शर्मा के विरुध्द अनुपातहीन संपत्ति का प्रकरण बनाया गया.

12.2. **<u>गिरीश शर्मा को माननीय न्यायालय की अनुमति लेकर धारा 306 दं.प्र.सं के अंतर्गत एप्रूवर बनाये बिना इसलिये गवाह बनाया गया, जिससे उसपर अभियोजन की तलवार लटकती रहे और वह ई.ओ.डबल्यू./ए.सी.बी. के अधिकारियो से डरता रहे</u>** -

12.2.1. माननीय सर्वोच्च न्यायालय में क्रिमिनल अपील क्रमांक 339-340/2017 में गिरीश शर्मा एवं 2 अन्य को धारा 306 दं.प्र.सं. के अंर्तगत एप्रूवर न बनाये जाने का करण बताते हुए एडीशनल सालीसिटर जनरल श्री तुषार मेहता ने यही बात माननीय सर्वोच्च न्यायालय में भी कही है कि इन तीनो के विरुध्द अभियोजन की कार्यवाही कभी भी की जा सकती है. यह बात माननीय न्यायालय के आदेश में पैराग्राफ 4 में उल्लेखित भी की गई है. श्री तुषार मेहता ने माननीय सर्वोच्च न्यायालय में कहा था - ''It was further submitted that the said three appellants could be separately and subsequently prosecuted in the absence of any immunity granted to them in terms of Section 306 CrPC.''

12.2.2. माननीय सर्वोच्च न्यायालय व्दारा रिमांड किया जाने पर प्रकरण की सुनवाई के बाद माननीय **छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय में भी यह कहते हुए गिरीश शर्मा को उस समय धारा 319 दं.प्र.सं. के तहत अभियुक्त बनाने से यह कहकर इंकार किया था कि क्योंकि प्रकरण में साक्ष्य अंकि करना अभी प्रारंभ ही हुआ है इसलिये धारा 319 के तहत इन्हें अभियुक्त के रूप में समन करने की स्टेज अभी नहीं आई है. इसका तात्पर्य भी यही हुआ कि बाद की स्टेज में गिरीश शर्मा को अभियुक्त के रूप में समन किया जा सकता है**. CRR No. 403 of 2016 में माननीय छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के आदेश का पैराग्राफ 50 अवलोकनीय है-

Further in case of Hardeep Singh Vs. State of Punjab (2014) 3 SCC 92, the Constitutional Bench while interpreting the 35 provisions of Section 319 has held that the Court can exercise the power to summon any person by virtue of Section 319 of CrPC, only after the trial proceeds and commences with recording of evidence. In the facts of present case, invoking the provisions of section 319 CrPC, has not occasioned. The similar situation was also considered by Hon'ble the Supreme Court while passing the order of remand. Consequently, since the recording of statements of witnesses have started, section 319 CrPC, will not be applicable at this stage.

12.3. इस संबंध में CRIMINAL APPEAL NO. 1837 OF 2013 C.B.I vs Ashok Kumar Aggarwal & Anr on 22 November, 2013 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय दिनांक 22 नवंबर 2014 का पैराग्राफ 8 अवलोकनीय है–

“8. In Laxmipat Choraria & Ors. v. State of Maharashtra, AIR 1968 SC 938, this Court while dealing with a similar issue under the provisions of the old Code, after placing reliance on the judgment in Charlotte Winsor v. Queen, (1866) 1 QB 308 observed as under:

To keep the sword hanging over the head of an accomplice and to examine him as a witness is to encourage perjury. Perhaps it will be possible to enlarge Section 337 to take in certain special laws where accomplice testimony will always be useful and witness will come forward because of the conditional pardon offered to them.”

12.4. **<u>गिरीश शर्मा के न्यायालयीन कथनों से भी स्पष्ट है कि उसने ई.ओ.उब्ल्यू./ए.सी.बी. के अधिकारियों के व्दारा सिखाए-पढ़ाए अनुसार कथन किए है</u>** -

12.4.1. अभियोजन साक्षी क्रमांक-142 गिरीश शर्मा का कथन न्यायालय में दिनांक 31/08/2019, दिनांक 07/09/2019 एवं दिनांक 17.06.2022 को हुआ था एवं **उसका मुख्य परीक्षण तथा प्रतिपरीक्षण दोनो पूरे हो चुके थे. इन कथनों में उसने टेनीफोन इंटरसेप्शन के बारे में कुछ भी नहीं कहा था**. अचानक दिनांक 01.07.2022 को अभियोजन साक्षी क्रमांक-142 गिरीश शर्मा ने पुन: माननीय न्यायालय में उपस्थित होकर निवेदन किया कि वह दिनांक 17.06.2022 को वह अंत:रोधन से की गयी

कथित रिकार्डिंग के बारे में बताना भूल गया था इसलिये इस कथित रिकार्डिंग की पेन ड्राइव पी.डी.-1 एवं पी.डी.-2 को न्यायालय के समक्ष चलाकर उसमें संकलित आवाज की पहचान गिरीश शर्मा से करायी जाये, और प्रदर्श पी -330 एवं पी-331 के साथ संलग्न लिप्यांतरणों को भी गिरीश शर्मा से प्रदर्श अंकित कराया जावे.

12.4.2. गिरीश शर्मा का कथन विश्वास के योग्न न होने के साथ साक्ष्य में ग्राह्य भी नहीं है. उसके न्यायालयीन कथन के पैराग्राफ 82 एवं 84 अवलोकनीय हैं-

82 - यह कहना सही है कि दिनांक 07/08/2019 को मेरे द्वारा दिए गए न्यायालयीन साक्ष्य को पढ़कर मैंने उस पर अपना हस्ताक्षर किया था. साक्षी से यह पूछे जाने पर कि उक्त दिनांक को प्रकरण से संबंधित सारी बातें जितनी वह जानता था, उसने बता दी थी अथवा कुछ बातें छुपाई थीं, साक्षी का कथन है कि **उसे जितनी बातें याद थी, वे उसने बता दी थीं, जैसा कि सरकारी वकील साहब ने पूछा था और जो नहीं पूछा था वह मैं नहीं बता पाया था**.

84 - यह कहना सही है कि दिनांक 07/09/2019 को भी मैंने न्यायालय में कुछ महत्वपूर्ण बातें छूट जाने के संबंध में कोई निवेदन नहीं किया था और उक्त दिनांक को मेरा साक्ष्य पूर्ण हो गया था. साक्षी स्वत: कथन किया कि **मेरे पूरे बयान की नकल निकलवाने के पश्चात मुझे मालूम हुआ कि कुछ महत्वपूर्ण बातें छूट गई हैं. उन महत्वपूर्ण बातों को न्यायालय के समक्ष किस प्रकार से लाना है इस संबंध में विधिक सलाह हेतु में अधिवक्ता के पास गया**.

12.5. <u>अकम्पलिस (सह-अपराधी) होने के कारण भी गिरीश शर्मा का साक्ष्य विश्वसनीय नहीं है</u> -

12.5.1. भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 114 के दृष्टांत (ख) में स्पष्ट उल्लेख है कि -

(ख) सह-अपराधी विश्वसनीयता के अयोग्य है, जब तक कि तात्विक विशिष्टियों में उसकी सम्पुष्टि नहीं होती.

12.5.2. इस संबंध में CRIMINAL APPEAL NO. 1837 OF 2013 C.B.I vs Ashok Kumar Aggarwal & Anr on 22 November, 2014 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय दिनांक 22 नवंबर 2014 के पैराग्राफ 11 में निर्णीत किया है कि -

“11. Section 114 Illustration (b) and Section 133 of the Indian Evidence Act, 1872 provide for the same that an accomplice is a competent witness and that his testimony can be relied upon but depending upon the quality of the evidence. While Section 133 reads that Accomplice is a competent witness and a conviction can be

maintained on his evidence, **illustration (b) of Section 114 provides for presumption that an accomplice is unworthy of credit, unless is corroborated in material particulars. Thus, in practice conviction of a person on such evidence should not take place except under very rare and exceptional circumstances. Usually, substantial corroboration is required. This provision incorporates a rule of caution to which the court must have regard.** (Vide: Sheikh Zakir v. State of Bihar, AIR 1983 SC 911; Niranjan Singh v. State of Punjab, AIR 1996 SC 3254; and State of Tamil Nadu v. Suresh & Anr., AIR 1998 SC 1044)."

12.6. **<u>अभियोजन साक्षी क्रमांक 142 - गिरीश शर्मा के धारा 161, धारा 164 दं.प्र.सं. एवं न्यायालयीन बयानों में इंप्रूवमेंट एवं कांट्राडिक्शन भी उसे झूठा प्रमाणित करते हैं</u>** -

12.6.1. एक ओर तो गिरीश शर्मा ने कहा है कि 20 लाख रुपये की जो अवैध नकद राशि उससे जप्त की गई थी उसमें से 10 लाख रुपये वह अभियुक्त डॉ0 आलोक शुक्ला को और 10 लाख रुपये अभियुक्त अनिल टुटेजा को देने वाला था. दूसरी ओर उसने अपने न्यायालयीन कथन के पैराग्राफ 15, 42, 44 एवं 98 कह दिया कि उसे इस राशि के स्रोत के बारे में और नागरिक आपूर्ति निगम में भ्रष्टाचार के बारे में जानकारी ही नहीं थी -

15/ यह कहना सही है कि मैने प्रतिउत्तर प्रडी-14 की कंडिका-8 में यह लेख किया है कि 20,00,000/- की राशि मेरी व्यक्तिगत राशि नहीं थी, **20,00,000/-शासकीय है या नहीं इसकी मुझे जानकारी नहीं है**.

42/ यह कहना सही है कि मैने प्रडी-14 के जवाब में नान के मुख्यालय में अवैध राशि वसूली के संबंध में कोई जानकारी का लेख नहीं किया है. गवाह ने स्वतः कहा चूंकि मुझसे कार्यालय से जप्त 20,00,000/- के बारे में ही आरोप लगाया था इसलिये मैने 20,00,000/- किसने किसलिये दिये उससे सबंधित जवाब अपने स्पष्टीकरण में दिया था. यह कहना सही है कि दिनांक 12.02.15 को मैं **कार्यालय से जो 20,00,000/- मुझसे जप्त होना बता रहा हूं वह पैसा शासकीय था या किसी का निजी था इस बात की मुझे दिनांक 12.02.15 तक जानकारी नहीं थी**.

44/ यह कहना सही है कि दिनांक 12.02.15 को मैने एसीबी वालों को तथाकथित 20,00,000/- के बारे में यही जानकारी दी थी कि उक्त 20,00,000/-शासकीय है या निजी इसकी मुझे जानकारी नहीं है. यह कहना सही है कि यदि मुझे दिनांक 12.02.15 को इस बात की जानकारी हुई थी कि तथाकथित जप्त 20,00,000/- अवैध संग्रहण राशि है तो मैं एसीबी वालों को तत्काल इसकी जानकारी देता और विभाग को दिये गये स्पष्टीकरण में भी इस बात का उल्लेख करता. यह कहना सही है कि **यदि मुझे**

दिनाकं 06.04.15 तक विभाग में अवैध संगह्र की जानकारी होती तो मैं इसकी जानकारी अपने स्पष्टीकरण में देता. गवाह ने स्वतः कहा कि दिनांक 12.02.15 के पूर्व मुझे विभाग मे अवैध संग्रहण किये जा रहे होने की जानकारी नहीं थी एवं विभाग से मुझसे स्पष्टीकरण में केवल जप्त 20,00,000/- का स्पष्टीकरण मांगा गया था इसलिये मैने अतिरिक्त बातों का उल्लेख नहीं किया.

98 - यह कहना सही है कि दिनांक 13/02/2015 को मैंने उक्त अधिकारियों को यह बताया था कि नान में **दिनांक 12/02/2015 के पूर्व के किसी भ्रष्टाचार की जानकारी मुझे नहीं है**. आज मुझे याद नहीं है कि दिनांक 14/02/2015 को मुझसे पुनः पूछताछ की गई थी या नहीं. मुझे इसकी जानकारी नहीं है कि दिनांक 14/02/2015 के बयान की वीडियो रिकॉर्डिंग करवाई गई थी या नहीं. **यह कहना सही है कि दिनांक 14/02/2015 को मैंने बताया था कि मुझे नान के भ्रष्टाचार की कोई जानकारी नहीं है**.

12.6.2. गिरीश शर्मा ने **अपने न्यायालयीन कथन में कहा है कि अवैध वसूली का आभास उसे एस.एस. भट्ट एवं मिलर्स की फोन पर बातचीत सुनने से हुआ**. यह तो हियरसे होने के कारण साक्ष्य में ग्राह्य ही नहीं है. उसके न्यायालयीन कथन का पैराग्राफ 26 अवलोकनीय है.

26/ .... साक्षी से यह पूछे जाने पर कि आप जो मिलर्स से वसूली की जानकारी होना बता रहे हैं वह जानकारी आपको कब और किससे हुई इस पर साक्षी का कहना है कि मुझे उक्त जानकारी एसएस भटट के मिलर्स से फोन पर बातचीत को सुनने एवं प्रबंध संचालक व्दारा फोन पर बातचीत के दौरान सुनने से जो आभास हुआ उससे हुई. साक्षी से यह पूछे जाने पर कि आप जो उक्त फोन पर बातचीत को सुनकर जानकारी होना बता रहे हैं वह जानकारी आपको कब-कब किस-किस के फोन से बातचीत के दौरान हुई इस पर साक्षी का कहना है कि मैं कोई तारीख व किस-किस की बातचीत हुई इस संबंध में नहीं बता सकता.

12.6.3. गिरीश शर्मा से जप्त कथित पेन ड्राइव में अप्रेल-मई-जून 2014 की अनेक एंट्रियां है जिनके बारे उसने अपने धारा 161 एवं 164 दं.प्र.सं. के कथनों में कुछ नहीं कहा था. क्योंकि इस अवधि में अभियुक्त डॉ0 आलोक शुक्ला एवं अनिल टुटेजा की पदस्थापना ही नागरिक आपूर्ति निगम में नही हुई थी इसलिये इनके बारे में न्यायालय में पूछा जाने पर उसने **झूठ कह दिया कि इन महीनों का पैसा उमेश अग्रवाल की अवधि का था, परन्तु अनिल टुटेजा की नियुक्ति के बाद आया था और इन एन्ट्रियों के बारे में उसने ई.ओ.डब्ल्यू. में बता दिया था, उन्होने क्यों नहीं लिखा वह नहीं बता सकता**. उसके न्यायालयीन कथन का पैराग्राफ 30 अवलोकनीय है-

30/ यह कहना सही है कि अप्रेल-मई-जून-2014 के वसूली से संबंधित जानकारी एसीबी को मेरे पेनड्राइव के डाटा के माध्यम से हुई थी. गवाह ने स्वतः कहा कि पेनड्राइव में जो डाटा था उसे प्रबंध संचालक महोदय व्दारा मुझसे लिखवाया गया था, पूर्व में जो एमडी उमेश अग्रवाल थे उनके अवधि का जो पैसा एमडी अनिल टुटेजा के नियुक्त होने के बाद आया उसका हिसाब एमडी अनिल टुटेजा ने मुझसे लिखवाया था. मुझसे एसीबी वालों ने 3-4 बार पूछताछ कर बयान लिया था. मेरा मजिस्ट्रेट न्यायालय में भी बयान कराया गया था. साक्षी से यह पूछे जाने पर कि आपने जो पेनड्राइव में पूर्व एमडी उमेश अग्रवाल के अवधि का पैसा एमडी अनिल टुटेजा के नियुक्त होने के बाद आया और उसका हिसाब एमडी अनिल टुटेजा ने लिखवाया था यह बात आपने एसीबी को बयान देते समय बता दी थी क्या इस पर साक्षी का कहना है कि मैने यह बात बतायी थी लेकिन एसीबी वालों ने यह बात लिखी थी या नहीं इस बात की मुझे जानकारी नहीं है. यह कहना गलत है कि उक्त बात मैं आज न्यायालय में पहली बार बता रहा हूं आज से पहले मैने उक्त बात किसी को नहीं बतायी. गवाह ने स्वतः कहा कि ईओडब्ल्यू में बतायी थी.

12.6.4. उससे जप्त पेन ड्राइव की एंट्रियों के बारे में उसने न्यायालय में कहा है कि यह एंट्रियां उसने केवल प्रबंध संचालक व्दारा नोट कराये जाने पर की थीं और इन एंट्रियों से संबंधित अधिकांश लेन-देन उसके समक्ष नहीं हुए थे. उसके न्यायालयीन कथन का पैराग्राफ 48 अवलोकनीय है -

48/ यह कहना गलत है कि प्रपी-251ए के चारों पन्नों में उल्लेखित हिसाब के बारे में एसीबी व्दारा पूछने पर मैं उल्लेखित हिसाब स्पष्ट करने में असमर्थ रहा था। **गवाह ने स्वतः कहा कि मैने एसीबी को, प्रत्येक प्रविष्टि के हिसाब के संबंध में प्रबंधक संचालक व्दारा नोट कराये जाने पर लिखा जाना बताया था**. साक्षी से यह पूछे जाने पर कि प्रपी-251ए के चारों पृष्ठों में उल्लेखित तथाकथित हिसाब का लेनदेन आपके समक्ष नहीं हुआ है इस पर साक्षी का कहना है कि पृष्ठ क्रमांक-1 में उल्लेखित 15,000/-सर्किट हाउस, 7,000/-आईसीएच, द्वितीय पृष्ठ पर 30,000/- मेंदाता का बिल, 15,000/- ओ.एस. चौरसिया का बेबीलोन का बिल मैने स्वयं जाकर जमा किया था इसलिये मेरी जानकारी में है, शेष में से दो-चार लेनदेन और मेरी जानकारी में हो सकते हैं **बाकी का लेनदेन मेरे सामने नहीं हुआ केवल नोट कराया गया**. साक्षी से यह पूछे जाने पर कि आपने जो उक्त राशियां स्वंय जाकर देना बताये हैं उसका बिल आपको प्राप्त हुआ था इस पर साक्षी का कहना है कि मेंदाता और बेबीलॉन का बिल प्राप्त होना याद आता है शेष का याद नहीं है.

12.6.5. गिरीश शर्मा ने न्यायालयीन कथन के पैराग्राफ 49 में कहा है कि, उससे जप्त बिल शासकीय हिसाब-किताब से संबंधित थे या निजी थे इसकी जानकारी तक उसे नहीं है-

49/ साक्षी से यह पूछे जाने पर कि उक्त बिलों का भुगतान शासकीय था या अशासकीय इस बात की मुझे जानकारी नहीं है.........यह कहना सही है कि प्रपी-251ए के पन्नों में उल्लेखित कुछ हिसाब के बिल मुझसे जप्त हुये थे. **मैं यह नहीं बता सकता कि मुझसे जप्त हुये बिल शासकीय हिसाब-किताब से संबंधित थे या निजी थे**.

12.6.6. गिरीश शर्मा ने अपने धारा 161 दं.प्र.सं. के बयान में कहा था कि कार्यालय के शेष अधिकारियों/कर्मचारियों की तरह उसे भी अवैध कलेक्शन में से हिस्सा मिलता था, परन्तु उसने न्यायालय में अपना बयान बदल दिया. उसके न्यायालयीन कथन का पैराग्राफ 52 अवलोकनीय है-

52/ यह कहना सही है कि मैने मजिस्ट्रेट न्यायालय मे बयान देते समय यह नहीं बताया था कि अवैध राशि में से मुझे भी हिस्सा मिलता था. गवाह ने स्वतः कहा कि मुझे कभी भी अवैध राशि में से कोई हिस्सा नहीं मिला. **मैने दिनांक 18.02.15 को एसीबी वालों को बयान देते समय यह नहीं बताया था कि कार्यालय के शेष अधिकारियों/कर्मचारियों की तरह मुझे भी कुछ पैसे मिल जाते हैं, यदि उक्त बात मेरे पुलिस बयान प्रडी-15 में लिखी हो तो मैं कारण नहीं बता सकता**.

12.6.7. गिरीश शर्मा ने अपने न्यायालयीन कथन के पैराग्राफ 141 एवं 142 में स्वीकार भी किया है कि उसने अपने धारा 164 दं.प्र.सं. के बयान में शिवशंकर भट्ट से 40 लाख एवं 20 लाख रुपये प्राप्त करके राजू और सौरभ को देने की बात झूठ कही थी-

141 - **यह कहना सही है कि मैंने राजू को 40 लाख रुपए और सौरभ को 20 लाख रुपए देने हेतु राशि शिव शंकर भट्ट से प्राप्त नहीं की थी. यह कहना सही है कि मैंने प्रदर्श डी-15 के बयान के समय यह बताया था कि मेरे द्वारा शिव शंकर भट्ट से राशि प्राप्त कर राजू और सौरभ को पैसा देने की बात बताई थी.** स्वत: कहा कि पेनड्राइव में मेरे द्वारा किया गया तत्संबंध में इंद्राज की प्रति उक्त बयान देते समय मेरे पास नहीं थी इसलिए वैसा बताया गया बताया था.

142 - यह कहना सही है कि धारा 164 के बयान प्रदर्श पी-316 में मैने यह नहीं बताया है कि मैंने शिव शंकर भट्ट से राशि प्राप्त कर राजू को 40 लाख रुपए और सौरभ को 20 लाख रुपए दिए थे. स्वत: कहा कि दोनों बयान के समय मुझे जो याद था वह बात मैंने बता दी थी.

12.6.8. अभियोजन साक्षी क्रमांक 142 - गिरीश शर्मा ने अपने न्यायालयीन कथन के पैराग्राफ 144 में स्वीकार किया है कि उससे **प्रदर्श पी.58सी से 58एफ को छोड़कर उससे जप्त किए सारे बिल नागरिक आपूर्ति निगम के नाम से हैं और उससे जप्त फोन बिल भी शासकीय फोन कनेक्शन का है जिसका भुगतान शासन व्दारा ही किया जाता है**. उसकी इस स्वीकारोक्ति से कथित अवैध राशि से बिलों के भुगतान का आरोप झूठा सिध्द हो गया है-

144 - यह कहना सही है कि प्रदर्श पी-58सी से 58एफ तक के अतिरिक्त जितने बिल हैं वे सभी नागरिक आपूर्ति निगम के नाम से हैं. यह सही है कि प्रदर्श पी-58एडब्ल्यू. में उल्लेखित फोन कनेक्शन शासकीय है. यह सही है कि शासकीय फोन कनेक्शन के बिल का भुगतान शासन के द्वारा की जाती है.

12.6.9. अभियोजन साक्षी क्रमांक 142 - गिरीश शर्मा ने अपने न्यायालयीन कथन के पैराग्राफ 150 में यह भी स्वीकार कर लिया है कि उसने जो सर्किट हाउस, आई सी एच, वेदांता और ओ.एस. चौरसिया का बेबीलॉन बिल भुगतान करने का कथन न्यायालय में किया है उससे संबंधित कोई बिल न्यायालय में उसे नहीं दिखाये गए और उसे याद भी नहीं है कि ऐसे कोई बिल उसने एसीबी वालों को दिये थे. इससे यह सिध्द है कि इन कथित बिलों का भुगतान गिरीश शर्मा व्दारा नहीं किया गया-

150 - ....**यह कहना सही है कि मेरे द्वारा सर्किट हाउस, आई सी एच, वेदांता और ओ.एस. चौरसिया का बेबीलॉन बिल मुझे न्यायालय के समक्ष नहीं दिखाया गया. मुझे आज याद नहीं है कि उपरोक्त चारों बिल मैंने ए.सी.बी. वालों को दिया था अथवा नहीं**.

12.6.10. अभियोजन साक्षी क्रमांक 142 - गिरीश शर्मा से जप्त दस्तावेज़ों में स्वयं उसके नाम के आगे भी धन प्राप्त करने की प्रविष्टियां है, जिसके संबंध में उसने अपने कथन में पूरी तरह से अविश्वसनीय स्पष्टीकरण दिया है कि वह **दूसरों के लिये जो धन प्राप्त करता था उसकी प्रविष्टि अपने नाम के आगे कर लेता था**.

12.6.11. अभियोजन साक्षी क्रमांक 142 - गिरीश शर्मा ने अपने न्यायालयीन कथन में अरविंद सिंह ध्रुव से दिनांक 12-02-2015 को अवैध धन प्राप्त करना बताया है, परन्तु **अरविंद सिंह ध्रुव ने उसे किसी भी प्रकार की राशि देने से इंकार किया है**. अन्य किसी भी व्यक्ति ने भी गिरीश शर्मा को कोई अवैध राशि देना स्वीकार नहीं किया है. इसलिये गिरीश शर्मा का इस बारे में कथन असत्य है.

12.6.12. अभियोजन साक्षी क्रमांक 142 - गिरीश शर्मा ने अपने न्यायालयीन कथन में अभियुक्तों के लिये एवं उनके निदेर्श पर **थानूराम अनंत, डॉ0 आनंद दुबे, यश टुटेजा,**

संतोष तिवारी, आदि को अवैध धनराशि देने का कथन किया है, परन्तु इन सभी ने अपने न्यायालयीन कथनों में गिरीश शर्मा से कोई भी अवैध राशि प्राप्त करने से साफ इंकार किया है. अत: गिरीश शर्मा व्दारा इन लोगों को अभियुक्तों के लिये एवं अभियुक्तों के निर्देश पर कोई भी अवैध राशि देने का कथन भी असत्य सिध्द है.

12.6.13. जिन बिलों का भुगतान अभियोजन साक्षी क्रमांक 142 - गिरीश शर्मा ने अपने न्यायालयीन कथन में स्वयं करना बताया है उसमें से कोई भी बिल न्यायालय में प्रस्तुत ही नहीं है. न्यायालय में प्रस्तुत गद्दे एपं परदे के एस्टीमेट, किराया भंडार का बिल, एवं एक एयर टिकिट का बिल जिनके भुगतान के लिये अवैध धनराशि से संतोष तिवारी को पैसा देने और स्वयं भुगतान करने का कथन गिरीश शर्मा ने किया है उन सभी के बारे में संबंधति दुकानो के मालिकों/मेनेजरों ने बिल की राशि सीधे अभियुक्त डॉ0 आलोक शुक्ला से ही प्राप्त होना बताया है, इसलिये इनके कथित अवैध राशि से भुगतान का आरोप झूठा सिध्द हो गया है. न्यायालय में प्रस्तुत अन्य सभी बिल शासकीय हैं, जिनका भुगतान भी शासकीय ही होता है, इसलिये गिरीश शर्मा व्दारा भुगतान किये जाने का प्रश्न ही नहीं है. विवेचकों ने इनमें से बिल का गिरीश शर्मा व्दारा भुगतान किये जाने का सत्यापन विवेचना में नहीं किया है.

12.6.14. अभियुक्त डॉ0 आलोक शुक्ला के लिये अवैध राशि ये बैंक ड्राफ्ट बनवाने का आरोप गिरीश शर्मा ने अपने कथन में लगाया है, परन्तु विवेचक ने इन बैंक ड्राफ्टों के बनने का सत्यापन बैंक से नहीं किया है. किसी बैंक अधिकारी का न्यायालय में कथन भी नहीं कराया गया है. किसी कथित बैंक ड्राफ्ट के अभियुक्त डॉ0 आलोक शुक्ला के लिये उपयोग किये जाने का भी कोई साक्ष्य नहीं दिया गया है. कथित रूप से बैंक ड्राफ्ट बनवाने वाले परमेश्वर नायक ने कहा है कि बैंक ड्राफ्टो के बारे में उसकी अभियुक्त डॉ0 आलोक शुक्ला से कभी कोई बात नहीं हुई और उसने बैंक ड्राफ्ट बनवाने के आवेदन पत्र में आवेदक के रूप में आलोक शुक्ला का नाम लिखकर आलोक शुक्ला के झूठे हस्ताक्षर गिरीश शर्मा के कहने पर किए थे और बैंक ड्राफ्ट बनवाकर उसने गिरीश शर्मा को ही दिए थे. इससे यह प्रामणित है कि अभियुक्त डॉ0 आलोक शुक्ला ने कोई बैंक ड्राफ्ट नहीं बनवाए, उसे कोई बैंक ड्राफ्ट नहीं मिले और अवैध राशि से बनवाए गए किसी बैंक ड्राफ्ट का उपयोग अभियुक्त डॉ0 आलोक शुक्ला के लिये नहीं किया गया.

12.6.15. **अभियोजन साक्षी क्रमांक 142 - गिरीश शर्मा ने अपने न्यायालयीन कथन के पैराग्राफ्स 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139 एवं**

140 में उसने स्वीकार किया है कि कथित अवैध लेन-देन का जो विवरण उसने न्यायालय में दिया है वह बातें उसने अपने पुलिस बयान एवं धारा 164 दं.प्र.सं. के बयान में नही बताई थीं.

13. **<u>दिनांक 12-02-2015 को छापे में गिरीश शर्मा से जप्त दिखाई गई 20 लाख रुपये की नकद राशि ई.ओ.डब्ल्यू./ए.सी.बी. के अधिकारियों ने आपराधिक रूप से प्लांट की थी</u>** - पूरे प्रकरण का आधार **ई.ओ.डब्ल्यू/ए.सी.बी. के अधिकारियों व्दारा आपराधिक रूप से प्लांट की गई और फर्जी तरीके से गिरीश शर्मा जप्त दिखाई गई यह तथाकथित 20 लाख रुपये की नकद राशि** ही है, जिसके संबंध में ई.ओ.डब्ल्यू./ए.सी.बी. के अधिकारियो ने गिरीश शर्मा का झूठा कथन अंकित कराया है कि वह इस जप्त नकद राशि में से 10 लाख रुपये की राशि अभियुक्त डॉ0 आलोक शुक्ला को एवं 10 लाख रुपये की राशि अभियुक्त अनिल टुटेजा को देने वाला था. यह बात अभियोजन व्दारा न्यायालय में प्रस्तुत किए गए जप्ती के स्वतंत्र साक्षियों, विवचकों के न्यायालयीन कथनों एवं अन्य निम्नलिखित बातों से प्रमाणित है.

13.1. यह कि, जप्ती के गवाह स्वतंत्र गवाह, अभियोजन साक्षी क्रमांक 105 - रामनारायण राम के नयायलयीन कथन के पैराग्रॉफ 7, 8, 23 एवं 25 अवलोकनीय हैं. यह बात भी महत्वपूर्ण है कि अभियोजन साक्षी क्रमांक **105 रामनारायण राम को पक्ष विरोधी घोषित नहीं किया गया है इसलिये इस साक्षी का बयान अभियोजन पर बंधनकारी है** -

"7/ .... यह कहना सही है कि एसीबी वालो ने गिरीश शर्मा के कक्ष की तलाशी ली थी और तलाशी में गिरीश शर्मा के कक्ष से रकम बरामद नहीं हुई थी. यह कहना सही है कि **गिरीश शर्मा के कक्ष की तलाशी ली गयी और कोई रकम बरामद नहीं हुई तब देवस्थले साहब एक बैग हाथ में लेकर आये और बोले की यह बैग हॉल से मिला है इसमें 20 लाख रूपये हैं**."

"8/ .... यह कहना गलत है कि देवस्थले साहब वह बैग हॉल के किस स्थान से लाये थे यह मैंने नहीं देखा. गवाह ने स्वतः कहा कि **मिटिंग हॉल में जो टेबल डला था उस टेबल के नीचे से लाये थे**. साक्षी से यह पूछे जाने पर कि उस समय उस हाल मे कोई व्यक्ति था या खाली था इस पर साक्षी का कहना है कि उस समय वह हाल खाली था. यह कहना सही है कि **उस हाल के टेबल के नीचे की जगह जहां से बैग मिलना बता रहा हूं वह खुली जगह थी कोई बंद दराज आदि नहीं था, वहां कोई भी व्यक्ति बैग रख सकता है**."

"23/ .... **यह कहना सही है कि गिरीश शर्मा के कक्ष की तलाशी लेने पर गिरीश शर्मा के कक्ष से कोई रकम बरामद नहीं हुई. गवाह ने स्वत: कहा कि बाजू वाले हॉल से बरामद हुई थी**. यह कहना सही है कि मैं जिस हाल से रकम बरामद होना बता रहा हूं वह हॉल गिरीश शर्मा के कक्ष से जुड़ा हुआ नहीं है. वहां से हॉल जाने का कोई कनेक्टिंग रास्ता

नहीं है. साक्षी से यह पूछे जाने पर कि गिरीश शर्मा के कक्ष से हॉल में जाने का दरवाजा कितनी दूर है, इस पर साक्षी का कहना है कि गिरीश शर्मा के कक्ष से निकलकर 3-4 कदम बाद ही बाएं तरफ हॉल का दरवाजा है."

"25/ .... गवाह ने स्वत: कहा कि जब हाल में गए तब वहां यह बैग मिला. **यह कहना सही है कि गिरीश शर्मा के कक्ष में देवस्थले साहब ने आकर बताया था कि हाल में पैसा मिला है. यह कहना सही है कि देवस्थले साहब के बताने पर हम लोग हॉल में गए.** साक्षी से यह पूछे जाने पर कि हाल में पैसा कहां से मिला इस पर साक्षी का कहना है कि **बैंच के नीचे रखे काले मटमैले बैग में रखा हुआ पैसा मिला.**"

13.2. यह कि, जप्ती के स्वतंत्र गवाह, अभियोजन साक्षी क्रमांक 67 - एम.के राजपूत के नयायलयीन कथन का पैराग्रॉफ 17 भी अवलोकनीय हैं. यह बात भी महत्वपूर्ण है कि **अभियोजन साक्षी क्रमांक 67 - एम.के राजपूत को पक्ष विरोधी घोषित नहीं किया गया है इसलिये इस साक्षी का बयान अभियोजन पर बंधनकारी है** -

"17/ साक्षी से यह पूछे जाने पर कि आप जो गिरीश शर्मा से 20,00,000/- रु. बरामद होना बता रहे हैं वह रकम गिरीश शर्मा से किस स्थान से बरामद हुये इस पर **साक्षी का कहना है कि गिरीश शर्मा के कक्ष से लगे हालनुमा कक्ष से बरामद हुई थी .... यह कहना सही है कि गिरीश शर्मा के व्यक्तिगत कक्ष से कोई रकम बरामद नहीं हुई थी.**"

13.3. यह कि, अभियोजन साक्षी क्रमांक-164 रामप्रसाद यादव में भी अपने न्यायालयीन कथन के पैराग्राफ 2 में जप्ती के दोनो गवाहों के कथन की पुष्टि की है और इसके कथन का भी कोई रिबटल नहीं कराया गया है-

"2/ मैं सन् 2015 में नान कार्यालय में एम.डी. कार्यालय में एम.डी. अनिल टुटेजा साहब के पास कार्य करता था. सन् 2015 में ई.ओ.डब्ल्यू. व्दारा नान कार्यलय में छापा कार्यवाही की गयी थी और ई.ओ.डब्ल्यू. वाले गिरीश शर्मा के कक्ष में गयी थे उस समय मैं नान के कार्यलय में उपस्थित था, मुझे ईओडब्ल्यू वालों ने कक्ष से बाहर कर दिया था. ईओडब्ल्यू वालों ने गिरीश शर्मा से पूछताछ किया था और **नान कार्यालय के मीटिंग हाल से एक बैग लेकर आये थे.**"

13.4. यह कि, तत्कालीन विवेचक एवं कथित नकद राशि 20 लाख रुपये के जप्तीकर्ता अधिकारी अभियोजन साक्षी क्रमांक-159 श्री अशोक जोशी ने न्यायालय में दिये गये अपने कथन के पैराग्राफ 26, 27 एवं 28 में यह स्वीकार किया है कि कथित **जप्त नोटों को गिना नही गया था. कथित रूप से जप्त की गयी नकद राशि को मौके पर सीलबंद भी नही किया गया था**, और उसके बाद पूरी रात कथित रकम उन्होने अपनी कस्टडी में बिना सीलबंद

किये रखी थी. जप्तीकर्ता अधिकारी एवं तत्कालीन विवेचक अभियोजन साक्षी क्रमांक-159 श्री अशोक जोशी अपने न्यायालयीन कथन में यह भी कहा है कि उन्होने जप्त की गयी कथित **राशि बेंक में जमा करने के लिये कार्यालय के अकाउंटेंट को दे दी थी, जिसका नाम उन्हें याद नही है**.

26 - साक्षी से यह पूछे जाने पर कि क्या आपने गिरीश शर्मा से जप्त नोटों को गिना था, इस पर साक्षी का कहना है कि पृथक से नहीं गिना, वे नोट 100-100 की गड्डी में थे. उसे गिरीश शर्मा ने 20 लाख रुपए होना बताया था….………….यह कहना सही है कि प्र.पी.-251 में उल्लेखित में जप्त रकम, पेनड्राइव, कंप्यूटर प्रिंटआउट और एक मोबाइल को मेरे द्वारा मौके पर सीलबंद नहीं किया गया.

27 - साक्षी से यह पूछे जाने पर कि प्र.पी.-251 में उल्लेखित जप्त संपत्ति को दिनांक 12.02.2015 को कार्यालय वापस आकर कहां रखा और किसी को सौंपा क्या, इस पर साक्षी का कहना है कि मैंने अपनी कस्टडी में रखा. साक्षी से यह पूछे जाने पर कि जप्त नगद रकम को 12.02.2015 को आपने अपने कस्टडी में रखा था या किसी को सौंपा था, इस पर साक्षी का कहना है कि रात हो गई थी, इसलिए अपनी कस्टडी में रखा, और 13.02.2015 को पुलिस अधीक्षक से आदेश प्राप्त कर रकम को अकाउंटेंट को सौंपा था.

28 - …………साक्षी से यह पूछे जाने पर कि उक्त नोटों के बैंक में जमा कार्यवाही किसने की उसका नाम बताएं, इस पर साक्षी का कहना है कि अकाउंटेंट ने की थी, नाम आज याद नहीं है.

13.5. यह कि, प्रकरण के विवेचक अभियोजन साक्षी क्रमांक 170- श्री संजय दिनकर देवस्थले ने अपने न्यायालयीन कथन के पैराग्राफ 222, 223, 224 में स्वीकार किया है कि **वे नही बता सकते कि गिरीश शर्मा के कक्ष के किस स्थान से पैसों की जप्ती हुई थी**. उन्होने यह भी स्वीकार किया है कि **कथित नोटों के डिनॉमिनेशन और सीरियल नंबर भी नहीं लिखे गये थे**. उन्होने यह भी स्वीकार किया है कि कथित नोट उन्हें केस डायरी के साथ अशोक जोशी से प्राप्त नहीं हुये थे, और इन कथित नोटों को प्रकरण के साथ न्यायालय में प्रस्तुत भी नही किया गया है. विवेचक और अभियोजन साक्षी क्रमांक-170 श्री संजय देवस्थले ने अपने न्यायालयीन कथन में यह भी स्वीकार किया है कि उन्हें इस कथित जप्त राशि को बैंक में जमा करने के संबंध में माननीय न्यायालय से अनुमति लेने संबंधी कोई दस्तावेज़ केस डायरी के साथ प्राप्त नहीं हुआ था.

222 -………….मैं आज यह नहीं बता सकता कि गिरीश शर्मा के कक्ष के किस स्थान से पैसों की जब्ती की गई थी….………यह कहना सही है कि उक्त नोटों के नंबर किसी भी कागज में नोट नहीं किए गए थे.

223 - यह कहना सही है कि मुझे जब इस प्रकरण की विवेचना अशोक जोशी डीएसपी से प्राप्त हुई तब मुझे 20 लाख रुपए की रकम जिसे गिरीश वर्मा से जप्त होना बताया गया था, वह प्राप्त नहीं हुई थी. स्वत: कहा कि रकम को बैंक में जमा कर दिया गया था.

224 - यह कहना सही है कि 20 लाख रुपए की रकम बैंक में जमा करने के संबंध में माननीय न्यायालय से अनुमति लेने संबंधी कोई दस्तावेज मुझे केस डायरी के साथ प्राप्त नहीं हुआ था.

13.6. यह कि, उल्लेखनीय है कि **अभियोग पत्र की कंडिका 11 में विवेचक व्दारा जप्त संपत्ति के विवरण की सूची संलग्न की गयी है, जिसमें कुल 17 वस्तुओं की सूची है. यह भी उल्लेखनीय है कि इस सूची में गिरीश शर्मा से कथित रूप से जप्त 20 लाख रुपये को छोड़कर प्रकरण में अन्य सभी स्थानों से जप्त की गयी नकद राशि शामिल है. केवल गिरीश शर्मा से कथित रूप से जप्त की गयी 20 लाख रुपये की राशि इस सूची में शामिल नहीं की गयी है. पूरक अभियोग पत्र की कंडिका 11 में जो जप्त संपत्ति की सूची संलग्न है उसमें 26 वस्तुओं के नाम हैं, परन्तु इस सूची में भी गिरीश शर्मा से कथित रूप से जप्त 20 लाख रुपये की राशि शामिल नही है**. उपरोक्त से भी यह प्रमाणित है कि गिरीश शर्मा से 20 लाख रुपये की कोई राशि जप्त नहीं की गयी थी.

13.7. यह कि, यह भी उल्लेखनीय है कि **प्रकरण में 20 लाख रुपये को बैंक में जमा करने की कोई बैंक जमा पर्ची भी संलग्न नही है**. तत्कालीन विवेचक और जप्तकर्ता अधिकारी अभियोजन साक्षी क्रमांक-159 श्री अशोक जोशी ने अपने न्यायालयीन कथन के पैराग्राफ 27 में कहा है कि उन्होने दिनांक 12.02.2015 को गिरीश शर्मा से कथित जप्त राशि को रात में अपनी कस्टडी में रखा और दिनांक 13.02.2015 को एसीबी कार्यालय के अकाउंटेंट को बैंक में जमा करने के लिये दे दिया. परन्तु प्रकरण में दिनांक 13.02.2015 को बैंक में 20 लाख रुपये जमा करने की कोई बेंक जमा पर्ची संलग्न नही है. इस संबंध में स्पष्टीकरण देते हुये प्रकरण के विवेचक अभियोजन साक्षी क्रमांक-170 श्री संजय दिनकर देवस्थले ने अपने न्यायालयीन कथन के पैराग्राफ 367 में कहा है कि -

"376 - यह कहना सही है कि 20 लाख रुपए बैंक में जमा करने की पर्ची प्रकरण में पेश नहीं है. स्वतः कहा कि 20 लाख रुपए एवं गिरीश शर्मा के घर से जप्त राशि को मिलाकर 21,78,800/- रुपये बैंक में जमा करने की पर्ची पेश है. यह कहना सही है कि गिरीश शर्मा के घर से 1,78,800/- रुपये की जब्ती के संबंध में इस प्रकरण में कोई दस्तावेज पेश नहीं है. स्वत: कहा कि उक्त रकम की जब्ती से संबंधित दस्तावेज गिरीश शर्मा के विरुद्ध अनुपातहीन संपत्ति के प्रकरण में पेश किए गए हैं."

13.8. यह कि, यह भी उल्लेखनीय है कि गिरीश शर्मा के निवास से 1,78,800/- रुपये की नकद राशि जप्त करने का कोई साक्ष्य इस प्रकरण में नही दिया गया है और **21,78,800/- रुपये बैंक में जमा करने की जिस पर्ची का उल्लेख उपरोक्त पैराग्राफ में प्रकरण के विवेचक ने किया है उस पर्ची को इस प्रकरण में प्रदर्शित तक नही किया गया है, और न ही उस पर्ची को प्रमाणित करने के लिये जमाकर्ता अकाउंटेंट अथवा किसी बैंक अधिकारी के कथन कराये गये हैं**. ऐसी स्थिति में गिरीश शर्मा से कथित रूप से जप्त किसी राशि को बैंक में जमा करने का साक्ष्य भी प्रकरण में नहीं है.

13.9. यह कि, अभियोजन साक्षी क्रमांक-142 गिरीश शर्मा ने अपने न्यायालयीन कथन में इस कथित 20 लाख रुपये की नकद राशि के बारे में बड़ा गोलमोल और अविश्वसनीय बयान दिया है. उसके न्यायालयीन कथन के पैराग्राफ 15, 36, 42 एवं 44 अवलोकनीय हैं -

"15/ यह कहना सही है कि मैने प्रतिउत्तर प्रडी-14 की कंडिका-8 में यह लेख किया है कि 20,00,000/- की राशि मेरी व्यक्तिगत राशि नहीं थी, **20,00,000/- शासकीय है या नहीं इसकी मुझे जानकारी नहीं है**."

"36/ .... यह कहना सही है कि **जब नान के मुख्यालय मे एसीबी वालों ने मुझसे 20,00,000/-के बारे में पूछा तब मैने पहली बार 20,00,000/- की जानकारी से इंकार किया था**."

"42/ .... यह कहना सही है कि दिनांक 12.02.15 को मैं कार्यालय से जो 20,00,000/- मुझसे जप्त होना बता रहा हूं वह पैसा शासकीय था या किसी का निजी था इस बात की मुझे दिनांक 12.02.15 तक जानकारी नहीं थी."

"44/ .... **यह कहना सही है कि यदि मुझे दिनांक 12.02.15 को इस बात की जानकारी हुई थी कि तथाकथित जप्त 20,00,000/- अवैध संग्रहण राशि है तो मैं एसीबी वालों को तत्काल इसकी जानकारी देता और विभाग को दिये गये स्पष्टीकरण में भी इस बात का उल्लेख करता. यह कहना सही है कि यदि मुझे दिनाकं 06.04.15 तक विभाग में अवैध संगह्र की जानकारी होती तो मैं इसकी जानकारी अपने स्पष्टीकरण में देता**. गवाह ने स्वतः **कहा कि दिनांक 12.02.15 के पूर्व मुझे विभाग मे अवैध संग्रहण किये जा रहे होने की जानकारी नहीं थी** एवं विभाग से मुझसे स्पष्टीकरण में केवल जप्त 20,00,000/- का स्पष्टीकरण मांगा गया था इसलिये मैने अतिरिक्त बातों का उल्लेख नहीं किया."

14. दिनांक 12-03-2015 के छापे में, कथित रूप से गिरीश शर्मा से जप्त दिखाई गई 20 लाख रुपये की नकद राशि का अ.सा.क्र.-129 अरविंद सिंह ध्रुव के पास रखी अवैध कलेक्शन की राशि होना

और वह राशि छापे के कुछ ही समय पहले अ.सा.क्र.-129 अरविंद सिंह ध्रुव व्दारा अ.सा.क्र.-142 गिरीश शर्मा को लाकर देने का अभियोजन का आरोप भी निम्नलिखित से झूठा प्रमाणित है-

14.1. अ.सा.क्र.-129 अरविंद सिंह ध्रुव ने अपने न्यायालयीन कथन में इन आरोपों से साफ इंकार किया है. उसके न्यायालयीन कथन के पैराग्राफ 8 और 9 अवलोकनीय हैं-

8/ **यह कहना गलत है** कि उसके बाद दोपहर 12 बजे मैं नान में अटैच पूल वाहन से मोदहापारा अपने निवास स्थान आया था और गाड़ी को मस्जिद के पास खड़ी करके अपने भतीजे आशीष सिंह ध्रुव को फोनकर 20 लाख रुपये का बैग मंगवाया और आफिस लेकर आया. यह कहना गलत है कि आफिस पहुंचकर मैने शिवशंकर भट्ट के बताये अनुसार एमडी के पीए गिरीश शर्मा को बैग से निकालकर नोटों का बंडल दे दिया जो सभी नोट पांच-पांच सौ रुपये के थे. यह कहना गलत है कि मैने जो नोट गिरीश शर्मा को दिये थे वे नोट अनिल टुटेजा के थे.

9/ **यह कहना गलत है** कि उसके कुछ देर बाद नान के ऑफिस में एसीबी का छापा पड़ा और एसीबी वालों व्दारा पूछताछ करने पर मैने बताया था कि मैने शिवशंकर भट्ट के कहने पर एमडी साहब के लिये 20 लाख रुपये उनके पीए गिरीश शर्मा को दिया हूं.

14.2. **<u>इतना ही नहीं ई.ओ.डब्ल्यू./ए.सी.बी. के अधिकारियों ने फर्जी साक्ष्य गढ़ने और अ.सा.क्र.-129-अरविंद सिंह ध्रुव से दस्तावेज़ों में कूटरचित एन्ट्री कराने का आपराधिक कृत्य भी किया है.</u>** अ.सा.क्र.-129-अरविंद सिंह ध्रुव ने अपने न्यायालयीन कथन में पैराग्राफ 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 34 में बताया है कि ए.सी.बी. के अधिकारियों ने उसकी हस्तलिपि में डायरी तथा पर्चियों में झूठी एंट्रियां कराई गई थी. ए.सी.बी. के अधिकारियों व्दारा यह फर्जी एंट्रियां कराने का विस्त्रत विवरण उसने अपने न्यायालयीन कथन के मैराग्राफ 40 एवं 41 में दिया है-

40/ साक्षी से यह पूछे जाने पर कि एसीबी वालों ने आपको एसीबी कार्यालय कितनी बार बुलाया था इस पर साक्षी का कहना है कि दो-तीन माह में करीब 20-25 बार बुलवाया था. साक्षी से यह पूछे जाने पर कि आप एसीबी कार्यालय जब जाते थे जो कितनी देर तक रूकते थे इस पर साक्षी का कहना है कि कभी पांच घंटे कभी दिनभर रोका जाता था, एकाध बार जल्दी छोडा गया. साक्षी से यह पूछे जाने पर कि आपने एसीबी वालों व्दारा डायरी में जो लिखवाये जाने की बात बता रहे हैं वह कितनी बार लिखवाया गया है इस पर साक्षी का कहना है कि करीब 10-15 बार मुझसे कुछ-कुछ लिखवाया गया. यह कहना सही है कि **एसीबी वाले कंप्यूटर में लिखकर रखते थे और मुझे कहते थे इसे ही डायरी में लिख दो. यह कहना सही है कि मैं एसीबी वालों के कहे अनुसार ही डायरी में लिख देता था**.

41/ यह कहना सही है कि मैने मुख्य परीक्षण की कंडिका-18,19,20,21 में डायरी के पेज नंबर-89,90,91,92 की लिखावट को जो अपना होना बताया है **वह इबारत मैने एसीबी वालों**

के कहने पर अपने हस्तलिपि में लिखी थी .... यह कहना सही है कि प्रपी-201 की डायरी में **जो इबारत मैं एसीबी कार्यालय में एसीबी वालों के कहने से लिखना बता रहा हूं उस समय भी एसीबी वालों ने उनके कहे अनुसार नहीं लिखने पर अभियुक्त बनाने का दबाव डाला था.**

14.3. **<u>ई.ओ.डब्ल्यू./ए.सी.बी. के अधिकारियों ने अ.सा.क्र.-129-अरविंद सिंह ध्रुव को डरा-धमका कर उसके फर्जी बयान भी अंकित कराये</u>** - अ.सा.क्र.-129-अरविंद सिंह ध्रुव ने अपने न्यायालयीन कथन में बताया है कि ए.सीबी. के अधिकारियों ने उसका धारा 164 दं.प्र.सं. का बयान उसे डरा-धमकाकर झूठा अंकित कराया था. इस संबंध में उसके न्यायालयीन कथन के पैराग्राफ 38 एवं 41 अवलोकनीय हैं -

38/ .... यह कहना गलत है कि दिनांक 23.02.15 को मैं मजिस्ट्रेट न्यायालय में बयान देने उपस्थित हुआ था तथा मजिस्ट्रेट व्दारा पूछे जाने पर मैने स्वेच्छापूर्वक बिना किसी डर दबाव के बयान देना बताया था. यह कहना गलत है कि जब मैने स्वेच्छापूर्वक कथन करने की मंशा व्यक्त की तब मजिस्ट्रेट ने मेने जैसा बताया वैसा-वैसा मेरा बयान लिखा. गवाह ने स्वतः कहा कि **मै न्यायालय के बाहर खडा था, मुझे न्यायालय में हस्ताक्षर करने बुलाया गया तब मैने हस्ताक्षर किया. यह कहना गलत है कि प्रपी-317 के कथन में हस्ताक्षर करने से पूर्व मैने बयान को पढ लिया था.**

41/ मुझे न्यायालय में बयान के समय एसीबी के दो-तीन लोग लेकर आये थे. यह कहना सही है कि मुझे धारा-164 के बयान प्रपी-317 मे हस्ताक्षर लेने के पूर्व न तो पढने दिया गया और न ही पढकर सुनाया गया. **यह कहना सही है कि मैने मजिस्ट्रेट न्यायालय में एसीबी के दबाव में हस्ताक्षर किया था. यह कहना सही है कि एसीबी वालो व्दारा मुझे यह कहा जा रहा था कि यदि आप हस्ताक्षर नहीं करोंगे तो आपको भी अभियुक्त बना देंगे.**

14.4. **यह कि, अ.सा.क्र.-129 अरविंद सिंह ध्रुव के धारा 164 दं.प्र.सं. के कथन प्र.पी.-317 मे मजिस्ट्रेट व्दारा नोट किया गया है कि - "मैने कथनकर्ता अरविंद ध्रुव पिता गणेश सिंह ध्रुव को यह समझा दिया कि वह कथन के लिये आबध्द नहीं है, साथ ही, कथनकर्ता गिरीश शर्मा से मेरे व्दारा पूछा गया कि क्या वह कथन स्वेच्छापूवर्क बिना किसी डर-दबाव के कर रहा है, अथवा उस पर पुलिस या अन्य किसी व्यक्ति का दबाव है". इस नोट में अरविंद ध्रुव के स्थान पर गिरीश शर्मा का नाम लिखा होने से यह स्पष्ट है कि मजिस्ट्रेट ने इतना भी नहीं देखा कि उसके समक्ष अरविंद सिंह ध्रुव कथन कर रहा है या गिरीश शर्मा**. इससे भी अरविंद सिंह ध्रुव व्दारा अपने न्यायालीन कथन में पुलिस के डर से धारा 164 दं.प्र.सं. का झूठा बायान दिये जाने की बात सच सिध्द होती है.

15. **<u>अभियोजन साक्षियों के न्यायालयीन कथनों से ही अभियुक्त डॉ0 आलोक शुक्ला व्दारा अवैध नकद राशि अभिप्राप्त किया जाना झूठ प्रमाणित हो चुका है</u>** -

15.1. अभियोजन का आरोप है कि अभियुक्त डॉ0 आलोक शुक्ला के हिस्से की अधिकांश अवैध धनराशि अ.सा.क्र.-142-गिरीश शर्मा व्दारा अभियुक्त डॉ0 आलोक शुक्ला के मित्र डॉ0 आनंद दुबे को दी जाती थी. उल्लेखनीय है कि **डॉ0 आनंद दुबे से कोई धनराशि या संपत्ति बरामद नहीं की गई है. डॉ0 आनंद दुबे और अभियुक्त डॉ0 आलोक शुक्ला के मध्य किसी प्रकार के वित्तीय संव्यवहार का भी कोई साक्ष्य अभियोजन ने नही दिया है. डॉ0 आनंद दुबे को अभियुक्त भी नहीं बनाया है, बल्कि गवाह बनाया है**.

15.2. **अ.सा.क्र.-117 डॉ0 आनंद दुबे ने अपने न्यायालयीन कथन में गिरीश शर्मा को जानने तक से इंकार किया है तथा किसी भी प्रकार की अवैध राशि प्राप्त करने से भी इंकार किया है**. इस संबंध में अभियोजन साक्षी क्रमांक-117-डॉ0 आनंद दुबे के बयान के पैराग्रॉफ 2, 3 एवं 4 अवलोकनीय हैं-

2/ मैं डा. आलोक शुक्ला को पहचानता हूं. वह मेरे सहपाठी रहे हैं जिनसे मेरी कभी-कभार पार्टी आदि में मुलाकात हो जाती है. मुझसे करीब 3-4 वर्ष पूर्व एसीबी वालों ने नान से संबंधित मामले में डाक्टर आलोक शुक्ला को जानते हैं क्या, गिरीश शर्मा को जानते हैं क्या पूछताछ की थी, तब मैने आलोक शुक्ला को सहपाठी होना बताया था एवं गिरीश शर्मा को नहीं जानना बताया था. इसके अतिरिक्त मैं कुछ नहीं जानता.

नोट: - इस स्तर पर उप संचालक मिथलेश वर्मा ने साक्षी को पक्षद्रोही घोषित कर उससे प्रतिपरीक्षण में पूछे जाने वाले प्रश्न किये जाने की अनुमति चाही, अभिलेख अवलोकर पश्चात अनुमति दी गयी.

3/ यह कहना गलत है कि नागरिक आपूर्ति निगम के प्रबंध संचालक अनिल टुटेजा के पीए गिरीश शर्मा से मेरा परिचय एक बार डा. आलोक शुक्ला ने कराया था. यह कहना गलत है कि डा. आलोक शुक्ला के कहने पर गिरीश शर्मा मेरे पास डा. शुक्ला के हिस्से की राशि को छोड़ने के लिये आता था और आने के पहले मुझे फोन कर आने की सूचना देता था. यह कहना गलत है कि गिरीश शर्मा डा. आलोक शुक्ला के हिस्से की राशि कभी 10 लाख, 09 लाख और कभी 08 लाख मेरे पास छोड़कर जाया करता था. यह कहना गलत है कि दिनांक 11.02.15 को डा. आलोक शुक्ला 10 लाख रुपये लेकर दिल्ली भिजवाना चाहते थे जिस राशि को गिरीश शर्मा मुझे लाकर देने वाला था एवं मुझसे फोन से बातचीत किया था. यह कहना गलत है कि दिनांक 12.02.2015 को मुझे डा. आलोक शुक्ला ने फोन करके बताया था कि नागरिक आपूर्ति निगम में रेड हो गयी है तब मैने डोन्टवरी कहा था.

4/ यह कहना गलत है कि बाद में डा. आलोक शुक्ला ने मुझसे पांच लाख रुपये दिल्ली भिजवाने की बात कही थी. यह कहना गलत है कि डा. आलोक शुक्ला मेरे सहपाठी मित्र व पारिवारिक मित्र रहे हैं इसलिये मैं उन्हें बचाने के लिये आज सही बात नहीं बता रहा हूं.

साक्षी को उसका पुलिस बयान प्र.पी.-294 का भाग अ से अ पूछने पर बताया कि .... कोई जानकारी दर्ज नहीं की थी पढ़कर सुनाए जाने पर साक्षी का कहना है कि मैने एसीबी वालों को ऐसा बयान नहीं दिया था कैसे लिख दिए कारण नहीं बता सकता.

15.3. आरोपपत्र में यह भी आरोप लगाया गया है कि डॉ0 आनंद दुबे ने किसी हवाला व्यापारी मुकेश रावल के माध्यम से अभियुक्त डॉ0 आलोक शुक्ला के कुछ पैसे दिल्ली भिजवाये थे. सर्वप्रथम तो यह कि **अभियोजन साक्षी क्रमांक-84-मुकेश रावल** का कथन अभियुक्त डॉ0 आलोक शुक्ला का ट्रायल प्रारंभ होने के पूर्व कराया गया था, परन्तु अन्य गवाहों की तरह उसका कथन अभियुक्त डॉ0 आलोक शुक्ला का ट्रायल प्रारंभ होने के बाद नहीं कराया गया और अभियुक्त डॉ0 आलोक शुक्ला को उसका प्रतिपरीक्षण करने का अवसर नहीं दिया गया इसलिये उसके कथन का उपयोग अभियुक्त डॉ0 आलोक शुक्ला के विरुध्द नहीं किया जा सकता. दूसरा यह भी, कि, **अभियोजन साक्षी क्रमांक-84-मुकेश रावल ने अपने न्यायालयीन कथन में अभियुक्त डॉ0 आलोक शुक्ला का नाम तक नहीं लिया है.** उसने कहा है कि डॉ0 आनंद दुबे ने उससे कोई राशि भिवाने के बारे में टेलीफोन पर बात की थी, परन्तु यह नहीं कहा है कि यह राशि अभियुक्त डॉ0 आलोक शुक्ला के लिये भिजवाने की बात थी. **उनसे अपने न्यायालयीन कथन में यह भी कहा है कि डॉ0 आनंद दुबे के मना कर देने के कारण उसने राशि दिल्ली नहीं भेजी थी-**

"7/............यह कहना सही है कि उसी दिन शाम को डॉ. दूबे से मोबाईल पर बातचीत हुई तब उन्होंने बताया कि दिल्ली का फ्लाइट कैंसल हो गया है अब दिल्ली पैसा नहीं भेजना है इस पर मेरे व्दारा फुलसिंह को दिल्ली में डिलवरी देने से मना कर दिया गया."

15.4. आरोप पत्र में मनीश दुबे एवं डॉ0 आनंद दुबे के बीच की एक टेलीफोन काल के बारे में कहा गया था कि यह डॉ0 आनंद दुबे एवं किसी हवाला वाले के बीच की काल है. अभियोजन साक्षी क्रमांक-144-मनीष दुबे ने अपने न्यायालयीन कथन में बताया है कि ई.ओ.डब्ल्यू./एसीबी व्दारा उनके **जिस मोबाइल वार्तालाप के संबंध में पूछताछ की गयी है वह उनके और उनके भाई डॉ0 आनंद दुबे के बीच पारिवारिक और निजी वार्तालाप है** जिसका इस प्रकरण से कोई संबंध नही है. इससे भी यह प्रमाणित है कि **ए.सी.बी. एवं ई.ओ.डब्ल्यू. के अधिकारी लोगों की व्यक्तिगत टेलीफोन काल्स को अनावश्यक रूप से बिना किसी प्रमाण के भ्रष्टाचार से संबंधित काल के रूप में प्रस्तुत कर रहे थे**.

15.5. अभियोजन साक्षी क्रमांक-142, गिरीश शर्मा ने अपने बयान में कभी 1-2 लाख रुपये अभियुक्त डॉ0 आलोक शुक्ला को सीधे देना बताया है, परन्तु इसका कोई भी सत्यापन विवेचना में नहीं किया गया है और कोई कारोबोरेटरी साक्ष्य प्रकरण में प्रस्तुत नहीं किया गया है. किसी प्रकार की अवैध राशि की बरामदगी अभियुक्त डॉ0 अलोक शुक्ला से नहीं

हुई है. इन कारणों से अभियोजन साक्षी क्रमांक-142, गिरीश शर्मा व्दारा 1-2 लाख रुपये अभियुक्त डॉ0 आलोक शुक्ला को सीधे देना झूठा सिध्द है.

16. **<u>अभियोजन साक्षियों के न्यायालयीन कथनों से अभियुक्त डॉ0 आलोक शुक्ला के व्यक्तिगत खर्चों का भुगतान नागरिक आपूर्ति निगम में कथित रूप से एकत्र की जाने वाली अवैध राशि से किया जाना झूठा प्रमाणित है</u>** -

16.1. अभियोजन साक्षी क्रमांक 142 **गिरीश शर्मा ने अभियुक्त डॉ0 आलोक शुक्ला के व्यक्तिगत बिलों का भुगतान करने के लिये अभियोजन साक्षी क्रमांक 154 संतोष तिवारी को नकद राशि देना बताया है, परन्तु अभियोजन साक्षी क्रमांक 154 संतोष तिवारी ने अपने न्यायालयीन कथन में गिरीश शर्मा की इस बात को झूठा बताया है**. इस संबंध में अभियोजन साक्षी क्रमांक-154, संतोष तिवारी के न्यायालयीन कथन के पैराग्रॉफ 3, 4, 5 एवं 6 अवलोकनीय हैं -

3- यह कहना गलत है कि डॉ. आलोक शुक्ला व्दारा मुझे खाद्य मंत्री के यहां से फाइल लाने का कार्य एवं उनके शासकीय कार्य हेतु बाहर जाने के लिए एयर टिकट बुक कराने का कार्य दिया जाता था. अब आने स्वत: कहा कि मुझे खाद्य मंत्री के यहां ले जाने हेतु फाइल कार्यालय से दी जाती थी. यह कहना गलत है कि मुझे इस बात की जानकारी थी कि रायपुर में शुक्ला साहब अकेले रहते हैं और उनका परिवार दिल्ली में रहता है. यह कहना गलत है कि शुक्ला जी के कहने पर मैं उनके घर का कार्य जैसे किराना सामान लाना, ड्राई क्लीन हेतु कपड़े देना आदि कार्य करता था और मेरे द्वारा किए गए कार्य का पेमेंट हेतु हिसाब बना कर उन्हें बताकर देता था.

4- यह कहना गलत है कि उक्त कार्य के भुगतान के लिए मुझे शुक्ला जी व्दारा अनिल टुटेजा प्रबंधक संचालक नागरिक आपूर्ति निगम रायपुर से उनके कार्यालय में जाकर मिलने के लिए कहते थे तब मैं उनके कार्यालय जाकर मिलता और उन्हें खर्च का हिसाब बताता तक उनके कहने पर गिरीश शर्मा द्वारा खर्च की राशि नगद रुपयों में दी जाती थी जिसे प्राप्त कर संबंधित को भुगतान करता था. यह कहना गलत है कि शुक्ला जी को देवेंद्र का जो शासकीय मकान आवंटित हुआ था उस मकान के नए पर्दे, ट्यूब लाइट, गीजर, एसी आदि लगवाने का काम मेरे द्वारा कराया गया और उसका भुगतान अनिल टुटेजा से मिलने पर उनके पीए गिरीश शर्मा द्वारा नकद भुगतान देने से मेरे द्वारा किया गया. यह कहना गलत है कि उक्त सामानों को क्रय करने के लिए मैं शुक्ला जी के साथ दुकानों पर गया और उन्होंने जो सामान पसंद किया उसे ही उनके घर में लगवाया गया.

5- यह कहना गलत है कि शुक्ला साहब से संबंधित टेलीफोन बिल 1,057/, बिजली बिल 2,230/-, टेंट हाउस 3,600/-, गद्दा (सोहन सेल) 21,614/-, पर्दा (सोहन सेल) 52,123/- कुल 80,634/- का हिसाब मेरे द्वारा बनाई गई थी. साक्षी को पूरक चालान में संलग्न प्र.पी. 58एजी का हिसाब दिखाकर पूछे जाने पर कि क्या यह हिसाब आपके द्वारा लिखा गया है,

इस पर साक्षी का कहना है कि मेरे द्वारा नहीं लिखा गया है. साक्षी को प्र.पी.- 58एएच, प्र.पी.-58ए.आई., प्र.पी.-58एजे प्र.पी.-58एके, प्र.पी.-58एएल,प्र.पी.-58एएम के बिल दिखाए जाने पर साक्षी का कहना है कि उक्त बिल मेरे जानकारी में नहीं हैं. यह कहना गलत है कि ऐसीबी वालों को मैंने 27.07.2014 के चार बिल, दिनांक 06.08.2014 के दो, दिनांक 23.08.2014 का एक एवं दिनांक 02.09.2014, 06.09.2014, 15.09.2014 इस प्रकार कुल 29 बिल की राशि का भुगतान जो डॉ. आलोक शुक्ला से संबंधित खर्च के थे, अनिल टुटेजा के पीए गिरीश शर्मा से नगद राशि प्राप्त कर भुगतान करना बताया था.

6 - यह कहना गलत है कि डॉ. आलोक शुक्ला के घर से संबंधित जो भी खर्च होता था उसका भुगतान मेरे द्वारा अनिल टुटेजा के पीए गिरीश शर्मा से नगद राशि प्राप्त कर भुगतान मेरे द्वारा किया जाता था. साक्षी को उसका पुलिस बयान प्र.पी.-333 का भाग अ से अ "शुक्ला जी द्वारा मुझे खाद्य मंत्री के यहां .... भुगतान किया हूं," पढ़कर सुनाए जाने पर साक्षी का कहना है कि मैंने एसीबी वालों को ऐसा बयान नहीं दिया था, उन्होंने कैसे लिख दिया कारण नहीं बता सकता. यह कहना गलत है कि मैं डॉ. आलोक शुक्ला का मातहत कर्मचारी रहा हूं, इसलिए सही बात नहीं बता रहा हूं.

16.2. गद्दे और परदों का भुगतान नागरिक आपूर्ति निगम में एकत्र की जाने वाली कथित अवैध राशि से किया जाना झूठ सिध्द है. किसी गद्दे और परदे की बदामदगी अभियुक्त डॉ0 आलोक शुक्ला से नहीं की गई है. **अभियोजन साक्षी क्रमांक-143, परमजीत सिंह गुम्बर ने अपने न्यायालयीन कथन में साफ कहा है कि पर्दों और गद्दे का भुगतान अभियुक्त डॉ0 आलोक शुक्ला ने स्वयं किया है**. उसके कथन का पैराग्राफ 2 अवलोकनीय है -

2/ सन 2014-15 की बात है मेरी उक्त दुकान में डॉ. आलोक शुक्ला आये थे जिन्होंने मेरी दुकान से पर्दे बनवाये थे और एक गद्दा खरीदा था, उनका बिल लगभग 50 हजार का था, समय अधिक होने से सही आंकडा आज मुझे याद नहीं है। **मुझे उक्त पर्दे और गद्दे की राशि डॉ. आलोक शुक्ला ने स्वयं भुगतान किया था।**

16.3. अभियुक्त डॉ0 आलोक शुक्ला के लिये किराया भंडार से किराये पर लाया गये सामान के किराये का भुगतान गिरीश शर्मा व्दारा नागरिक आपूर्ति निगम में कथित रूप से एकत्र की जाने वाली अवैध राशि से किया जाने का आरोप भी झूठ प्रमाणित है. **किराया भंडार के मैनेजर, अभियोजन साक्षी क्रमांक-141-दीपक अग्रवाल ने अपने न्यायालयीन कथन के पैराग्राफ 2 में बताया है कि-**

"2/ .... उक्त सामान मैने लगाया था जिसका बिल कुल 3050/-रू था जिसका डॉ0 आलोक शुक्ला ने भुगतान कर दिया था."

16.4. अभियुक्त डॉ0 आलोक शुक्ला के लिये सदगुरू टंवेल्स से खरीदे गये एयर टिकिट का भुगतान गिरीश शर्मा व्दारा नागरिक आपूर्ति निगम में कथित रूप ये एकत्र की जाने वाली अवैध राशि से किया जाने का आरोप भी झूठा प्रमाणित है. **सदगुरू ट्रैवेल्स के मैनेजर, अभियोजन साक्षी क्रमांक-148-राजेश गायकवाड़ में अपने न्यायालयीन कथन के पैराग्राफ 14 में बताया है कि -**

14 - यह कहना सही है कि प्र.पी. 325 में जो एयर टिकिट और होटल बुकिंग का उल्लेख है वे समस्त बुकिंग की रकम आलोक शुक्ला व्दारा स्वयं दी गयी थी.

16.5. **अभियोजन साक्षी क्रमांक-156-वाल्मीकि साहू ने अपने न्यायालयीन कथन के पैराग्राफ 3 में गिरीश शर्मा व्दारा संतोष तिवारी को पैसे देते हुए देखने से साफ इंकार किया है –**

"3- ..... मैं संतोष तिवारी को नहीं जानता. यह कहना गलत है कि कार्यालय में गिरीश शर्मा के पास संतोष तिवारी का आना जाना था तथा गिरीश शर्मा ने दो-तीन बार मेरे सामने संतोष तिवारी को पैसे दिए थे. यह कहना गलत है कि संतोष तिवारी को गिरीश शर्मा व्दारा पैसे देते देखे जाने वाली बात एसीबी वालों को बताई थी. साक्षी को उसका पुलिस बयान प्र.पी.-334 का अ से अ भाग ''मैं संतोष तिवारी को जानता हूं............. पैसे दिए हैं'', पढ़कर सुनाए जाने पर साक्षी का कहना है कि मैंने एसीबी भी वालों को ऐसा बयान नहीं दिया था उन्होंने ऐसा बयान कैसे लिख दिया मैं इसका कारण नहीं जानता. यह कहना गलत है कि मैं आज जानबूझकर सही बात नहीं बता रहा हूं."

16.6. **अभियोजन साक्षी क्रमांक-164-रामप्रसाद यादव ने भी अपने न्यायालयीन कथन के पैराग्राफ 4 में गिरीश शर्मा व्दारा संतोष तिवारी को पैसे देते हुए देखने से साफ इंकार किया है** -

"4/ मैं, संतोष तिवारी को नहीं जानता. मुझे इस बात की जानकारी नहीं है कि संतोष तिवारी एसडब्ल्यूसी रायपुर में कार्य करता था. यह कहना गलत है कि मैने संतोष तिवारी को अक्सर टुटेजा साहब के पीए गिरीश शर्मा के पास आते जाते देखा था. यह कहना गलत है कि मैने यह भी देखा था कि गिरीश शर्मा ने संतोष तिवारी को 2-3 बार मेरे सामने रुपये दिया था. यह कहना गलत है कि मैने एसीबी व्दारा पूछताछ करने पर उन्हें उक्त बात बताई थी. साक्षी को उसका पुलिस बयान प्र.पी. 342 का भाग अ से अ '' मैं संतोष तिवारी............. नहीं जानता'' पढ़कर सुनाये जाने पर साक्षी का कहना है कि मैने ऐसा बयान एसीबी वालों को नहीं दिया था, एसीबी वालों ने कैसे लिख दिया मैं नहीं बता सकता."

16.7. अभियोजन साक्षी क्रमांक 142- गिरीश शर्मा ने स्वयं भी न्यायालय में जो बयान दिया है उससे भी यह साफ है कि उसने न तो अभियुक्त डॉ0 आलोक के किसी व्यक्तिगत बिल का

भुगतान किया है और न ही उसने इन बिलों का भुगतान करने के लिये संतोष तिवारी या अन्य किसी को कोई अवैध धन दिया है. अभियोजन साक्षी क्रमांक-142 गिरीश शर्मा के कथन के रेलेवेंट अंश गवाह के कथन के पैराग्राफ 48, एवं 49 में हैं और नीचे दिये गये हैं -

"48/ यह कहना गलत है कि प्रपी-251ए के चारों पन्नों में उल्लेखित हिसाब के बारे में एसीबी व्दारा पूछने पर मैं उल्लेखित हिसाब स्पष्ट करने में असमर्थ रहा था. गवाह ने स्वतः कहा कि **मैने एसीबी को, प्रत्येक प्रविष्टि के हिसाब के संबंध में प्रबंधक संचालक व्दारा नोट कराये जाने पर लिखा जाना बताया था.** साक्षी से यह पूछे जाने पर कि प्रपी-251ए के चारों पृष्ठों में उल्लेखित तथाकथित हिसाब का लेनदेन आपके समक्ष नहीं हुआ है इस पर साक्षी का कहना है कि **पृष्ठ क्रमांक-1 में उल्लेखित 15,000/-सर्किट हाउस, 7,000/-आईसीएच, द्वितीय पृष्ठ पर 30,000/- मेंदाता का बिल, 15,000/- ओ.एस. चौरसिया का बेबीलोन का बिल मैने स्वयं जाकर जमा किया था इसलिये मेरी जानकारी में है, शेष में से दो-चार लेनदेन और मेरी जानकारी में हो सकते हैं बाकी का लेनदेन मेरे सामने नहीं हुआ केवल नोट कराया गया. साक्षी से यह पूछे जाने पर कि आपने जो उक्त राशियां स्वंय जाकर देना बताये हैं उसका बिल आपको प्राप्त हुआ था इस पर साक्षी का कहना है कि मेंदाता और बेबीलॉन का बिल प्राप्त होना याद आता है शेष का याद नहीं है.** (परन्तु इनमें से कोई बिल प्रकरण में संलगन नही हैं)"

"49/ **साक्षी से यह पूछे जाने पर कि उक्त बिलों का भुगतान शासकीय था या अशासकीय इस बात की मुझे जानकारी नहीं है.** मुझे इस बात की जानकारी नहीं है कि डॉ आलोक शुक्ला का मेंदाता का तथाकथित 30,000/-का बिल विभाग से रियंबर्स हुआ या नहीं. यह कहना सही है कि नागरिक आपूर्ति निगम व्दारा वरिष्ठ अधिकारियों के रूकने, आने-जाने एवं इलाज से संबंधित भुगतान किया जाता है. यह कहना सही है कि मुझसे नागरिक आपूर्ति निगम के अधिकारियों व्दारा अपना व्यक्तिगत कार्य भी कराया जाता था. यह कहना सही है कि प्रपी-251ए के पन्नों में उल्लेखित कुछ हिसाब के बिल मुझसे जप्त हुये थे. **मैं यह नहीं बता सकता कि मुझसे जप्त हुये बिल शासकीय हिसाब-किताब से संबंधित थे या निजी थे.**"

17. गिरीश शर्मा व्दारा नागरिक आपूर्ति निगम में कथित रूप ये एकत्र की जाने वाली अवैध राशि में से पैसे देकर परमेश्वर सिंह नायक के माध्यम से अभियुक्त डॉ0 आलोक शुक्ला के लिये कथित बेंक ड्राफ्ट बनावाने का आरोप भी झूठ प्रमाणित हो चुका है-

17.1. अभियोजन साक्षी क्रमांक 78 परमेश्वर सिंह नायक के न्यायालयीन कथन से यह प्रमाणित है कि अभियुक्त डॉ0 आलोक शुक्ला ने उससे कोई बैंक ड्राफ्ट बनाने के लिये नहीं कहा था. बैंक ड्राफ्ट बनाने के जो आवेदन पत्र प्र.डीबी.1 एवं प्र.डी.बी-5 तक प्रकरण में प्रस्तुत किये गये हैं, उनमें अभियुक्त डॉ0 आलोक शुक्ला के हस्ताक्षर नहीं हैं बल्कि अभियोजन साक्षी

क्रमांक 78 परमेश्वर सिंह नायक व्दारा गिरीश शर्मा के निर्देश पर आलोक शुक्ला का नाम आवेदक के रूप में लिखकर अभियुक्त डॉ0 आलोक शुक्ला के फर्जी हस्तावक्षर बनाये गये हैं. अभियोजन साक्षी क्रमांक-78 परमेश्वर सिंह नायक ने अपने कथन में स्पष्ट बताया है कि उसने बैंक ड्राफ्ट बनवाने के आवेदन में आलोक शुक्ला का नाम गिरीश शर्मा के कहने से ही लिखा था और बैंक ड्राफ्ट भी गिरीश शर्मा को ही लाकर दिये थे. इस संबंध में उसके कथन का पैराग्रॉफ 4 अवलोकनीय है -

4/ यह कहना सही है कि इस संबंध में मेरी आलोक शुक्ला से सीधे कोई बात या मुलाकात नहीं हुई। **यह कहना सही है कि मेरे व्दारा बतायी जा रही डीडी बनाने के लिये आलोक शुक्ला ने कोई निर्देश नहीं दिया था। यह कहना सही है कि गिरीश शर्मा ने मुझे जैसा कहा मैने वैसा ही डीडी बनाने वाले का नाम भरा था।**

17.2. प्रकरण के अंश विवेचक अभियोजन साक्षी क्रमांक-172 अनिल बक्शी के न्यायालयीन कथन के पैराग्राफ 24 में बताया है कि उसने इस बारे में कोई जांच नहीं की थी, कि इन बैंक ड्राफ्टों का उपयोग अभियुक्त डॉ0 आलोक शुक्ला के लिये किया गया था अथवा नहीं. यहां तक कि उसने इस बात की जांच भी नहीं की थी कि इन आवेदन पत्रों के आधार पर कोई यह बैंक ड्राफ्ट बने भी थे अथवा नहीं -

24 - मैं **आर्टिकल डीबी1, डीबी2, डीबी3, डीबी4, एवं डीबी5** की जांच के लिए संबंधित बैंक गया था और शाखा प्रबंधक से पूछताछ किया था. यह कहना सही है कि उस समय मेरे पास उक्त आर्टिकल की रसीदें नहीं थी. साक्षी ने स्वत: कहा कि उक्त आर्टिकल की रसीदों को मेरे द्वारा जप्त किया गया था किंतु अभियोग पत्र में जब्ती पत्रक नहीं मिल रहा है. उक्त रसीदों के माध्यम से बने ड्राफ्ट की प्रति नहीं होती है. उक्त बैंक कंप्यूटराइज था. बैंक की कार्य प्रणाली के बारे में मैंने जानकारी नहीं ली थी. **मुझे याद नहीं है कि उक्त रसीदों के माध्यम से कोई ड्राफ्ट बना था या नहीं और उसके संबंध में कोई दस्तावेज प्राप्त किया था या नहीं. उक्त ड्राफ्ट सिविल सर्विसेज ऑफीसर्स इंस्टीट्यूट को प्राप्त हुए या नहीं, इस संबंध में मैंने जांच नहीं की थी**.

18. गिरीश शर्मा व्दारा अभियुक्त डॉ0 आलोक शुक्ला के लिये कथित रूप ये नागरिक आपूर्ति निगम में एकत्र की जाने वाली अवैध राशि से अभियुक्त डॉ0 आलोक शुक्ला के लिये मेदांता अस्पताल का बिल भुगतान करने, डालर अथवा यूरो क्रय करके अभियुक्त डॉ0 आलोक शुक्ला को देने, इंडियन कॉफी हाउस, सर्किट हाउस आदि का बिल भुगतान करने के आरोप भी झूठे प्रमाणित हो चुके हैं. मेदांता अस्पताल, इंडियन कॉफी हाउस, सर्किट हाउस के बिल, डालर या यूरो क्रय की रसीद आदि कुछ भी प्रकरण में पस्तुत नहीं किये गये हैं, और ये वस्तुएं अभियुक्त डॉ0 आलोक शुक्ला को प्राप्त होने का कोई साक्ष्य भी प्रकरण में प्रस्तुत नहीं किया गया. इस बारे में विवेचक संजय दिनकर

देवस्थले एवं अंश विवेचक अनिल बक्शी दोनो ने की न्यायालय स्वीकार किया है कि उन्होने इन आरोपों के संबंध में कोई जांच या सत्यापन नहीं किया.

18.1. प्रकरण के विवेचक अभियोजन साक्षी क्रमांक 170-संजय दिनकर देवस्थले के न्यायालयीन कथन के पैराग्राफ 275, 311, 312, 313 एवं 314 से यह स्पष्ट है कि गिरीश शर्मा व्दारा अभियुक्त डॉ0 आलोक शुक्ला के व्यक्तिगत खर्चों का भुगतान करने का कोई साक्ष्य इस प्रकरण में नही है -

"275 - यह कहना सही है कि **आर्टिकल पीडीएस-14, पीडीएस-15 एवं पीडीएस-16** में सर्किट हाउस, इंडियन कॉफी हाउस, वेदांता हॉस्पिटल दिल्ली, बेबीलॉन होटल के बिल को भुगतान करने का इंद्राज है. यह कहना सही है कि उपरोक्त सभी स्थानों पर भुगतान से संबंधित दस्तावेज उपलब्ध रहते हैं. यह कहना सही है कि मैंने उपरोक्त संस्थानों में जाकर उन प्रविष्टियों के संबंध में कोई जांच नहीं की है. **स्वत: कहा कि इस कार्य हेतु अनिल बख्शी तत्कालीन निरीक्षक को अधिकृत किया गया था. यह कहना सही है कि अनिल बख्शी ने भी मुझे उपरोक्त संस्थानों में भुगतान की पुष्टि से संबंधित कोई दस्तावेज लाकर नहीं दिया था.**"

"311- यह कहना गलत है कि मैंने केवल 4 पन्नों के बारे में गिरीश शर्मा से पूछताछ की. स्वत: कहा कि अनिल टुटेजा एवं डॉ. आलोक शुक्ला के खर्चे एवं रकम के बारे में भी पूछताछ की. **यह कहना सही है कि आर्टिकल पीडीएस-1 से लेकर पीडीएस-37 तक में उल्लेखित विवरण की पुष्टि किसी दस्तावेजी साक्ष्य से नहीं हुई.** स्वत: कहा कि जिस विवरण से संबंधित रसीद प्राप्त हुई थी उसकी जांच में पुष्टि हुई थी."

"312 - **यह कहना सही है कि नगद राशि के लेन-देन की पुष्टि नहीं हो पाई थी**. यह कहना भी सही है कि डॉ. आलोक शुक्ला, आनंद दुबे, अनिल टुटेजा एवं यश टुटेजा से कोई रकम बरामद नहीं की गई थी."

"313 - यह कहना सही है कि **डॉलर और यूरो** के विक्रय हेतु शासन द्वारा विक्रेता को अधिकृत किया जाता है. मुझे इस बात की जानकारी नहीं है कि डॉलर अथवा यूरो को क्रय करते समय पासपोर्ट में उसका इंद्राज किया जाता है. यह कहना सही है कि **विवेचना के दौरान किसी भी डॉलर और यूरो विक्रय करने वाले किसी भी विक्रेता ने गिरीश शर्मा को डॉलर और यूरो विक्रय करने के संबंध में कोई जानकारी नहीं दी थी.**"

"314 - यह कहना सही है कि विवेचना के दौरान मैंने गिरीश शर्मा द्वारा बैंक से जो ड्राफ्ट बनवाना बताया था, वह किसी **बैंक द्वारा बनाने अथवा भुगतान किए जाने के संबंध में मैंने जांच नहीं की थी.** आलोक शुक्ला के नाम से खरीदे गए गद्दे, पर्दे के संबंध में अनिल बख्शी

के द्वारा जांच की गई थी मेरे द्वारा नहीं की गई. **एयर टिकट पर यात्रा हुई थी अथवा नहीं इस संबंध में भी मेरे द्वारा कोई जांच नहीं की गई थी.** स्वत: कहा की टिकट खरीदने के संबंध में जानकारी ली गई थी. यह कहना सही है कि कोई भी व्यक्ति किसी भी व्यक्ति के नाम से टिकिट खरीद सकता है."

18.2. प्रकरण के अंश विवेचक अभियोजन साक्षी क्रमांक-172 अनिल बक्शी ने इस प्रकरण में अभियुक्त डॉ0 आलोक शुक्ला के व्यक्तिगत खर्चों से संबंधित विवेचना की थी. अंश विवेचक अभियोजन साक्षी क्रमांक-172 अनिल बक्शी के न्यायालयीन कथन के पैराग्राफ 20, 21 एवं 22 से भी यह स्पष्ट हो गया है कि गिरीश शर्मा व्दारा अभियुक्त डॉ0 आलोक शुक्ला के खर्चे नागरिक आपूर्ति निगम में कथित रूप ये एकत्र की जा रही भ्रष्टाचार की राशि से करने का कोई साक्ष्य नही है -

20 - .... मैंने सोहन सेल्स **प्रदर्श पी-58एएल एवं प्रदर्श पी-58एएम** की कार्बन प्रति की मांग की थी, जिसे न होना बताया गया था. यह कहना सही है कि उक्त रसीदों का मिलान उनके कार्बन प्रति से नहीं किया गया था. यह कहना सही है कि **प्रदर्श पी-58एएल एवं प्रदर्श पी-58एएम** पर किसी के हस्ताक्षर नहीं हैं. **मैंने ऐसा कोई रजिस्टर नहीं देखा था, जिसमें किस व्यक्ति ने किस प्रकार से भुगतान किया था इसका उल्लेख हो.**

21 - परमजीत सिंह गुंबर ने बताया था कि **प्रदर्श पी-58एएल एवं प्रदर्श पी-58एएम** पर उसके छोटे भाई के हस्ताक्षर हैं. यह कहना सही है कि **प्रदर्श पी-58एएल एवं प्रदर्श पी-58एएम** में अलग-अलग हस्ताक्षर हैं. यह कहना सही है कि **उक्त प्रदर्श में जिस व्यक्ति के हस्ताक्षर हैं उससे मैंने पूछताछ नहीं की थी.**

22 - .... यह कहना सही है की रसीद प्रदर्श पी-58एओ में सद्गुरु ट्रैवल की सील एवं किसी के हस्ताक्षर नहीं हैं. मैंने उक्त रसीद की द्वितीय प्रति की मांग की थी, जो मुझे नहीं दी गई. **मैंने यह जांच नहीं की थी कि उक्त एयर टिकट जारी की गई थी या नहीं, उससे यात्रा की गई थी या नहीं.** यह कहना सही है कि उक्त जानकारी एयरपोर्ट से प्राप्त हो सकती थी.

19. **<u>अभियुक्त डॉ0 आलोक शुक्ला का मोबाइल नंबर ही प्रमाणित नहीं है इसलिये उसके मोबाइल से कथित वार्तालाप होना प्रमाणित नहीं है</u> -**

19.1. **अभियुक्त डॉ0 आलोक शुक्ला का मोबाइल फोन और सिम कार्ड जप्त नहीं किया गया,** इसलिये अभियुक्त डॉ0 आलोक शुक्ला का मोबाइल नंबर प्रमाणित नहीं है.

19.2. किसी टेलीफोन कंपनी व्दारा अभियुक्त डा0 आलोक शुक्ला को मोबाइल नंबर आबंटित किया जाने का कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है. इस संबंध में विवेचक अभियोजन साक्षी

क्रमांक-170 संजय दिनकर देवस्थले के न्यायालयीन कथन का पैराग्राफ 248 एवं 249 अवलोकनीय हैं -

"248 -.......... यह कहना सही है कि कोई भी व्यक्ति किसी मोबाइल कंपनी से मोबाइल नंबर प्राप्त करता है तो उसे कस्टमर एप्लीकेशन फॉर्म भरकर कंपनी को देना पड़ता है, जिसमें उस व्यक्ति का और मोबाइल नंबर का उल्लेख कंपनी व्दारा किया जाता है. **यह कहना सही है कि मैंने किसी भी अभियुक्त अथवा साक्षी के मोबाइल से संबंधित कस्टमर एप्लीकेशन फॉर्म की प्रति संबंधित मोबाइल कंपनी से प्राप्त नहीं किया**. स्वत: कहा कि किसी साक्षी से नान के अधिकारियों-कर्मचारियों को आवंटित मोबाइल नंबरों के संबंध में पूछताछ कर कथन लिया था."

"249 - **यह कहना सही है कि नान के अधिकारी-कर्मचारी के संबंध में मुझे जो मोबाइल नंबर प्राप्त हुए थे, उन मोबाइल नंबरों का कॉल डिटेल निकाल कर भी मैंने इस तथ्य की पुष्टि नहीं की, कि उनके माध्यम से कोई बातचीत हुई थी अथवा नहीं**."

20. **<u>मोबाइल वार्तालाप इंटरसेप्ट करने का कोई साक्ष्य न्यायालय में प्रस्तुत नहीं किया गया है. यद्यपि सक्षम मोबाइल फोन अंत:रोधन के सक्षम प्राधिकारी के आदेश प्रकरण में प्रस्तुत किए गए हैं, परन्तु उन आदेशों के पालन में मोबाइल फोन का अंत:रोधन वास्तव में किया गया था, यह बात केवल संबंधित मोबाइल सर्विस प्रोवाइडर कंपनी ही प्रमाणित कर सकती है परन्तु मोबाइल फोन अंत:रोधन का साक्ष्य मोबाइल सर्विस प्रोवाइडर कंपनी ने नहीं दिया है इसलिये यह मानना होगा कि मोबाइल इंटरसेप्शन किया ही नहीं गया था</u>** -

20.1. पुलिस के सर्वर पर रिकार्ड की गई वार्तालाप इंटरसेप्ट की गई मोबाइल वार्तालाप है यह केवल संबंधित टेलीफोन कंपनी के 'काल डेटा रिकार्ड' से ही प्रमाणित किया जा सकता है. परन्तु अभियोजन इस प्रकरण में कोई 'काल डेटा रिकार्ड' न्यायालय में प्रस्तुत नहीं किये हैं. इस संबंध में, विवेचक, अभियोजन साक्षी क्रमांक-170, संजय दिनकर देवस्थले के न्यायालयीन कथन के पैराग्राफ 247 की अंतिम पंक्ति और पैराग्राफ 248 विशेष रूप से अवलोकनीय हैं-

"247 ...... यह कहना सही है कि मैंने किसी भी मोबाइल कंपनी से कोई सी.डी.आर. प्राप्त नहीं किया."

248 - **यह कहना सही है कि पेन ड्राइव में दर्ज कथित बातचीत के संबंध में मैंने मोबाइल कंपनी से सी.डी.आर. प्राप्त कर जांच नहीं किया कि कथित बातचीत की पुष्टि सी.डी.आर. के माध्यम से हुई अथवा नहीं**."

20.2. मोबाइल सर्विस प्रोवाइडर कंपनियों के नोडल अधिकारियों ने अपने न्यायालयीन कथनों में यह स्वीकार किया है कि बिना कॉल डेटा रिकार्ड और संबंधित मोबाइल नंबरों के कस्टमर एप्लीकेशन फार्म को देखे के वे मोबाइल इंटरसेप्शन के संबंध में कुछ नही बता सकते-

20.2.1. बी.एस.एन.एल. के नोडल ऑफीसर अभियोजन साक्षी क्रमांक-64 अमित वर्मा ने अपने न्यायालयीन कथन के पैराग्राफ 5 में स्वीकार किया है कि -

"5/ **यह कहना सही है कि बी.एस.एन.एल. कंपनी व्दारा जो उक्त तीनों मोबाइल के संबंध में जानकारी दी गयी थी उससे संबंधित कोई दस्तावेज़ मुझे आज न्यायालय में नहीं दिखाया गया है.** .... **यह कहना सही है कि मैं बिना दस्तावेज़ देखे एसीबी व्दारा जिन मोबाइल नंबरों से संबंधित जो जानकारी मांगी गयी थी उनके बारे में नहीं बता सकता था.**"

20.2.2. रिलायंस कम्यूनिकेशन्स के नोडल अधिकारी अभियोजन साक्षी क्रमांक-72 अनिल वर्मा ने भी अपने न्यायालयीन कथन में यही कहा है कि वे दस्तावेज़ देखे बिना कुछ नही बता पायेंगे -

"5/ **यह कहना सही है कि मैने जो दस्तावेज एसीबी वालों को दिया था वे दस्तावेज आज मुझे न्यायालय में नही दिखाये गये हैं.** .... **यह कहना सही है कि मोबाईल नंबरो के संबंध में बिना दस्तावेज देखे यह जानकारी नहीं दे सकता कि वे किस व्यक्ति द्वारा उपयोग किया जा रहा है.** .... यह कहना सही है कि मैने एसीबी वालों को जिन नंबरो के सीडीआर व 65बी का सर्टीफिकेट, कस्टमर एप्लीकेशन फार्म दिया था उनसे **संबंधित दस्तावेज देखे बिना उन नंबरो के संबंध में जानकारी नहीं दे सकता.**"

20.2.3. वोडाफोन के नोडल अधिकारी अभियोजन साक्षी क्रमांक-128 भार्गव शर्मा ने अपने न्यायालयीन कथन के पैराग्राफ 12 मे यही बात कही है-

12 - मुझे आज याद नहीं है कि ई.ओ.डब्ल्यू. की ओर ये किस अधिकारी ने हमारी कंपनी को पत्र लिखकर विभिन्न मोबाइलों के सी.डी.आर. और कस्टमर एप्लीकेशन फार्म मांगा था. मुझे आज यह भी याद नहीं है कि मैने ई.ओ.डब्ल्यू. के किस अधिकारी को सी.डी.आर. और कस्टमर एप्लीकेशन फार्म किस दिनांक को प्रदान किया था. आज मैं यह नहीं बता सकता कि सी.डी.आर. और कस्टमर एप्लीकेशन फार्म मांगे जाने हेतु दिया गया पत्र प्रकरण में पेश है अथवा नहीं. **यह कहना सही है कि मेरे व्दारा**

ई.ओ.डब्ल्यू. को प्रदत्त दस्तावेजों को बिना देखे मैं यह नहीं बता सकता कि उक्त दस्तावेज मेरे व्दारा दिये गये हैं अथवा नहीं.

20.3. **किसी भी विवेचक या अंश विवचक को विवेचना के अंत तक टेलीफोन काल इंटरसेप्शन की जानकारी तक नहीं थी** -

20.3.1. प्रकरण के **प्रथम सूचना पत्र प्रदर्श पी-25 में मोबाइल फोन इंटरसेप्शन का कोई उल्लेख नही है.**

20.3.2. सूत्र सत्यापन करने वाले अधिकारी, अभियोजन साक्षी क्रमांक-152 निरीक्षक आर.के. दुबे के न्यायालयीन कथन के पैराग्राफ 28 एवं 29 में **मोबाइल फोन इंटरसेप्शन की कोई भी जानकारी होने से साफ इंकार किया है** -

"28 - साक्षी से यह पूछे जाने पर कि सूत्र सत्यापन के दौरान आपने किन्हीं लोगों के मोबाइल की बातचीत सुनी क्या या मोबाइल की बातचीत का रिकॉर्डिंग क्या या उनका लिप्यांतरण किया क्या, इस पर साक्षी का कहना है मैंने ऐसी कोई कार्यवाही नहीं की. यह कहना सही है कि **मैंने इस प्रकरण में सूत्र सत्यापन के दौरान नान के अधिकारी, कर्मचारियों के मोबाइल की बातचीत को सुने जाने व रिकॉर्ड की जाने की आवश्यकता के बारे में अपने उच्च अधिकारी को नहीं लिखा.**"

"29 - .... यह कहना सही है कि इस प्रकरण में इंटरसेप्शन की कार्यवाही के लिए मैं अधिकृत नहीं था. यह कहना सही है कि **मैंने इस मामले में इंटरसेप्शन की कार्यवाही स्वयं नहीं की है. यह कहना सही है कि सूत्र सत्यापन के दौरान मोबाइल की बातचीत सुनकर कोई जानकारी नहीं दी है.**"

20.3.3. दिनांक 12.02.2015 को प्रथम सूचना पत्र दर्ज किये जाने के बाद से दिनांक 16.02.2015 तक मुख्य विवेचक रहे डी.एस.पी. अ.सा.क्र.-159 श्री अशोक जोशी को भी कथित मोबाइल फोन इंटरसेप्शन की कोई जानकारी नहीं थी, जो उनके न्यायालयीन कथन के पैराग्राफ 16 से प्रमाणित है -

"16 ......साक्षी से यह पूछे जाने पर कि प्र.पी.-25 की प्रथम सूचना पत्र पर विवेचना अग्रेषित करने के समय आपने इंटरसेप्शन से संबंधित कोई साक्ष्य देखा था क्या, इस पर साक्षी का कहना है कि मैंने नहीं देखा था. यह कहना सही है कि **दिनांक 16.02.2015 तक मेरे समक्ष इंटरसेप्शन से संबंधित कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किए गए थे.**"

20.3.4. दिनांक 17.02.2015 को प्रकरण के मुख्य विवेचक बनाये गये अभियोजन साक्षी क्रमांक 170-संजय दिनकर देवस्थले ने भी अपने न्यायालयीन कथन में स्पष्ट रूप से कहा है कि मोबाइल फोन इंटरसेप्शन न तो उन्होने किया था, न मोबाइल फोन इंटरसेप्शन की उन्होने अनुशंसा की थी, और न ही मोबाइल फोन इंटरसेप्शन के संबंध में उन्हें दिनांक 18.03.2015 तक कोई जानकारी थी. श्री संजय देवस्थले के न्यायालयीन कथन के पैराग्राफ 240, 241, 246 एवं 257 अवलोकनीय हैं -

"240 - यह कहना सही है कि **दिनांक 12.02.2015 को मुझे इस प्रकरण की विवेचना के समय किसी भी माध्यम से यह जानकारी प्राप्त नहीं हुई कि इस प्रकरण में दिनांक 12.02.2015 के पूर्व या 12.02.2015 को इंटरसेप्शन के संबंध में कोई प्रक्रिया चालू की गई थी. यह कहना सही है इस प्रकरण के प्रथम सूचना पत्र प्रदर्श पी-25 में इस बात का कोई उल्लेख नहीं है कि इस प्रकरण में दिनांक 12.02.2015 को अथवा उसके पूर्व इंटरसेप्शन की कोई कार्यवाही की जा रही थी**. केस डायरी में भी इस तथ्य का कोई उल्लेख नहीं है कि प्रथम सूचना पत्र प्रदर्श पी-25 दर्ज किए जाने के पूर्व किस अधिकारी के निर्देश पर किस अधिकारी-कर्मचारी द्वारा किस माध्यम से इंटरसेप्शन की कार्यवाही की जा रही थी."

"241 - दिनांक 18.03.2015 को मुझे तत्कालीन पुलिस अधीक्षक ए.सी.बी. रजनेश सिंह ने लिखित में यह आदेश प्रदान किया था कि मैं सी.एम.सी. प्रभारी से मिलकर रिलेवेंट कॉल और ट्रांसक्रिप्ट विधिवत प्राप्त करूं. **यह कहना सही है कि दिनांक 17.02.2015 से 18.03.2015 तक इस प्रकरण के विवेचक होने के नाते मुझे इस संबंध में कोई जानकारी प्राप्त नहीं हुई थी कि इस प्रकरण से संबंधित कोई इंटरसेप्शन की कार्यवाही पूर्व में की गई थी तथा केस डायरी में भी दिनांक 12.02.2015 से 17.02.2015 के मध्य इंटरसेप्शन से संबंधित कोई जानकारी नहीं थी**."

"246 - यह कहना सही है कि **इस प्रकरण में किसी भी अभियुक्त की टेलीफोन कॉल का इंटरसेप्शन न तो मेरे द्वारा किया गया है और न ही मेरी जानकारी में हुआ है. यह कहना सही है कि इस प्रकरण में संबंध में टेलीफोन के इंटरसेप्शन का आदेश मेरे द्वारा नहीं दिया गया था और न ही मैंने उसकी अनुशंसा की थी**. यह कहना सही है कि किसी भी मोबाइल कंपनी के माध्यम से मुझे कॉल डाटा रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुआ था. यह कहना सही है कि **विवेचना के दौरान मुझे इस संबंध में कोई जानकारी प्राप्त नहीं हुई थी कि किसी भी मोबाइल कंपनी को इस प्रकरण के संबंध में कॉल इंटरसेप्शन का निर्देश दिया गया हो**.

“257 - ……… **पूरी विवेचना के दौरान इस तथ्य की कोई जानकारी प्राप्त नहीं हुई कि हमारे कार्यालय द्वारा किसी भी मोबाइल कंपनी को किसी मोबाइल के इंटरसेप्शन के लिए आदेश प्रदान किया गया था**.”

20.3.5. कथित रूप से टेलीफाल काल्स की ट्रांसक्रिप्ट्स तैयार करने वाले अभियोजन साक्षी क्रमांक-153 ए.एस.आई. राकेश जाट ने भी अपने न्यायालयीन कथन के पैराग्राफ 23 में यह स्वीकार किया है इंटरसेप्शन नही किया था -

“23/ साक्षी से यह पूछे जाने पर कि प्रकरण में आपको इंटरसेप्शन करने का आदेश कब और किसने दिया इस साक्षी का कहना है कि **मैंने इंटरसेप्शन का कार्य नहीं किया** इंटरसेप्शन का कार्य सर्विस प्रोवाइडर कंपनी का है.”

21. **<u>कथित मोबाइल काल इंटरसेप्शन की रिकाडिंग की चेन ऑफ कस्टडी टूटी होने से यह साक्ष्य में ग्राह्य ही नहीं हैं</u> - मोबाइल इंटरसेप्शन कॉल रिकार्डिंग की दोनो कथित पेन ड्राइव पूरी तरह असुरक्षित होने के कारण उनके डेटा में छेड़छाड़ की पूरी संभावना है** - मोबाइल इंटरसेप्शन की कथित रिकार्डिंग की पेन 16 जीबी ड्राइव का मिरर इमेज बनाने का पंचनामे प्रदर्श पी-415 एवं 8 जीबी पेन ड्राइव का मिरर इमेज बनाने के पंचनामे प्रदर्श पी-416 में यह स्पष्ट रूप से लिखा है कि **दोनो पेन ड्राइव की सील ई.ओ.डब्ल्यू. कार्यालय में ही खोल दी गयी थी, और इन्हें बिना सीलबंद अवस्था में किसी गवाह की जेब में रखकर साइबर सेल ले जाया गया तथा बिना सीलबंद अवस्था में ही ई.ओ.डब्ल्यू. कार्यालय वापस लाया गया**. साइबर सेल में किस व्यक्ति व्दारा इन्हें किस कम्प्यूटर में लगाकर किस प्रक्रिया से मिरर इमेज बनायी गयी, इसका कोई उल्लेख पंचनामों में नही किया गया है. यह बात साफ है कि, **मिरर इमेज बनाने के नाम पर इन दोनो पेन ड्राइवों के डेटा से छेड़छाड़ की गयी थी**.

22. **<u>धारा 65 बी भा.सा.अ. का प्रमाणपत्र नहीं होने के कारण कथित मोबाइल काल इंटरसेप्शन की रिकार्डिंग और ट्रासक्रिप्ट साक्ष्य में ग्राह्य नहीं हैं</u>** - इस प्रकरण में कथित मोबाइल फोन रिकार्डिंग 2 पेन ड्राइव में प्रस्तुत की गयी हैं, परन्तु प्रकरण में संलग्न धारा 65बी भारतीय साक्ष्य अधिनियम के 2 प्रमाण पत्र **प्रदर्श पी-331 एवं पी-331ए** किसी काम्पेकट डिस्क से संबंधित हैं. राकेश जाट व्दारा विवेचक संजय देवस्थले को दी गयी **16 जीबी एवं 8 जीबी की दोनो पेन ड्राइव के संबंध में धारा 65बी भारतीय साक्ष्य अधिनियम का कोई प्रमाण पत्र संलग्न नही है, इसलिये यह दोनो पेन ड्राइव साक्ष्य में ग्राह्य नही हैं** -

22.1. इस संबंध में विवेचक अभियोजन साक्षी क्रमांक-170 संजय दिनकर देवस्थले के न्यायालयीन कथन के पैराग्राफ 244 एवं 245 अवलोकनीय हैं -

“244 - यह कहना सही है कि मुझे राकेश जाट द्वारा धारा 65 बी साक्ष्य अधिनियम के तहत प्रमाण पत्र प्रदर्श पी-331 दिनांक 18.03.2015 को प्रदान किया गया था. यह कहना सही है कि प्रमाण पत्र में राकेश जाट को सहायक उपनिरीक्षक के पद पर होना उल्लेखित है. मुझे इस बात की जानकारी नहीं है कि दिनांक 18.03.2015 को सी.एम.सी. (सेंट्रल मॉनिटरिंग सेंटर) एस.बी.पी.एच.क्यू. के प्रभारी के पद पर कौन पदस्थ था. यह कहना सही है कि प्रदर्श पी-331 में पेनड्राइव का उल्लेख नहीं किया गया है. **यह कहना भी सही है कि प्रदर्श पी-331 पेनड्राइव से संबंधित धारा65 बी साक्ष्य अधिनियम का प्रमाण पत्र नहीं है. स्वतः कहा कि उक्त प्रमाण पत्र में काम्पैक्ट डिस्क का उल्लेख है. यह कहना सही है कि मुझे राकेश जाट द्वारा इंटरसेप्शन से संबंधित कोई कंपैक्ट डिस्क नहीं दिया गया है**.”

“245 - दिनांक 03.04.2015 को पुनः मुझे राकेश जाट द्वारा धारा 65 बी साक्ष्य अधिनियम के तहत एक प्रमाण पत्र दिया गया था जो **प्रदर्श पी-331ए** है. यह कहना सही है कि **प्रदर्श पी-331ए** पर मेरे हस्ताक्षर नहीं हैं. यह कहना सही है उक्त प्रमाण पत्र मेरे सामने तैयार नहीं किया गया है. यह कहना सही है कि **प्रदर्श पी-331 एवं पी-331ए** में 16 जी.बी. एवं 8 जी.बी. का उल्लेख नहीं है. **यह कहना सही है कि प्रदर्श पी-331ए पेनड्राइव से संबंधित धारा 65 बी साक्ष्य अधिनियम का प्रमाण पत्र नहीं है. स्वत: कहा की प्रदर्श पी-331ए प्रोफार्मा सर्टिफिकेट है, जिसमें कॉम्पैक्ट डिस्क उल्लेखित है**.”

22.2. अभियोजन साक्षी क्रमांक-153 राकेश जाट के न्यायालयीन कथन का पैराग्राफ 14 भी अवलोकीनय है जिसमें उसने यह कहा है कि उसे यह याद ही नहीं है कि उसने कॉल रिकार्डिंग काम्पेकट डिस्क में दी थी या पेन ड्राइव में -

“14/ साक्षी से यह पूछे जाने पर कि आपने प्रपी-331 का धारा-65बी का प्रमाण पत्र स्वयं तैयार किया था क्या इस पर साक्षी का कहना है कि **मेरे विभाग में जो निर्धारित प्रोफार्मा बना है उसी प्रोफार्मा पर दिया है**. यह कहना सही है कि प्रपी-331 के प्रमाण पत्र में ट्रांसक्रिप्ट बनाये जाने का प्रमाण पत्र दिये जाने का उल्लेख नही है. साक्षी से यह पूछे जाने पर कि आपने सारे बातचीत रिकार्डिंग का डाटा कांपेक्ट डिस्क में दिया था इस पर साक्षी का कहना है कि **कॉपेक्ट डिस्क में दिया था या पेनड्राइव में आज मुझे याद नहीं है**. साक्षी से यह पूछे जाने पर कि काम्पेक्ट डिस्क क्या है इस पर साक्षी का कहना है कि काम्पेक्ट डिस्क सीडी है। साक्षी से यह पूछे जाने पर कि प्रपी-331 की कंडिका-6 मे उल्लेखित “The information...........said activities” का क्या तात्पर्य है इस पर साक्षी का कहना है कि विशेष शाखा मे हुये इलेक्ट्रिानिक रिकार्ड के कंटेंट को दिये जाने से संबंधित है. यह कहना सही है कि प्रपी-331 के कंडिका-6 में **इलेक्ट्रिानिक रिकार्ड के कंटेंट किस इलेक्ट्रानिक उपकरण में दिये गये इसका उल्लेख नहीं है. यह कहना सही है कि मुझे आज मुख्य परीक्षण के समय काम्पेक्ट डिस्क या पेनड्राइव नहीं दिखाया गया है**.”

22.3. धारा 65बी भारतीय साक्ष्य अधिनियम का वैध प्रमाणपत्र वही व्यक्ति दे सकता है जिसका संबंधित कम्प्यूटर पर अधिपत्य हो, परन्तु अभियोजन साक्षी क्रमांक-153 राकेश जाट ने अपने न्यायालयीन कथन के पैराग्राफ 16 एवं 21 में यह भी स्वीकार किया है कि वह न तो कॉल इंटरसेप्शन का नोडल अधिकारी था और न ही सी.एम.सी. के सर्वर उसके अधिपत्य में थे. इसलिये यह भी स्पष्ट है कि **राकेश जाट को धारा 65बी भारतीय साक्ष्य अधिनियम का प्रमाण पत्र देने का अधिकार ही नही था** -

"16/ .... साक्षी से यह पूछे जाने पर कि विशेष पुलिस शाखा के सर्वर रूम में कितने कंप्यूटर है इस पर साक्षी का कहना है कि लगभग-5 होना याद आ रहा है, निश्चित आंकडा आज याद नहीं है. यह कहना सही है कि **उन पांचों कंप्यूटर में से कोई भी कंप्यूटर मुझे आवंटित नहीं था**......... साक्षी से यह पूछे जाने पर कि सर्वस में लगे **कंप्यूटर** किसके अधिपत्य में रहते हैं इस पर साक्षी का कहना है कि **नोडल आफिसर के अधिपत्य में रहते हैं**. यह कहना सही है कि **मैने प्रपी-331 के प्रमाण पत्र में सर्वर रूम के नोडल आफिसर का नाम बतौर कंप्यूटर के अधिपत्यधारी उल्लेखित नहीं किया है**."

"21/ यह कहना गलत है कि मैं उस **नोडल आफिसर का नाम** नहीं बता सकता हूं. गवाह ने स्वतः कहा कि उसका नाम **श्री रजनेश सिंह था**. .... **यह कहना सही है कि मुझे रजनेश सिंह ने कोई लिखित आदेश नहीं दिया था**. .... **यह कहना सही है कि सेंट्रल मानिटर सेंटर सर्वर नोडल आफिसर के अधिपत्य में होता है**."

22.4. प्रकरण में प्रस्तुत धारा 65बी भारतीय साक्ष्य अधिनियम का प्रमाणपत्र इसलिये भी विधिक रूप से मान्य नही है क्योंकि उसमे **धारा 65बी के आवश्यक तत्व अभिलिखित नहीं हैं**, जो प्रदर्श पी-331 एवं पी-331ए के अवलोक से स्पष्ट है और जिसे अभियोजन साक्षी क्रमांक-153 राकेश जाट ने अपने न्यायालयीन कथन के पैराग्राफ 25 में स्वीकार किया है -

"25/ साक्षी से यह पूछे जाने पर कि सर्वर रूम में आपने जो पांच कंप्यूटर लगे होना बताया है उन कंप्यूटर के ब्रांड एवं मैन्युफैक्चरिंग डेट बता सकते हैं क्या इस पर साक्षी का कहना है कि नहीं बता सकता. यह कहना सही है कि मैने प्रपी-331 के प्रमाण पत्र में उपयोग किये गये कंप्यूटर के ब्रांड एवं मैन्युफैक्चर डेट का उल्लेख नहीं किया है. यह कहना सही है कि मैं यह नहीं बता सकता कि उपयोग किया गया कंप्यूटर की कब-कब सर्विसिंग और रिपेयरिंग करायी गयी थी. यह कहना सही है कि **मैने प्रपी-331 के प्रमाण पत्र में इस बात का उल्लेख नहीं किया है कि उपयोग किये गये कंप्यूटर कब से मेरे अधिपत्य में थे**. यह कहना सही है कि **मैने प्रपी-331 के प्रमाण में इस बात का उल्लेख नहीं किया है कि मेरे अतिरिक्त सर्वर रूम के कंप्यूटर किस-किस व्यक्ति के व्दारा चलाये जाते थे. मुझे इस बात की जानकारी नहीं है कि उपयोग किये गये कंप्यूटर सही तरीके कार्य कर रहे थे इस बात मैन्युफैक्चर कंपनी से कोई प्रमाण पत्र लिया गया या नहीं. यह**

कहना सही है कि उपयोग किये गये कंप्यूटर में कौन सा साफ्टवेयर डला था इसका उल्लेख मैने प्रपी-331 के प्रमाण पत्र में नहीं किया है."

23. **<u>अभियोजन व्दारा लिये गये आवाज के नमूने एवं उनपर आधारित सी.एफ.एस.एल. की रिपोर्ट धारा 65बी भारतीय साक्ष्य अधिनियम का प्रमाणपत्र न्यायालय में प्रस्तुत नहीं किया जाने के कारण साक्ष्य में ग्राह्य नहीं हैं</u>** -

23.1. अभियोजन साक्षी क्रमांक-170 संजय दिनकर देवस्थले के न्यायालयीन कथन का पैराग्राफ 258 अवलोकनीय है, जिसमें उन्होने धारा 65 बी भारतीय साक्ष्य अधिनियम का प्रमाणपत्र नहीं देने की बात स्वीकारी है -

"258 - यह कहना सही है कि **जिन व्यक्तियों की आवाज का नमूना मेरे द्वारा माइक्रो एस.डी. कार्ड में लिया गया था, उसके संबंध में भी मेरे द्वारा धारा 65 बी साक्ष्य अधिनियम का प्रमाण पत्र प्रदान नहीं किया गया है.**"

23.2. **सी.एफ.एस.एल. के जांच अधिकारी, अभियोजन साक्षी क्रमांक-166 सुब्रत कुमार चौधरी** ने भी अपने न्यायालयीन कथन के पैराग्राफ 29, 30 में स्वीकार किया है कि उन्हें कथित रूप से इंटरेसप्ट करके बनाई गयी कॉल रिकार्डिंग की दोनो पेन ड्राइव और ट्रांसक्रिप्ट्स के संबंध में धारा 65बी भारतीय साक्ष्य अधिनियम के प्रमाणपत्र नही मिले थे-

"29 - ....**यह कहना सही है कि आर्टिकल-ए एवं आर्टिकल-बी की पेनड्राइव के संदर्भ में धारा 65बी साक्ष्य अधिनियम के अंतर्गत कोई प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं हुआ था.**"

"30 - .... **उक्त ट्रांसक्रिप्ट के संदर्भ में भी धारा 65बी साक्ष्य अधिनियम के अंतर्गत कोई प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं हुआ था.**"

24. <u>अन्य कारणों से भी प्रकरण में प्रदर्शित कथित टेलीफोन ट्रांसक्रिप्ट भी साक्ष्य में ग्राह्य नही हैं</u> -

24.1. **ट्रांसक्रिप्ट बनाने वाले किसी व्यक्ति के हस्ताक्षर ट्रांसक्रिप्ट पर नही हैं.**

24.2. ट्रांसक्रिप्ट्स में बातचीत करने वाले लोगों के नाम अभियोजन साक्षी क्रमांक 153-ए.एस.आई राकेश जाट व्दारा बिना किसी आधार के लिख दिये गये थे. उसने अपने न्यायालयीन कथन स्वीकार किया है कि -

"12/ .... **यह कहना सही है कि सर्वर से बातचीत को सुनकर मैने टाइप किया और उस समय मुझे बातचीत करने वालों के नाम नहीं पता था. गवाह ने स्वतः कहा कि**

संबंधित एजेंसी समीक्षक अधिकारी आर.के. दुबे मुझे बातचीत करने वालों के नाम बताता था जिनका नाम मैने ट्रांसक्रिप्ट में लिखे है."

24.3. अभियोजन साक्षी क्रमांक-152 आर.के. दुबे ने न्यायालय में ऐसा कोई कथन नहीं किया है कि बातचीत करने वालों के नाम उसने ए.एस.आई. जाट को बताये थे.

24.4. विवेचक अभियोजन साक्षी क्रमांक-170 संजय दिनकर देवस्थले ने भी अपने न्यायालयीन कथन के पैराग्राफ 250, 251 एवं 252 में यह सारी बातें स्वीकार की हैं -

"250 - ....**लिप्यांतरण पर किसी भी व्यक्ति के हस्ताक्षर नहीं थे**. यह कहना सही है कि प्रक्रिया के अनुसार किसी भी रिकॉर्डिंग का लिप्यांतरण, लिप्यांतरणकर्ता अधिकारी 2 स्वतंत्र साक्षियों के समक्ष रिकॉर्डिंग सुनकर, साक्षियों को सुनाकर लिप्यंतरण तैयार कराता है."

"251 - **यह कहना सही है कि विवेचना के दौरान मुझे इस संबंध में कोई साक्ष्य प्राप्त नहीं हुआ कि लिप्यांतरण को किस व्यक्ति ने बनाया और उसने किस आधार पर बातचीत करने वालों के नाम का उल्लेख किया.**"

"252 - **यह कहना सही है कि मुझे राकेश जाट ने जो ट्रांसक्रिप्ट प्रदान किया था, वह एक इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य है. या कहना सही है कि किसी भी ट्रांसक्रिप्ट के संबंध में धारा 65बी साक्ष्य अधिनियम का प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं हुआ था.**"

25. निम्नलिखित कारणों से इन कथित ट्रांसक्रिप्ट्स को यदि पढ़ा भी जाये तो भी इनसे अवैध राशि एकत्र करने, या अवैध राशि अभियुक्त डॉ0 आलोक शुक्ला व्दारा अभिप्राप्त करना प्रमाणित नहीं होता-

25.1. यह कि, अभियुक्त डॉ0 आलोक शुक्ला के साथ इन **कथित टेलीफोन वार्तालाप में अवैध धन के लेन-देन की कोई बात नहीं है.** किसी भी प्रकार के अवैध लेन-देन का सत्यापन भी विवेचना में नहीं किया गया है.

25.2. इनमें किसी **राइस मिलर का जिक्र नहीं है**.

25.3. अभियुक्त डॉ0 आलोक शुक्ला के साथ इन काल्स में चावल के उपार्जन, नमक के उपार्जन या अन्य **किसी भी शासकीय कार्य के संबंध में कोई भी बातचीत नहीं है**.

25.4. अभियुक्त डॉ0 आलोक शुक्ला के साथ **यह कथित कॉल्स किसी सह-अभियुक्त के साथ नहीं हैं और इन काल्स में किसी सह-अभियुक्त का कोई तक ज़िक्र नहीं है**. इसलिये, इनसे

सह-अभियुक्तों के साथ अवैध धन का लेन-देन, या अवैध वसूली की सहमति या अवैध वसूली के षडयंत्र में शामिल होना प्रमाणित नहीं है.

26. **<u>गिरीश शर्मा से जप्त कथित पेन ड्राइव आर्टिकिल-आर, इस कथित पेन ड्राइव से प्रिंट किये गये कथित 41 पन्ने प्रदर्श पी-442, गिरीश शर्मा से कथित रूप से जप्त किये गये कम्प्यूटर प्रिंट आउट के 4 पन्ने प्रदर्श-पी251ए एवं इस कथित पेन ड्राइव से न्यायालय में प्रिंट किये 37 पेज साक्ष्य में ग्राह्य ही नहीं हैं</u>** -

26.1. **इनके संबंध में भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 65बी का प्रमाणपत्र प्रस्तुत नही किया जाने के कारण यह सभी साक्ष्य में ग्राह्य नहीं है**. प्रकरण के विवेचक अभियोजन साक्षी क्रमांक-170 संजय दिनकर देवस्थले ने अपने न्यायालयीन कथन के पैराग्राफ 259, 260 एवं 269 में स्वीकार किया है कि इनके संबंध में धारा 65बी का प्रमाणपत्र उपलब्ध नहीं है -

"259 - यह कहना सही है कि गिरीश शर्मा से उसके कार्यालय में जो 4 पन्ने जप्त किए गए थे, वे सभी कंप्यूटर के प्रिंट आउट थे. यह कहना सही है कि उक्त प्रिंटआउट के संबंध में धारा 65 बी साक्ष्य अधिनियम का प्रमाण पत्र गिरीश शर्मा से नहीं लिया गया था."

"260/ ………………. यह कहना सही है कि गिरीश शर्मा से जप्त **पेनड्राइव के संबंध में भी धारा 65 बी साक्ष्य अधिनियम का प्रमाण पत्र नहीं लिया गया था**."

"269 - मुझे आज याद नहीं है कि जिस कंप्यूटर के माध्यम से मिरर इमेज तैयार किया गया था वह कंप्यूटर किसके अधिपत्य का था. यह कहना सही है कि **प्रदर्श पी-442** के संबंध में धारा 65 बी साक्ष्य अधिनियम का कोई प्रमाण पत्र की **प्रदर्श पी-442** के साथ नहीं है."

26.2. **गिरीश शर्मा से जप्त कथित पेन ड्राइव आर्टिकिल-आर की पहचान तक न्यायालय में प्रमाणित नही की गई है इसलिये भी यह साक्ष्य में ग्राह्य नहीं है** - जप्ती के समय पेन ड्राइव का सीरियल नंबर तक नोट नहीं किया गया था. इसलिये प्रकरण में प्रस्तुत की गयी पेन ड्राइव आर्टिकिल-आर की न्यायालय में गिरीश शर्मा से जप्त पेन ड्राइव के रूप में पहचान स्थापित नहीं की हुई है. अभियोजन साक्षी गिरीश शर्मा ने अपने न्यायालयीन के पैराग्राफ 102 में स्वीकार किया है कि उसे इस पेन ड्राइव आर्टिकिल-आर का नंबर नही मालूम-

"102 - मैंने बहुत सी पेनड्राइव इस्तेमाल की है. यह कहना सही है कि प्रत्येक पेनड्राइव का अपना नंबर होता है. किंतु कितने डिजिट का होता है मुझे नहीं मालूम. **जब मुझे न्यायालय में पेनड्राइव दिखाया गया था तब उसमें नंबर था अथवा नहीं मैंने नहीं देखा था. यह कहना सही है कि जैसा पेनड्राइव मैंने देखा था वैसा पेनड्राइव बाजार में मिलता है**."

26.3. **जप्ती के समय पेन ड्राइव में जप्ती के समय क्या डेटा था यह जप्ती के समय कम्प्यूटर में लगाकर चेक नहीं किया गया. यह बात** अभियोजन साक्षी गिरीश शर्मा ने अपने न्यायालयीन के पैराग्राफ 46 में स्वीकार की है-

46/ .... यह कहना सही है कि प्रपी-251ए के प्रिंट आउट से संबंधित पेनड्राइव भी एसीबी वालों ने मुझसे लिया था **साक्षी से यह पूछे जाने पर कि एसीबी वालों ने प्रपी-251ए के प्रिंट आउट में उल्लेखित बातें पेनड्राइव में है या नहीं इसका मिलान पेनड्राइव को कंप्यूटर पर लगाकर किया था क्या इस पर साक्षी का कहना है कि मेरे सामने नहीं किया.**

26.4. **पेन ड्राइव आर्अिकिल-आर की चेन ऑफ कस्टडी पूरी तरह से टूटी होने के कारण भी इसे साक्ष्य में ग्राह्य नहीं किया जा सकता. पेन ड्राइव को को जप्ती के समय सीलबंद भी नही किया गया था.** विवेचकों व्दारा लंबे समय तक बिना सीलबंद किये ही जप्त पेन ड्राइव पूरी तरह असुरक्षित अवस्था में अपनी अलमारी में रखा था. पेन ड्राइव के साक्ष्य में अग्राह्य होने के कारण उससे माननीय न्यायालय में प्रिंट किये गए पेज भी साक्ष्य में अग्राह्य हैं-

26.4.1. अभियोजन साक्षी गिरीश शर्मा ने अपने न्यायालयीन कथन के पैराग्राफ 35 में स्वीकार किया है कि उसे इस पेन ड्राइव आर्टिकिल-आर का को सीलबंद नही किया गया था-

35/ यह कहना सही है कि **एसीबी वालों ने जो-जो चीजें मुझसे जप्त की थी उन्हें उसी स्थिति में अपने पास रख लिया था सीलबंद नहीं किया था**.

26.4.2. प्रकरण के विवेचक अभियोजन साक्षी क्रमांक-170 संजय दिनकर देवस्थले ने भी अपने न्यायालयीन कथन के पैराग्राफ 260 एवं 267 में उपरोक्त सभी बातें स्वीकार की हैं -

"260 - **यह कहना सही है कि गिरीश शर्मा से जप्त पेनड्राइव को जब्ती के समय उसके कार्यालय में सीलबंद नहीं किया गया था**. दिनांक 12.02.2015 से 17.02.2015 तक उक्त पेनड्राइव अशोक जोशी के अधिपत्य में था. ई.ओ.डब्ल्यू. कार्यालय में मालखाना नहीं है. **यह कहना सही है कि सीलबंद न होने की हालत में कोई भी व्यक्ति पेनड्राइव से छेड़छाड़ कर उसकी अंतर्वस्तु में बदलाव ला सकता है**. स्वत: कहा कि पेन ड्राइव विवेचकों की व्यक्तिगत सुरक्षा में उनके अलमारियों में रखे रहते हैं………… **मुझे आज याद नहीं है कि जब्ती के समय पेनड्राइव का नंबर जब्ती पत्रक में लिखा गया था अथवा नहीं**."

267 - यह कहना सही है कि दिनांक 12.02.2015 को गिरीश शर्मा से जिस समय पेनड्राइव जप्त किया गया उस समय पेनड्राइव को कंप्यूटर में लगाकर उसकी

अंतर्वस्तु में चेक नहीं की गई थी. यह कहना सही है कि गिरीश शर्मा से जप्त पेनड्राइव ब्लैंक था या अथवा उसमें कोई साक्ष्य था यह मैं नहीं बता सकता. स्वत: कहा कि गिरीश शर्मा ने बताया था कि अपना हिसाब मैं रखता हूं. यह कहना सही है कि जब्ती के समय गिरीश शर्मा के कक्ष में कंप्यूटर था और हम लोगों के पास भी लैपटॉप था परंतु हम लोगों ने पेनड्राइव को कंप्यूटर और लैपटॉप में लगाकर उसकी अंतर्वस्तु के संबंध में कोई जांच नहीं की थी.

26.4.3. प्रकरण के तत्कालीन विवेचक अभियोजन साक्षी क्रमांक 159-अशोक जोशी डी.एस.पी. ने अपने न्यायालयीन कथन के पैराग्राफ 26 में स्वीकार किया है कि -

"26/ .... यह कहना सही है कि प्र.पी. - 251 में उल्लेखित में जप्त **रकम, पेनड्राइव, कंप्यूटर प्रिंटआउट और एक मोबाइल को मेरे द्वारा मौके पर सीलबंद नहीं किया गया**."

26.5. **कथित पेन ड्राइव का डेटा पूरी तरह असुरक्षित था. न तो पेन ड्राइव पासवर्ड से सुरक्षित थी और न ही पेन ड्राइव में उपलब्ध फाइलें ही पासवर्ड से सुरक्षित थीं, जिसके कारण इस कथित पेन ड्राइव के डेटा में छेड़छाड़ करना बहुत ही आसान था.** यह निम्नलिखित से प्रमाणित है-

26.5.1. जिस समय न्यायालय के कम्प्यूटर के व्दारा इस पेन ड्राइव की अंत:वस्तु का प्रिंट आउट निकाला गया उस समय बिना कोई पासवर्ड डाले ही पेन ड्राइव और उसकी फाइलें न्यायालय के कम्प्यूटर पर खुल गयी थीं.

26.5.2. **अभियोजन साक्षी क्रमांक-142 गिरीश शर्मा ने अपने न्यायालयीन कथन के पैराग्राफ 147 में कहा है कि उसने अपनी पेनड्राइव में पासवर्ड रखा था और पासवर्ड के आधार पर ही पेनड्राइव को खोला जा सकता है, परन्तु जब न्यायालय में पेनड्राइव को डेस्कटाप पर लगाया गया तब वह पासवर्ड प्रोटेक्टेड नहीं था. इससे सिध्द है कि पेन ड्राइव को बदल दिया गया है-**

147 - ......मेरे पेनड्राइव में मैंने पासवर्ड रखा था. यह कहना सही है कि मेरे द्वारा बताए गए पासवर्ड के आधार पर ही पेनड्राइव को खोला जा सकता है. यह कहना सही है कि न्यायालय ने जब पेनड्राइव को डेस्कटॉप पर लगाया गया था, तब वह पासवर्ड प्रोटेक्टेड नहीं था. यह कहना सही है कि पेनड्राइव की प्रविष्टि की-बोर्ड के माध्यम से की जाती है. यह कहना सही है कि की-बोर्ड कंप्यूटर में लगाया जाता है.

26.5.3. विवेचक अभियोजन साक्षी क्रमांक-170 संजय दिनकर देवस्थले ने भी अपने न्यायालयीन कथन के पैराग्राफ 272 में स्वीकार किया है -

"272/ .... मुझे इस बात की जानकारी नहीं है कि गिरीश शर्मा का पेनड्राइव पासवर्ड प्रोटेक्टेड था अथवा नहीं. स्वत: कहा कि अशोक जोशी ने पेनड्राइव कंप्यूटर में लगाया था, उन्होंने पासवर्ड का उपयोग किया था अथवा नहीं इसकी मुझे जानकारी नहीं है."

26.6. **आई.टी. एक्ट 2000 के अनुसार किसी इलैक्ट्रानिक डिवाइस का डेटा मॉडिफाई नहीं हुआ है, यह प्रमाणित करने के लिये यह आवश्यक है कि जप्ती के समय उसकी हैश वैल्यू ज्ञात की जाये एवं उसे जप्ती पत्रक में नोट किया जाये, जिससे न्यायालय में प्रस्तुत करने के समय उसकी हैश वैल्यू का मिलान जप्ती के समय की हैश वैल्यू से करके प्रमाणित किया जा सके कि उसके डेटा से छेड़छाड़ नहीं की गई है, परन्तु इस पेन ड्राइव की जप्ती के समय उसकी हैश वैल्यू न लो निकाली गई और न ही जप्ती पत्रक में नोट की गई. ऐसे में पेन ड्राइव के डेटा में छेड़छाड़ की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता. इस संबंध में आईटी. एक्ट, 2000 की धारा 3 अवलोकनीय है-**

3. Authentication of electronic records–

(1) Subject to the provisions of this section any subscriber may authenticate an electronic record by affixing his digital signature.

(2) The authentication of the electronic record shall be effected by the use of asymmetric crypto system and hash function which envelop and transform the initial electronic record into another electronic record.

Explanation– For the purposes of this sub-section, —hash function means an algorithm mapping or translation of one sequence of bits into another, generally smaller, set known as —hash result such that an electronic record yields the same hash result every time the algorithm is executed with the same electronic record as its input making it computationally infeasible–

(a) to derive or reconstruct the original electronic record from the hash result produced by the algorithm;

(b) that two electronic records can produce the same hash result using the algorithm.

(3) Any person by the use of a public key of the subscriber can verify the electronic record.

(4) The private key and the public key are unique to the subscriber and constitute a functioning key pair.

27. प्रकरण में प्रस्तुत **41 पन्नों का प्रिंट आउट प्रदर्श पी-442 साक्ष्य में ग्राह्य नहीं है.**

27.1. इसके संबंध में धारा 65बी भा.सा.अ. का प्रमाणपत्र उपलब्ध नहीं है.

27.2. यह 41 पेज लूज़ शीट ऑफ पेपर हैं और सर्वोच्च न्यायालय व्दारा ने Central Bureau Of Investigation vs V.C. Shukla & Ors में 2 मार्च 1998 को दिये गये निर्णय के परिपेक्ष्य में लूज़ शीट ऑफ पेपर साक्ष्य में ग्राह्य नहीं हैं.

27.3. कम्प्यूटर प्रिंट आउट के इन 41 पेजों पर किसी के हस्ताक्षर नहीं है, तथा इन्हें प्रिंट करने की तारीख भी अंकित नहीं है. इसके अतिरिक्त प्रकरण में इव बात का कोई रिकार्ड प्रस्तुत नहीं है कि इन्हें किसे व्दारा कब प्रिंट किया गया. इस कारण इनकी सत्यता प्रमाणित करना और इन्हें बनाने वाले की पहचान करना संभव नहीं है, और इस कारण भी यह साक्ष्य में ग्राह्य नहीं हैं. **किस दिनांक को किसके व्दारा और किस कम्प्यूटर या पेन ड्राइव से प्रिंट किया गया इसका कोई रिकार्ड प्रकरण में नही उपलब्ध नहीं है**. इस प्रिंट आउट के स्रोत की ही जानकारी नहीं है इसलिये यह साक्ष्य में अग्राह्य है. इस संबंध में विवेचक अभियोजन साक्षी क्रमांक-170 संजय दिनकर देवस्थले का न्यायालयीन कथन अवलोकनीय है -

"265 - .... **जिस समय मुझे विवेचना हेतु दिनांक 17.02.2015 को केस डायरी प्राप्त हुई थी उस केस डायरी के साथ प्रदर्श पी-442 से संबंधित 41 पन्ने डायरी में थे, परंतु डायरी में इस बात का उल्लेख नहीं था कि प्रदर्श पी-442 के 41 पन्ने किस माध्यम से या किसके द्वारा डायरी में संलग्न किए गए**. मैने पूर्व विवेचना करने वाले विवेचक अशोक जोशी से इस संबंध में कोई जानकारी प्राप्त नहीं की थी कि **प्रदर्श पी-442** के 41 पन्ने डायरी में किस प्रकार संलग्न हुए हैं."

"266 - यह कहना सही है कि **इस प्रकरण की संपूर्ण विवेचना में मुझे इस बात की कोई जानकारी प्राप्त नहीं हुई कि प्रदर्श पी-442 से संबंधित 41 पन्ने किसने बनाए, कैसे बनाए, और डायरी में कहां से आया**."

"269 - **मुझे आज याद नहीं है कि जिस कंप्यूटर के माध्यम से मिरर इमेज तैयार किया गया था वह कंप्यूटर किसके अधिपत्य का था. यह कहना सही है कि प्रदर्श पी-442 के संबंध में धारा 65 बी साक्ष्य अधिनियम का कोई प्रमाण पत्र की प्रदर्श पी-442 के साथ नहीं है**."

27.4. प्रकरण के तत्कालीन विवेचक अभियोजन साक्षी क्रमांक 159-अशोक जोशी डी.एस.पी. ने अपने न्यायालयीन कथन के पैराग्राफ 49 एवं 50 में स्वीकार किया है कि -

“49/ ……… **यह कहना सही है कि गिरीश शर्मा से जप्त पेनड्राइव से मैंने 41 पन्ने प्रिंट कर जप्त नहीं किए** और मैंने प्रिंट पन्नों को विवेचक को दिया.”

“50 - यह कहना सही है कि **यदि गिरीश शर्मा के पेनड्राइव से प्रिंट आउट निकाले गए पन्ने इस प्रकरण में प्रस्तुत किए गए हैं, तो उसकी जानकारी मैं नहीं दे पाऊंगा**. गवाह ने स्वत: कहा कि आगे कि जिस विवेचक ने विवेचना की है, वह बताएगा.”

28. गिरीश शर्मा के जप्त कम्प्यूटर प्रिंट आउट के 4 पेज प्रदर्श पी251ए भी निम्नलिखित कारणो से साक्ष्य में ग्राह्य नहीं हैं –

28.1. इनके संबंध में धारा 65बी भारतीय साक्ष्य अधिनियम का प्रमाण पत्र उपलब्ध नही है.

28.2. यह 4 पेज लूज़ शीट ऑफ पेपर हैं और सर्वोच्च न्यायालय व्दारा ने Central Bureau Of Investigation vs V.C. Shukla & Ors में 2 मार्च 1998 को दिये गये निर्णय के परिपेक्ष्य में लूज़ शीट ऑफ पेपर साक्ष्य में ग्राह्य नहीं हैं.

28.3. कम्प्यूटर प्रिंट आउट के इन 4 पेजों पर किसी के हस्ताक्षर नहीं है, तथा इन्हें प्रिंट करने की तारीख भी अंकित नहीं है. इस कारण इनकी सत्यता प्रमाणित करना और इन्हें बनाने वाले की पहचान करना संभव नहीं है.

28.4. गिरीश शर्मा के कक्ष में छापे के समय उसके लैपटॉप एवं डैस्कटॉप दोनो की प्रकार के कम्प्यूटर अथवा उनकी हार्ड डिस्क को जप्त नही किया, जिससे पेन ड्राइव के डेटा में जैसा चाहे संशोधन बाद में कर दिया जाये. अभियोजन साक्षी क्रमांक - 142, गिरीश शर्मा ने अपने न्यायालयीन कथन के पैराग्राफ्स 129 में स्वीकार किया है कि वह पेन ड्राइव को कम्प्यूटर में लगाकर उसका प्रिंट निकालता था और एन्ट्री भी करता था -

“129 - ……. **किसी हिस्से की प्रिंट आउट मांगे जाने पर मैं उक्त हिस्से को कॉपी कर पुनः पेस्ट करता था……..डेस्कटॉप से कॉपी निकालने के लिए पेन ड्राइव को उसके सी.पी.यू. में लगाना पड़ता है. यह कहना सही है कि सी.पी.यू. में पेन ड्राइव लगाने पर जिस फाइल की कॉपी की आवश्यकता होती है उसे खोलकर उसका प्रिंट आउट निकाल लेता था.**”

28.5. गिरीश शर्मा के कम्प्यूटर एवं उसके कम्प्यूटर की हार्ड डिस्क को जानबूझकर जप्त नहीं किया गया की जिससे पेन ड्राइव में बाद में किये फेरबदल को प्रमाणित न किया जा सके-

28.5.1. तत्कालीन विवेचक अभियोजन साक्षी क्रमांक-159 डी.एस.पी. अशोक जोशी ने अपने कथन के पैराग्राफ 37 में स्वीकार किया है कि –

"37/ ....यह कहना सही है कि **मैंने गिरीश शर्मा व अरविंद ध्रुव से कंप्यूटर व हार्डडिस्क की जब्ती नहीं की है**."

28.5.2. विवेचक अभियोजन साक्षी क्रमांक-170 संजय दिनकर देवस्थले ने भी अपने न्यायालयीन कथन के पैराग्राफ 259 में स्वीकार किया है कि -

"259/ .... यह कहना सही है कि **गिरीश शर्मा के से जप्तशुदा कथित 4 पन्नो की पुष्टि हेतु उसके कंप्यूटर अथवा हार्ड डिस्क के माध्यम से नहीं की गई थी**."

29. **<u>गिरीश शर्मा से जप्त पेन ड्राइव, कम्प्यूटर प्रिंट आउट आदि की ग्राह्ता न होने के अतिरिक्त इनकी प्रविष्टयों की सत्यता के सत्यापन के लिये कोई विवेचना ही नहीं की गई. विवेचना में सत्यापन किये बिना इन्हें अवैध राशि अभिप्राप्त करने या अवैध राशि से व्यक्तिगत खर्च कराने का प्रमाण नहीं माना जा सकता</u>** -

29.1. **विवेचक अभियोजन साक्षी क्रमांक-170 संजय दिनकर देवस्थले ने अपने न्यायालयीन कथन के पैराग्राफ 275, 276, 309, 312, 313 एवं 314 में स्वीकार किया है कि गिरीश शर्मा की कथित पेन ड्राइव और कम्प्यूटर प्रिंट आउट एवं इस पेन ड्राइव से न्यायालय में प्रिंट किये गये दस्तावेजों में अभियुक्त डॉ0 आलोक शुक्ला ये संबंधित प्रविष्टियों की किसी जांच या सत्यापन व्दारा पुष्टि नहीं की-**

"275 - यह कहना सही है कि **आर्टिकल पीडीएस-14, पीडीएस-15 एवं पीडीएस-16** में सर्किट हाउस, इंडियन कॉफी हाउस, वेदांता हॉस्पिटल दिल्ली, बेबीलॉन होटल के बिल को भुगतान करने का इंद्राज है. यह कहना सही है कि उपरोक्त सभी स्थानों पर भुगतान से संबंधित दस्तावेज उपलब्ध रहते हैं. यह कहना सही है कि मैंने उपरोक्त संस्थानों में जाकर उन प्रविष्टियों के संबंध में कोई जांच नहीं की है. स्वत: कहा कि इस कार्य हेतु अनिल बख्शी तत्कालीन निरीक्षक को अधिकृत किया गया था. यह कहना सही है कि अनिल बख्शी ने भी मुझे उपरोक्त संस्थानों में भुगतान की पुष्टि से संबंधित कोई दस्तावेज लाकर नहीं दिया था."

"276 - यह कहना सही है कि **आर्टिकल पीडीएस-19 में** दर्ज विवरण के अनुसार डॉ. फरिश्ता, यूनियन क्लब, बैडमिंटन क्लब के भुगतान से संबंधित उल्लेख है. यह कहना सही है की विवेचना के दौरान उपरोक्त किसी भी व्यक्ति एवं संस्थान से भुगतान के संबंध में कोई जानकारी प्राप्त नहीं की गई."

“309 - .... **यह कहना सही है कि विवेचना के दौरान अनिल टुटेजा एवं आलोक शुक्ला को दी गई कथित राशि के संबंध में मैंने राशि को बरामद करने का कोई प्रयास नहीं किया.**”

“**312 - यह कहना सही है कि नगद राशि के लेन-देन की पुष्टि नहीं हो पाई थी. यह कहना भी सही है कि डॉ. आलोक शुक्ला, आनंद दुबे, अनिल टुटेजा एवं यश टुटेजा से कोई रकम बरामद नहीं की गई थी.**”

“313 - यह कहना सही है कि डॉलर और यूरो के विक्रय हेतु शासन द्वारा विक्रेता को अधिकृत किया जाता है. मुझे इस बात की जानकारी नहीं है कि डॉलर अथवा यूरो को क्रय करते समय पासपोर्ट में उसका इंद्राज किया जाता है. यह कहना सही है कि विवेचना के दौरान **किसी भी डॉलर और यूरो विक्रय करने वाले किसी भी विक्रेता ने गिरीश शर्मा को डॉलर और यूरो विक्रय करने के संबंध में कोई जानकारी नहीं दी थी.**”

“314 - यह कहना सही है कि **विवेचना के दौरान मैंने गिरीश शर्मा द्वारा बैंक से जो ड्राफ्ट बनवाना बताया था, वह किसी बैंक द्वारा बनाने अथवा भुगतान किए जाने के संबंध में मैंने जांच नहीं की थी.** आलोक शुक्ला के नाम से खरीदे गए गद्दे, पर्दे के संबंध में अनिल बख्शी के द्वारा जांच की गई थी मेरे द्वारा नहीं की गई. एयर टिकट पर यात्रा हुई थी अथवा नहीं इस संबंध में भी मेरे द्वारा कोई जांच नहीं की गई थी. स्वत: कहा की टिकट खरीदने के संबंध में जानकारी ली गई थी. यह कहना सही है कि कोई भी व्यक्ति किसी भी व्यक्ति के नाम से टिकिट खरीद सकता है.”

29.2. यद्यपि गिरीश शर्मा से जप्त कथित पेन ड्राइव में **स्वयं गिरीश शर्मा के व्दारा बहुत सी राशि उसके व्दारा स्वयं प्राप्त करने की प्रविष्टियां हैं, परन्तु गिरीश शर्मा से इसके संबंध में भी कोई पूछताछ तक नही की गयी.** इस संबंध में विवेचक अभियोजन साक्षी क्रमांक-170 संजय दिनकार देवस्थले ने अपने न्यायालयीन कथन के पैराग्राफ 274 में स्वीकार किया है-

“274 - यह कहना सही है कि आर्टिकल पीडीएस-1 में गिरीश शर्मा के नाम के आगे 80 लिखा हुआ है. मैंने गिरीश शर्मा से इस संबंध में पूछताछ किया था परंतु गिरीश शर्मा ने उसके संबंध में मुझे कोई बात नहीं बताई थी. यह कहना सही है कि प्रदर्श पी-442 के दस्तावेजों में गिरीश शर्मा के नाम के आगे राशियों का उल्लेख था. मैंने उन सभी राशियों के बारे में गिरीश शर्मा से पूछताछ किया था परंतु गिरीश शर्मा ने मुझे उक्त प्रविष्टियों के संबंध में कोई ठोस जानकारी नहीं दे पाया था. यह कहना सही है कि आर्टिकल पीडीएस-9 में जिलेवार राशियां गिरीश शर्मा द्वारा प्राप्त करने का उल्लेख है. मैंने गिरीश शर्मा से आर्टिकल पीडीएस-9 में उल्लेखित इंद्राजों के बारे में पूछताछ करने पर गिरीश शर्मा ने बताया था कि उसे जो राशि बांटने के लिए मिलती थी उसे वह अपने नाम के आगे लिख लिया करता था. यह कहना सही है कि गिरीश शर्मा के कथन **प्रदर्श पी-472** में उक्त बात का कोई

उल्लेख नहीं है. यह कहना सही है कि गिरीश शर्मा ने इस संबंध में बताया होता तो मैं **प्रदर्श पी-472** में उल्लेख करता."

29.3. **विवेचक अभियोजन साक्षी क्रमांक-170 संजय दिनकार देवस्थले ने अपने न्यायालयीन कथन के पैराग्राफ 262, 273 एवं 315 में यह भी स्वीकार किया है कि उसने गिरीश शर्मा की पेन ड्राइव और कम्प्यूटर प्रिंट आउट की प्रविष्टियों में सीएम मैडम, मंत्री जी के पीए, आदि के बारे में न तो कोई पूछताछ की और न ही कोई जांच या सत्यापन किया** -

"262 - यह कहना सही है कि **प्रदर्श पी-442** के प्रिंटआउट में सीएम मैडम, मंत्री जी, मंत्री जी के पीए, मिश्राजी, मंत्रालय घर, ढिंडोरे मंत्रीजी के पीए आदि बहुत से नामों के संबंध में उल्लेख था, जिनके संबंध में पूछे जाने पर गिरीश शर्मा उन व्यक्तियों के संबंध में पुष्टिकृत जानकारी प्रदान नहीं कर पाया था और विशिष्ट न होने के कारण इसमें सत्यापन मैंने नहीं किया था. साक्षी स्वत: कहा कि इस चूंकि इस प्रिंटआउट में बहुत से लोक सेवकों के नाम एवं अन्य बहुत सारी प्रविष्टियां थीं, जिसका इस प्रकरण से लेना-देना नहीं था, अतः इस संबंध में मैंने उच्च अधिकारियों को पत्र लिखकर जिन-जिन कर्मचारियों से लेनदेन के ब्योरे के दस्तावेज प्राप्त हुए थे, की जांच के लिए प्रथक से प्राथमिकी पंजीबध्द किए जाने की अनुशंसा की थी, जिसके आधार पर इस प्रकरण से भिन्न लेनदेनो के लिए प्राथमिक जांच क्रमांक 3/2015 दर्ज की गई थी, जिसकी जांच विश्वास चंद्राकर तत्कालीन उपपुलिस अधीक्षक द्वारा संपूर्ण कर अपनी रिपोर्ट शासन को दी गई थी."

"273 - यह कहना सही है कि **आर्टिकल पीडीएस 1 से पीडीएस 7** तक के दस्तावेज प्रदर्श पी-442 से संबंधित दस्तावेज हैं. यह कहना सही है कि **आर्टिकल पीडीएस 1 से पीडीएस 7** तक के दस्तावेज में उल्लेखित कक्षवार नागरिक आपूर्ति निगम के कर्मचारियों के नाम के साथ उन्हें कथित रूप से वितरित की गई राशि का विवरण दर्ज है, के संबंध में मैंने उन सभी नागरिक आपूर्ति निगम के कर्मचारियों से पूछताछ नहीं की थी. यह कहना सही है कि दिनांक 25.04.2015 को गिरीश शर्मा के कथन में भी **आर्टिकल पीडीएस 1 से पीडीएस 7** में उल्लेखित व्यक्तियों को राशि देने का कोई उल्लेख नहीं है. स्वत: कहा कि इस संबंध में उच्च अधिकारियों ने पूर्व में आदेशित किया था कि उन इंद्राजों के बारे में पृथक से प्राथमिकी दर्ज कर जांच की जाएगी."

"315 - यह कहना सही है विवेचना के दौरान आर्टिकल पीडीएस-32 एवं पीडीएस-33 में उल्लेखित वीरासिंह के अतिरिक्त किसी भी व्यक्ति के इंद्राज संबंध में कोई पूछताछ नहीं की गई थी. यह कहना सही है कि **प्रदर्श पी-251ए** के 4 पन्नो में उल्लेखित देवांगन, मिश्रा, ऐश्वर्या रेजिडेंसी, विकासशील, अंसारी, अशोक भटनागर, गजभिए, सोनू कुसरे, चंद्राकर जी, चौरसिया, कमलेश जैन, पी कुमार, बहादुर, ढ़िंडोरे, मंत्री जी, ठाकुर मंत्री जी आदि से मेरे द्वारा उक्त प्रविष्टियों के संबंध में कोई पूछताछ नहीं किया गया था. स्वत: कहा कि **इन**

सब की जांच प्रारंभिक जांच क्रमांक 03/2015 में श्री विश्वास चंद्राकर डी.एस.पी. द्वारा किया गया था, जिन्होंने उक्त प्रविष्टियों को साक्ष्य हेतु पर्याप्त नहीं माना."

29.4. अभियोजन साक्षी क्रमांक 142- गिरीश शर्मा ने स्वयं भी न्यायालय में जो बयान दिया है उसके अनुसार उसे पेन ड्राइव और कम्प्यूटर प्रिंट आउट की एंट्रियों के संबंध में कोई व्यक्तिगत जानकारी नहीं थी. उसने यह एंट्रियां सुनी-सुनाई बातों के आधार पर की थीं. अभियोजन साक्षी क्रमांक-142 गिरीश शर्मा के कथन का पैराग्राफ 48 अवलोकनीय है -

"48/ यह कहना गलत है कि प्रपी-251ए के चारों पन्नों में उल्लेखित हिसाब के बारे में एसीबी व्दारा पूछने पर मैं उल्लेखित हिसाब स्पष्ट करने में असमर्थ रहा था. गवाह ने स्वतः कहा कि **मैने एसीबी को, प्रत्येक प्रविष्टि के हिसाब के संबंध में प्रबंधक संचालक व्दारा नोट कराये जाने पर लिखा जाना बताया था.** साक्षी से यह पूछे जाने पर कि प्रपी-251ए के चारों पृष्ठों में उल्लेखित तथाकथित हिसाब का लेनदेन आपके समक्ष नहीं हुआ है इस पर साक्षी का कहना है कि **पृष्ठ क्रमांक-1 में उल्लेखित 15,000/-सर्किट हाउस, 7,000/-आईसीएच, द्वितीय पृष्ठ पर 30,000/- मेंदाता का बिल, 15,000/- ओ.एस. चौरसिया का बेबीलोन का बिल मैने स्वयं जाकर जमा किया था इसलिये मेरी जानकारी में है, शेष में से दो-चार लेनदेन और मेरी जानकारी में हो सकते हैं बाकी का लेनदेन मेरे सामने नहीं हुआ केवल नोट कराया गया. साक्षी से यह पूछे जाने पर कि आपने जो उक्त राशियां स्वंय जाकर देना बताये हैं उसका बिल आपको प्राप्त हुआ था इस पर साक्षी का कहना है कि मेंदाता और बेबीलॉन का बिल प्राप्त होना याद आता है शेष का याद नहीं है**. (परन्तु इनमें से कोई बिल प्रकरण में संलगन नही हैं)"

30. उपरोक्त से यह स्पष्ट है कि अभियोजन ट्रायल में अभियुक्त डॉ0 आलोक शुक्ला व्दारा अवैध धनराशि या असम्यक लाभ अभिप्राप्त करना एवं अवैध राशि से अपने व्यक्तिगत व्यय कराना तथा राइस मिलर्स से अवैध वसूली के आपराधिक षडयंत्र में सहमत होकर शामिल होने के सभी आरोपों को प्रमाणित करने में पूरी तरह असफल रहा है.

31. <u>प्रकरण में अभियुक्त डॉ0 आलोक शुक्ला व्दारा पदीय दायित्व एवं पदीय हैसियत के दुरुपयोग का आरोप झूठा होने के तर्क</u>-

31.1. न्यायालय में प्रस्तुत प्र.पी.244 में नागरिक आपूर्ति निगम के संचालक मंडल की बैठक में डेलीगेशन ऑफ पावर्स का विवरण दिया गया है जिसके अनुसार **संचालक मंडल के चेयरमैन के पास नागरिक आपूर्ति निगम में कोई कार्यपालिक पदीय दायित्व नहीं होता है.** नागरिक आपूर्ति निगम के कर्मचारियों के स्थानांतरण, विभागीय जांच, दंड एवं नियंत्रण के भी समस्त अधिकार प्रबंध संचालक के ही पास है. **नागरिक आपूर्ति निगम के दैंनदिन कार्यों में संचालक मंडल के चेयरमैन का कोई रोल नहीं है**. चावल

के उपार्जन, परिवहन, भुगतान आदि के संबंध में अंतिम निणर्य प्रबंध संचालक व्दारा ही लिया जाता है. इनके संबंध में संचालक मंडल के चेयरमैन का न तो कोई दायित्व है और न ही कोई अधिकार है. **बोर्ड केवल नीतिगत निर्णय लेता है. यह निर्णय भी अध्यक्ष व्दारा नहीं लिये जाते हैं, बल्कि बोर्ड में बहुमत से लिये जाते हैं.** बोर्ड के सारे सदस्य राज्य सरकार के वरिष्ठ प्रमुख सचिव एवं सचिव होते हैं, जिनमें से अनेक आलोच्य अवधि में अभियुक्त डॉ0 आलोक शुक्ला से वरिष्ठ थे. वैसे भी इस प्रकरण में बोर्ड के किसी निर्णय के संबंध में कोई आरोप नहीं है.

31.2. **अभियुक्त डॉ0 आलोक शुक्ला के पास ऐसे कोई पदीय अधिकार नहीं थे जिनसे वह नागरिक आपूर्ति निगम में किसी प्रकार के भ्रष्टाचार को संरक्षण दे सके**. वेसे भी ऐसा कोई साक्ष्य प्रस्तुत नही किया गया है अभियुक्त डॉ0 आलोक शुक्ला ने किसी के भ्रष्टाचार को संरक्षण दिया हो.

31.3. **इस पूरे प्रकरण में अभियोजन ने यह बताया तक नहीं है कि अभियुक्त डॉ0 आलोक शुक्ला ने किस पदीय दायित्व या पदीय हैसियत का दुरुपयोग किया**. अभियुक्त डॉ0 आलोक शुक्ला व्दारा किसी पदीय दायित्व या पदीय हैसियत का दुरुपयोग करने का कोई कोई साक्ष्य दिया है भी नहीं दिया गया है. इस संबंध में विवेचक अभियोजन साक्षी क्रमांक-170 संजय दिनकर देवस्थले के न्यायालयीन कथन का पैराग्राफ 326 अवलोकनीय हैं -

"326 - यह कहना सही है कि विवेचना के दौरान मैंने डॉ. आलोक शुक्ला के पदीय कर्तव्य से संबंधित कोई दस्तावेज प्राप्त कर अभियोग पत्र के साथ प्रस्तुत नहीं किया है. **यह कहना सही है कि अभियोग पत्र में प्रस्तुत किसी भी दस्तावेज में डॉ. आलोक शुक्ला ने न तो कोई आदेश पारित किया है और न ही किसी दस्तावेज पर उनके हस्ताक्षर हैं**."

32. **<u>इस प्रकरण की एफ.आई.आर. 09/2015 का आधार ही एक झूठी, फर्जी, कूटरचित एवं बेकडेटेड गुमनाम शिकायत और उसका फर्जी सत्यापन प्रतिवेदन है</u>** -

32.1. इस प्रकरण की प्रथम सूचना रिपोर्ट अ.सा.क्र.-152 इंस्पैक्टर आर.के. दुबे व्दारा एक गुमनाम शिकायत के सत्यापन प्रतिवेदन के आधार पर दर्ज की गई है. यह गुमनाम शिकायत इंस्पेक्टर दिनांक 4-12-2014 को ई.ओ.डब्लय़ू. के आर.शिकायत रजिस्टर में दर्ज करना बताया गया है, और इसकी जांच इंस्पैक्टर आर.के. दुबे को पुलिस अधीक्षक ई.ओ.डब्ल्यू. रजनेश सिंह व्दारा दिनांक 5-12-2014 को सौंपा जाना बताया गया है, जबकि इंस्पैक्टर आर.के. दुबे. की पदस्थापना ई.ओ.डब्ल्यू. में नहीं बल्कि ए.सी.बी. में की गई थी, और वह **पदस्थापना भी दिनांक 06-12-2014 को की गई थी, इसलिये उनके व्दारा दिनांक**

4-12-2014 को शिकायत का दर्ज करना और दिनांक 5-12-2014 को उन्हें रजनेश सिंह व्दारा जांच सौपी जाना दोनो ही बातें झूठी हैं. उल्लेखनीय है कि इस कूटरचना के संबंध में **ई.ओ.डब्ल्यू. में प्रथम सूचना रिपोर्ट 06/2019 दर्ज की गई थी**. इस संबंध में अ.सा.क्र.-152 इंसपैक्टर आर.के. दुबे के न्यायालयीन कथन के पैराग्राफ 1, 12, 13 एवं 31 उल्लेखनीय हैं-

1/ **मैं दिनांक 06.12.14 से दिनांक 17.02.2018 तक एसीबी कार्यालय में निरीक्षक पद पर पदस्थ था** एवं वर्तमान में डीएसपी के पद पर पदस्थ हूं.

12- साक्षी से यह पूछे जाने पर कि दिनांक 06.12.2014 को निरीक्षक के पद पर आप की नियुक्ति राज्य आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो में हुई थी या एंटी करप्शन ब्यूरो में हुई थी, इस पर साक्षी का कहना है कि एंटी करप्शन ब्यूरो में हुई थी. साक्षी से यह पूछे जाने पर कि आपके जब नियुक्ति हुई तब एंटी करप्शन ब्यूरो का पुलिस अधीक्षक कौन था, इस पर साक्षी का कहना है कि श्री रजनेश सिंह थे. साक्षी से यह पूछे जाने पर कि ई.ओ.डब्ल्यू. का पुलिस अधीक्षक कौन था, इस पर साक्षी का कहना है कि श्री अरविंद कुजूर थे.

13 - साक्षी से यह पूछे जाने पर कि दिनांक 06.12.2014 के पूर्व आप कहां और किस पद पर पदस्थ थे, इस पर साक्षी का कहना है कि थाना प्रभारी पंडरी के पद पर पदस्थ था. साक्षी से यह पूछे जाने पर कि आपने थाना प्रभारी पंडरी के पद पर कब तक कार्य किया, इस पर साक्षी का कहना है कि दिनांक 06.12.2014 को आमद देने के पूर्व तक कार्य किया.

31 - साक्षी से यह पूछे जाने पर कि ई.ओ.डब्लू. का अपराध क्रमांक 6/19 किसके विरुद्ध पंजीबद्ध हुआ था, इस पर साक्षी का कहना है कि **तत्कालीन अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक मुकेश गुप्ता और रजनेश सिंह के विरुद्ध दर्ज हुआ था. यह कहना सही है कि ई.ओ.डब्लू. का अपराध क्रमांक 6/19 इस आधार पर दर्ज हुआ था कि उक्त दोनों पुलिस अधिकारियों व्दारा पुरानी तिथि पर दबाव डलवाकर नान से संबंधित शिकायत का रजिस्टर में इंद्राज कराया गया.** यह कहना सही है कि दिनांक 04.12.2014 को ई.ओ.डब्ल्यू./एसीबी में पदस्थ नहीं था और ना ही मैंने 4.12.2014 को एसीबी/ई.ओ.डब्ल्यू. के किसी रजिस्टर में किसी शिकायत का इंद्राज किया, और ना ही ऐसी कोई शिकायत मैंने 05.12.2014 को एस.पी. के समक्ष पेश किया. **यह कहना सही है कि यदि नान से संबंधित कोई शिकायत 04.12.2014 को मेरे द्वारा एसीबी के रजिस्टर में इंद्राज बताई जा रही हो एवं दिनांक 05.12.2014 को एस.पी. के समक्ष पेश किया जाना बताया जा रहा हो तो वह गलत है**.

32.2. अ.सा.क्र.-152 इंस्पैक्टर आर.के. दुबे के न्यायालयीन कथन से यह भी स्पष्ट है कि उन्होने सूत्र सत्यापन किया ही नहीं, और न कोई जांच की. केवल एक झूठी सत्यापन रिपोर्ट बनाकर प्रस्तुत कर दी, जिसके आधार पर एफ.आई.आर 09/2015 दर्ज कर ली गई. अ.सा.क्र.-152.इंसपैक्टर आरे.के. दुबे ने अपने न्यायालयीन कथन के पैराग्राफ 17, 18, 19, 20, 21, 23 एवं 24 में यह साफतौर पर कहा हे कि उन्होने सूत्र सूचना का सत्यापन करने के लिये

कोई फाइल नहीं खोली, किसी का बयान नहीं लिया, कोई दस्तावेज़ नहीं देखा, कोई जांव नहीं. केवल सूत्र के बताये अनुसार सत्यापन रिपोर्ट बना दी. इससे यह साफ है कि कोई सत्यापन किया ही नहीं गया, क्योंकि मूल गुमनाम शिकायत ही फर्जी और कूटरचित थी. उनके न्यायालयीन कथन के पैराग्राफ 26 में बहुत ही साफ तौर पर स्वीकार किया गया है कि उन्होने **कोई जांच और सत्यापन नहीं किया-**

26 - ....यह कहना सही है कि मैंने सूत्र सत्यापन के दौरान कोई जांच नहीं, बल्कि सोर्स ने जो बताया उसी के आधार पर सूत्र सत्यापन रिपोर्ट दी और उसी के आधार पर देहाती नालसी दर्ज की. साक्षी से यह पूछे जाने पर कि मैंने देहाती नालसी प्र.पी.-328 में लिखा है कि "मैंने यह पाया" जिसका आधार क्या, इस पर साक्षी का कहना है कि **सोर्स ने जो बताया वही आधार है.**

33. **<u>ई.ओ.डबल्यू./ए.सी.बी. के अधिकारियों अपने राजनीतिक आकाओं को बचाने के लिये अभियुक्त डॉ0 आलोक शुक्ला को बलि का बकरा बनाकर इस प्रकरण में झूठा फंसाया है</u>** -

33.1. एफ.आई.आर 09/2015 में अभियुक्त डॉ0 आलोक शुक्ला का नाम अभियुक्त के रूप में नहीं था. इस एफ.आई.आर. लिये ई.ओ.डब्ल्यू./ए.सी.बी. व्दारा मारे गये छापों में ऐसे बहुत से दस्तावेज जप्त किये गये थे जिनमें वर्ष 2011 से 2013 की एंट्रियां सी.एम. सर एवं अन्य राजनीतिज्ञों के बारे में थीं. आरोप पत्र की दस्तावेज सूची में इनमें से कुछ दस्तावेज शामिल हैं प्रस्तुत यह दस्तावेज जानबूझकर न्यायालय में प्रस्तुत नहीं किए गए हैं.

33.2. यह कि, दस्तावेज सूची में दस्तावेज क्रमांक डी-83 में के.के. बारीक से 83 पेज जप्त किया जाना बताया गया है, परन्तु यह दस्तावेज डी-83 आरोपपत्र में नहीं लगाये गया है.

33.3. यह कि, दस्तावेज सूची में दस्तावेज क्रमांक डी-15 में कुल 113 पेज जप्त बताये गये है, परन्तु इनमें से केवल 6 पेज ही केस रेलेवेंट होने के नाम पर न्यायालय में प्रस्तुत किए गए हैं. शेष 107 पेज गायब कर दिये गये हैं. उल्लेखनीय है कि जो 6 पेज प्रस्तुत किए गए हैं उनमें भी समस्त एन्ट्रियां वर्ष 2011 से 2013 के बीच की ही हैं.

33.4. यह कि, इन दस्तावेजों में ई.ओ.डब्ल्यू./ए.सी.बी. के राजनीतिक आकाओं के भ्रष्टाचार में संलिप्तता का विवरण है, इसलिये **उन्हें बचाने के लिये भी ई.ओ.डब्ल्यू. के अधिकारियों ने इन दस्तावेजों को इस प्रकरण से हटाकर इनके संबंध में अवैध रूप से एक प्रथक प्रारंभिक जांच 03/2015 खोल ली और उसमें फर्जी विवेचना करके अपने राजनीतिक आकाओं को क्लीन चिट दे दी**. यह सारी बातें अ.सा.क्र.-162-विश्वास चंद्राकर के न्यायलयीन कथन से स्पष्ट हैं.

36 - यह कहना सही है कि प्रदर्श पी.-152ए से 152एफ तक के दस्तावेज किसके द्वारा बनाए गए कब बनाए गए इसकी मैंने जांच नहीं की. स्वत: कहा कि मैंने दस्तावेज जप्त कर के

मुख्य विवेचक को सौंप दिया था. मैंने प्रदर्श पी.-152 ए एवं 152बी के दस्तावेजों की छायाप्रति जप्त नहीं की थी. मैंने मुख्य विवेचक को जप्त दस्तावेजों की छायाप्रति नहीं सौंपी थी. यह कहना सही है कि प्रदर्श पी.-152ए का दस्तावेज नवंबर-दिसंबर 2012 से फरवरी 2013 से संबंधित है. यह कहना सही है कि प्रदर्श पी-152बी में किसी वर्ष का उल्लेख नहीं है. मैं नहीं बता सकता कि यह दस्तावेज किस वर्ष से संबंधित है. यह कहना सही है कि प्रदर्श पी152सी का दस्तावेज मार्च 2012 से संबंधित है. यह कहना सही है कि पद्रर्श पी.-152डी के दस्तावेज में किसी वर्ष का उल्लेख नहीं है. मैं नहीं बता सकता कि यह दस्तावेज किस वर्ष से संबंधित है. यह कहना सही है कि प्रदर्श पी-152ई एवं 152एफ के दस्तावेज वर्ष 2012 से संबंधित हैं.

40 - यह कहना सही है कि अपराध क्रमांक 9/2015 में विभिन्न व्यक्तियों से जप्त किए गए दस्तावेजों के संबंध में एक प्रारंभिक जांच मेरे द्वारा की गई थी. यह कहना सही है कि उक्त जांच में अपराध क्रमांक 9/2015 के साक्षी गिरीश शर्मा से जप्त दस्तावेज भी सम्मिलित हैं.

41 - यह कहना सही है कि अपराध क्रमांक 9/2015 की विवेचना में मारे गए छापों से प्राप्त दस्तावेजों के आधार पर एक प्रारंभिक जांच मेरे द्वारा की गई थी. मुझे आज याद नहीं है कि उक्त प्राथमिक जांच दिनांक 22.05.2015 को सौंपा गया था अथवा नहीं. मैं यह भी नहीं बता सकता कि मैंने दिनांक 12.10.2018 को उक्त प्राथमिक जांच पूर्ण कर प्रतिवेदन पुलिस अधीक्षक को सौंपा था अथवा नहीं. साक्षी स्वत: कहता है कि प्राथमिक जांच से संबंधित दस्तावेज देखे बिना मैं यह नहीं बता सकता कि किस तारीख को मुझे जांच सौंपी गई थी और मैंने कब प्रतिवेदन पुलिस अधीक्षक को सौंपा था.

33.5. यह कि, अखबारों और मीडिया में तत्कालीन सरकार में उच्च राजनीतिक पदों पर आसीन लोगों के विरुध्द भ्रष्टाचार के आरोप लगातार छपने के कारण और विधान सभा चुनावों में भ्रष्टाचार के इन आरोपों के कारण हार के डर से, एफ.आई.आर. में नाम न होने पर भी, एफ.आई.आर. दर्ज होने के 3 वर्ष और 10 महीने के बाद, और अन्य सह-अभियुक्तों का ट्रायल चलते हुए 3 वर्ष और 7 महीने बीत जाने के बाद, केवल राजनीतिक लाभ के लिये, ऐन विधान सभा चुनावों के बीच बलि का बकरा बनाते हुए अभियुक्त डॉ0 आलोक शुक्ला के विरुध्द पूरक आरोपपत्र दिनांक 5-12-2018 को प्रस्तुत कर दिया गया.

34. **<u>अन्य महत्वपूर्ण बातें</u>** -

34.1. **<u>नागरिक आपूर्ति निगम को कोई हानि नहीं हुई</u>** - आरोप पत्र में कहा गया है कि अन्य अभियुक्तों ने नागरिक आपूर्ति निगम और शासन को हानि पहुंचाई है. वास्तविकता यह है कि आलोच्य अवधि में नागरिक आपूर्ति निगम को अभी तक का सार्वधिक लाभ हुआ था, जो प्रकरण में प्रस्तुत नागरिक आपूर्ति निगम को ऑडिटेड बैलेंस शीट से प्रमाणित है.

34.2. अन्य सह-अभियुक्तों पर धारा 420/34, 409/34, 466, 467 एवं 468 भा.दं.सं. के आरोप भी लगाये गये हैं, परन्तु **अभियुक्त डॉ0 आलोक शुक्ला पर इन धाराओं में कोई आरोप नहीं लगाये गये हैं. इन धाराओं के संबंध में ट्रायल में जो भी साक्ष्य दिये गये हैं उनका अभियुक्त डॉ0 आलोक शुक्ला से कोई संबंध नहीं है.**

34.3. **<u>अन्य सह-अभियुक्तों से जप्त धनराशि एवं संपत्तियों के आधार पर अभियुक्त डॉ0 आलोक शुक्ला पर कोई आरोप प्रमाणित नहीं होता</u>** - इस प्रकरण में कुछ सह-अभियुक्तों से नकद धनराशि और संपत्तियों की जप्ती की गई है. इन **सह-अभियुक्तों के विरुध्द इन जप्तियों के आधार पर प्रथक से अनुपातहीन संपत्ति के प्रकरण भी दर्ज किये गये हैं. सह-अभियुक्तों से जप्त धनाराशि का अवैध वसूली की राशि होने के संबंध में कोई प्रमाण नही है. सह-अभियुक्तों से की गई इन जप्तियों के आधार अभियुक्त डॉ0 आलोक शुक्ला पर कोई आरोप प्रमाणित नहीं किया जा सकता**.

<u>प्रार्थना</u>

उपरोक्त से यह स्पष्ट है कि अभियुक्त डॉ0 आलोक शुक्ला पर लगाये गये किसी भी आरोप को संदेह के परे प्रमाणित नहीं किया गया है. अत: माननीय न्यायालय से प्रार्थना है कि अभियुक्त डॉ0 आलोक शुक्ला को दोषमुक्त मानते हुए सभी आरोपों से बाइज्जत बरी किया जाये.

अभियुक्त डॉ0 आलोक शुक्ला